ISSN-0971-8397

विकास को समर्पित मासिक

योजना

अक्तूबर, 2002

मूल्य: 7 रुपये

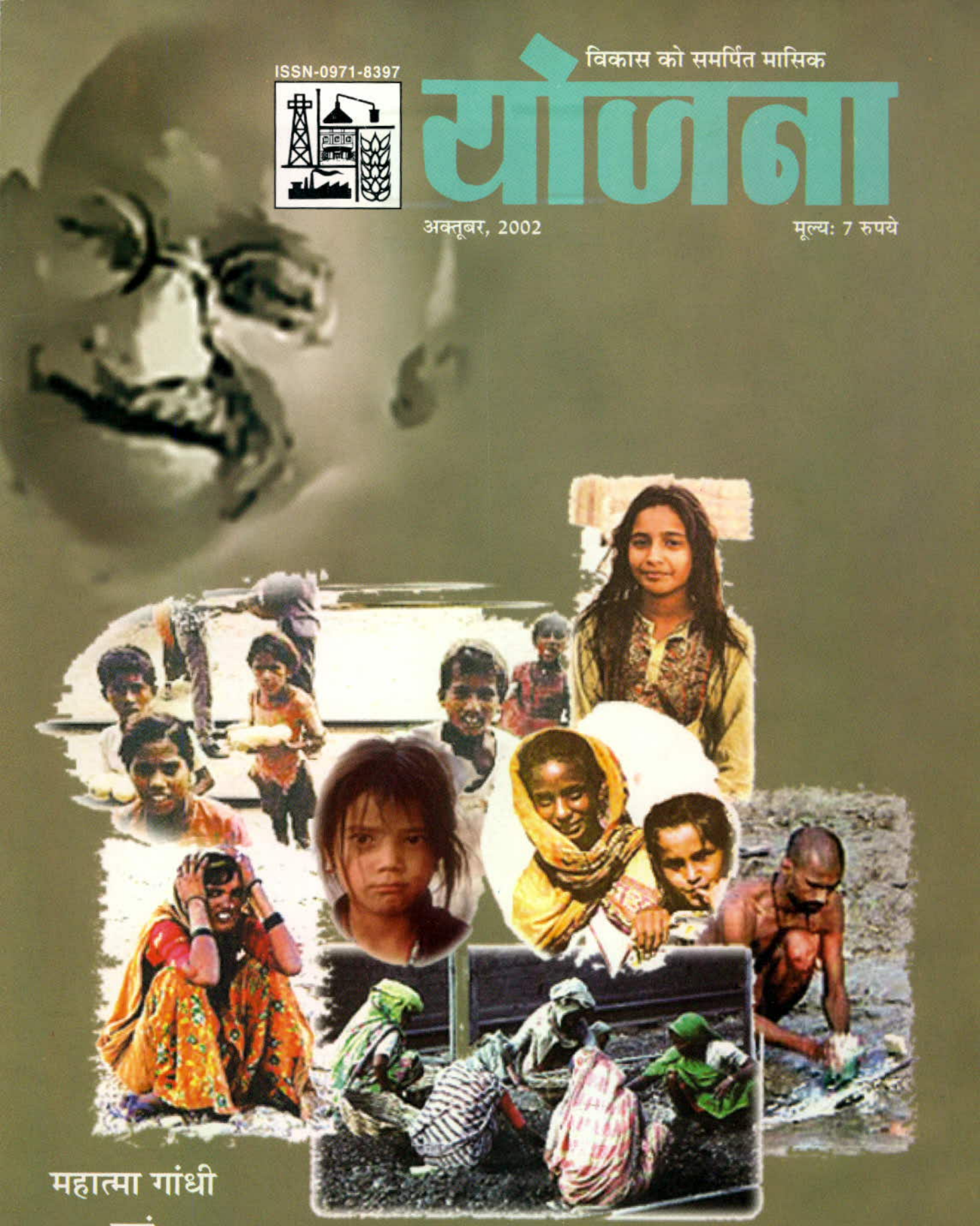

महात्मा गांधी एवं सामाजिक समानता

सत्यमेव जयते

एल.के. आडवाणी
उप प्रधानमंत्री

संदेश

मुझे यह जानकर खुशी है कि **विकास को समर्पित 'योजना'** अपना अक्तूबर अंक महात्मा गांधी को समर्पित कर रही है। गांधी जयंती के अवसर पर यह बापू के प्रति उचित श्रद्धांजलि होगी।

मुझे पूरी उम्मीद है कि पिछले 150 वर्षों की परंपरा के अनुरूप 'योजना' अपने पाठकों को विकासपरक मुद्दों पर आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराती रहेगी। 'योजना' के अक्तूबर अंक को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं!

L. K. Advani

(एल.के. आडवाणी)

योजना

वर्ष : 46 अंक 7 अक्तूबर, 2002 आश्विन-कार्तिक, शक-संवत् 1924

प्रधान संपादक
विश्वनाथ रामशेष

कार्यकारी संपादक
अंजनी भूषण

उप संपादक
रेमी कुमारी

संपादकीय कार्यालय
कमरा नं. 538 ए, योजना भवन, संसद मार्ग,
नई दिल्ली-110 001
दूरभाष : 3710473, 3717910
3096666/2510, 2508, 2566

संयुक्त निदेशक (उत्पादन)
डी.एन. गांधी

विज्ञापन एवं वितरण प्रबंधक
अनिल कुमार दुग्गल

आवरण
दीपक मैत्रा

इस अंक में

• **महात्मा गांधी और सामाजिक समता**	निर्मला देशपांडे	4
• **भंगियों का उत्थान—एक राष्ट्रीय जरूरत**	एस.के. पांडे	6
• **युग पुरुष हैं वे**	के.के. खुल्लर	10
• **भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की कोख से जन्मे जीवन-मूल्य**	कुमार राकेश	13
• **प्राकृतिक आपदा प्रबंधन**	बृजेश बड़थ्वाल एवं साधना	17
• **मानवाधिकार और जनजातीय समुदाय**	प्रेमनारायण पाण्डेय	22
• **भारतीय ग्रेनाइट एवं संगमरमर उद्योग**	अमर सिंह मेहता	28
• **सिक्किम : पनबिजली उत्पादन की दिशा में बढ़ते कदम**	विनय राज तिवारी	32
• **महिला उद्यमी—सीमाएं एवं संभावनाएं**	आर.बी.एल. गर्ग	34
• **पंचायत घर राजनीतिक नेतृत्व की पौधशाला है**	प्रमोद कुमार अग्रवाल	37
• **खतरे में पड़ी गंगा की गाय**	विजय कुमार	41
• **जहां चाह, वहां राह—'जंगली' ने किया 'जंगल में मंगल'**	नवीन पंत	43
• **नए प्रकाशन**	—	45
• **स्वास्थ्य-चर्चा**	—	46

योजना हिन्दी के अतिरिक्त **असमिया, बंगला, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तमिल, उड़िया, पंजाबी, तेलुगू** तथा **उर्दू** भाषाओं में भी प्रकाशित की जाती है। नई सदस्यता के नवीकरण, पुराने अंकों की प्राप्ति एवं एजेंसी आदि के लिए मनीआर्डर/डिमांड ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर 'निदेशक, प्रकाशन विभाग' के नाम से बनवा कर निम्न पते पर भेजें :-

विज्ञापन एवं प्रसार व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग, ईस्ट ब्लाक IV, लेवल VII, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110 066 टेलीफोन : 6100207, 6105590

चंदे की दरें : वार्षिक : 70 रु.; **द्विवार्षिक :** 135 रु.; **त्रैवार्षिक** 190 रु.; विदेशों में **वार्षिक** दरें : **पड़ोसी देश :** 500 रु.; **यूरोपीय एवं अन्य देश :** 700 रु.

'योजना' में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। जरूरी नहीं कि ये लेखक भारत सरकार के जिन मंत्रालयों, विभागों अथवा संगठनों से सम्बद्ध हैं, उनका भी यही दृष्टिकोण हो।

संपादकीय

यह एक निर्विवादित तथ्य है कि आज के भूमंडलीकरण और उदारीकरण के युग में कोई भी देश विश्व स्तर पर तब तक अपनी पहचान नहीं बना सकता जब तक उसमें रहने वाले सभी वर्गों के बीच समता और सहयोग का वातावरण विद्यमान न हो। दुर्भाग्य से हमारे देश में धार्मिक एवं सामाजिक कारणों से हाथ से सफाई का कार्य करने वालों को हेय दृष्टि से देखा जाता रहा है। 2 अक्तूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिवस के अवसर पर यह अंक इसी पिछड़े वर्ग को समर्पित है जिसका कल्याण एवं पुनरुत्थान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रियतम आदर्शों में एक था। उनकी सर्वोदय की अवधारणा इसी वर्ग की उन्नति के लक्ष्य से प्रेरित थी जिसे उन्होंने कभी 'दरिद्रनारायण' तो कभी 'हरिजन' अर्थात् 'ईश्वर के बंदों' की पावन पदवियों से विभूषित किया। उनके नेतृत्व में देश के स्वतंत्रता आंदोलन की कोख से मानव-जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नए मूल्यों का उदय हुआ। उन्होंने अस्पृश्यता निवारण को आजादी की लड़ाई के साथ जोड़कर हर स्वतंत्रता सेनानी को छुआछूत मिटाने के काम में भी लगाया। 1932 में इस काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए 'हरिजन सेवक संघ' की स्थापना की। गांधीजी की प्रेरणा से गोविन्द वल्लभ पंत, सी. राजगोपालाचारी, राजेन्द्र प्रसाद, मोरारजी देसाई आदि हजारों उच्चवर्गीय व्यक्तियों ने इस कार्य का बीड़ा उठाया। यही नहीं, गांधीजी का स्वप्न था कि सफाई कर्मचारी परिवार की कोई लड़की एक दिन भारत के सर्वोच्च 'राष्ट्रपति' पद को विभूषित करे।

सामाजिक समानता के पक्षधर गांधी अपनी इसी विशेषता के कारण एक 'सार्वभौम' पुरुष, एक युगपुरुष भी कहलाए और यही कारण है कि न केवल भारत, अपितु विश्व भर के लोग आज भी उनकी विचारधारा, उनके आदर्शों से प्रेरणा ग्रहण करते हैं। मार्टिन लूथर के शब्दों में 'यदि मानवता को प्रगति करनी है तो वह गांधी को नहीं छोड़ सकती'। जब भी कहीं आजादी के लिए संघर्ष होगा, न्याय के लिए संघर्ष होगा, शोषण होगा, गांधी को याद किया जाएगा।

उपर्युक्त विषयों पर जाने-माने गांधीविदों के विचार अंक में प्रस्तुत हैं, इस आशा के साथ कि संभवत: इन आदर्शों की कुछ किरणें हमारे पाठक भी आत्मसात करने में सफल होंगे।

नैसर्गिक आपदाएं यद्यपि मनुष्य के नियंत्रणाधीन नहीं होती तथापि इन आपदाओं से त्वरित गति से निपटने के लिए आपदा-प्रबंधन उपायों पर बल देना तो आवश्यक है ही। स्थानीय लोगों की भागीदारी, पुनर्वास, पुनर्निर्माण और विकास इस प्रक्रिया के अहम् पहलू हैं, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता। यही है चर्चा का विषय 'प्राकृतिक आपदा प्रबंधन' में।

सफलता की कहानी 'जहां चाह, वहां राह' में 'जंगल में मंगल' करने वाले 'जंगली' के उत्तरांचल में किए गए वन-रक्षा उपायों का रोचक विवरण प्रस्तुत है। 'स्वास्थ्य चर्चा' में हम आधुनिक गर्भ-निरोधकों पर जानकारी लेकर प्रस्तुत हुए हैं।

कुछ पाठकों की मांग रही है कि प्रमुख घटनाओं की जानकारी भी पत्रिका में शामिल की जाए। 'विकास समाचार' के माध्यम से यद्यपि हमारा यह प्रयास पहले ही जारी है तथापि पाठकों का यह सुझाव विचाराधीन है।

आगामी अंक में बाल-दिवस के अवसर पर बच्चों से जुड़े कुछ अहम पहलुओं, यथा—स्वास्थ्य, साहित्य आदि पर विशेष लेख शामिल किए जाएंगे।

—संपादक

आपकी राय

(संदर्भित अंक—अगस्त एवं सितम्बर)

'योजना' के संग

'स्वतंत्रता-दिवस' विशेषांक,
'योजना' का रहा मेरा प्रवेशांक।
पहुंचे हुए लेखकों के लेख पढ़ने को मिले।
लेता न 'योजना', तो देख न पाता कभी वो आलेख।
कवर पृष्ठ पर देख विभिन्न दृश्य को सजा,
जब कभी होगा उनसे मेरा आमना-सामना,
फिर आएगा कितना मजा।
अभी से आने लगा मुझे सपना
हिमालय की वादियों एवं समंदर के किनारे मेरा घूमना।
ये सपने के रंग, भर देते इतने रोमांच,
फिर प्रकृति के रंग, भर देंगे....करने को वो सपना सच।
बनाने लगा 'योजना' के संग
अपनी भावी 'योजना'।
पल्लवित-पुष्पित हो यह 'योजना'
करते हम यही कामना।

—कुमार दिवाकर,
पूर्णियां (बिहार)

प्रेरणास्पद उदाहरण

सितम्बर, 2002 अंक में प्रकाशित लेख 'मध्य प्रदेश' का बहुमुखी 'पानी रोको अभियान' (जहां चाह, वहां राह) मानवीय इच्छाशक्ति द्वारा सीमित साधनों तथा विषम परिस्थितियों के बावजूद एक स्वच्छ व जीवनदायी विकास संभव कर लिए जाने का प्रेरणास्पद उदाहरण है।

जहां भारतवर्ष के अधिकांश राज्यों से राजकोष घोटालों, भ्रष्टाचार, दलबदली, सदन में जूतम-पैजार जैसे शर्मसार कर देने वाले समाचार मिलना एक सामान्य बात हो चुकी है, वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश में एक राजनैतिक प्रशासक द्वारा समूचे राज्यतंत्र (सरकारी, गैर-सरकारी, ग्रामीण स्वायत्तशासी संस्थाएं, जन समुदाय) को साथ लेकर प्राकृतिक तथा मानव जनित आपदाओं का सफलतापूर्वक सामना करना निस्संदेह ही 'जहां चाह, वहां राह' को चरितार्थ करता है।

यदि ऐसी ही पवित्र इच्छाशक्ति तथा जनकल्याण की सच्ची भावना से कार्य किए जाएं तो कुछ ही वर्षों में हमारा देश अकाल, भुखमरी, गरीबी, आर्थिक विषमता, अशिक्षा, जनसंख्या विस्फोट जैसी कितनी ही वर्तमान समस्याओं से मुक्त हो सकता है।

—दीपक गौतम,
इंदिरा नगर (बंगलोर)

सर्वश्रेष्ठ पत्र

काश! 'योजना' पहले से ही पढ़ता

'योजना' का 'स्वतंत्रता दिवस विशेषांक' पढ़ा। इस पत्रिका का मैंने पहली बार अध्ययन किया। पढ़कर ऐसा लगा कि काश! इस पत्रिका से संबंध पूर्व में हो गया होता तो बहुत अच्छा होता। इस पत्रिका के सभी लेख अच्छे लगे। विशेष रूप से भारतीय हिमालय पर्वतमाला—एक नजर; पर्वतों का रहस्यवाद, रोमांस और निमंत्रण; पर्यावरण-पर्यटन की योजनागत तैयारी, आदि बहुत ही अच्छे लगे।

श्री जगमोहन, केन्द्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री के लेख 'पर्यावरण-पर्यटन की योजनागत तैयारी' के वैष्णो देवी मंदिर प्रसंग में 'महाकाली' को मनोरंजन की देवी बताया गया जो कि गलत है। 'महाकाली' 'शक्ति' की देवी है जो हमें आंतरिक एवं बाह्य शक्ति प्रदान करती है।

मेरा सुझाव है कि यदि इसमें पर्यावरण, पर्यटन एवं पर्वतारोहण के प्रशिक्षण संस्था के पते एवं प्रशिक्षण शुल्क के संबंध में कुछ जानकारी मिलती तो ज्यादा अच्छा रहता।

—संतोष कुमार,
अररिया (बिहार)

समसामयिक विषयों पर लेख देते रहें

'योजना' के सितम्बर अंक से हस्तगत हुआ। अचानक 'योजना' के कलेवर में आए बदलाव को देख आश्चर्य होता है कि एक सरकारी पत्रिका होने के बावजूद यह लगातार स्तरीय और आकर्षक कैसे होती जा रही है? अंक में प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविता, आखिरी कवर पर मैथिलीशरण गुप्त की कविता आदि ने अंक की गरिमा में चार चांद लगा दिए हैं। 'मूल्योन्मुख शिक्षा' पर शामिल किए गए लेख एक से बढ़कर एक हैं। उम्मीद है 'योजना' में समसामयिक विषयों पर इसी तरह से आगे भी लेख छपते रहेंगे। अगर 'क्विज' की तरह का कोई कॉलम 'सामान्य ज्ञान' के लिए शुरू किया जाए तो हम जैसे पाठकों के लिए और अच्छा होगा।

—सुधीर जैन,
रायपुर (म.प्र.)

महात्मा गांधी और सामाजिक समता

○ निर्मला देशपांडे

भारत की आजादी की लड़ाई की यह विशेषता रही है कि इस लड़ाई के अग्रणी नेता महात्मा गांधी ने उस लड़ाई में राजनैतिक आजादी के साथ-साथ संपूर्ण सामाजिक समता की स्थापना का लक्ष्य भी सामने रखा था। भारत गुलाम क्यों बना, इसके कारणों की खोज करते हुए उन्होंने पाया कि जाति भेद, अस्पृश्यता, सामाजिक अन्याय, महिलाओं का गौण दर्जा, श्रम को नीच समझना आदि अनेक कारण थे जिनसे हमारा समाज कमजोर बना। उन सभी कारणों के निराकरण हेतु गांधीजी ने विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रम आजादी की लड़ाई के साथ-साथ ही चलाए। उन्हीं कार्यक्रमों में से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, अस्पृश्यता-निवारण।

अस्पृश्यता-निवारण

महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता-निवारण को आजादी की लड़ाई के साथ जोड़कर आजादी के लिए लड़ने वाले हर व्यक्ति को छुआछूत मिटाने के काम में भी लगाया। इस कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्होंने 1932 में 'हरिजन सेवक संघ' की स्थापना की और देश के अधिकतर नेताओं को उसके साथ जोड़ा। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष के नाते विख्यात उद्योगपति श्री घनश्यामदास बिरला को इस कार्य की प्रेरणा दी। श्रीमती रामेश्वरी नेहरू ने बरसों तक इस संस्था का दायित्व संभाला। पंडित गोविन्द वल्लभ पंत (उत्तर प्रदेश), श्री सी. राजगोपालाचारी (तमिलनाडु), पंडित गोपीनाथ बरदोलै (असम), राजेन्द्र प्रसाद तथा जगजीवनराम (बिहार), मोरारजी देसाई (गुजरात), पंडित वियोगी हरी (मध्य प्रदेश), सेनापति बापट (महाराष्ट्र), आदि अनेकों नेता अस्पृश्यता-निवारण कार्य के अगुवा बने। उस जमाने में छुआछूत का भयंकर रूप था पर गांधीजी की प्रेरणा से हजारों ने इस काम को उठाकर अनेकों विपदाएं झेली, असीम कष्ट भुगते, और अपने उद्देश्य में काफी सफलता भी पाई।

गांधीजी द्वारा चलाए गए अस्पृश्यता-निवारण और सामाजिक समता की स्थापना के कार्य के पीछे एक अनोखा दर्शन है प्रायश्चित का। गांधीजी कहा करते थे कि जिनके पुरखों ने अस्पृश्यता चलाने का पाप किया है, उन्हीं को प्रायश्चित के रूप में अस्पृश्यता-निवारण का कार्य करना चाहिए और अछूत माने जाने वाले भाई-बहनों की सेवा कर उन्हें समानता की भूमिका पर लाना चाहिए। इस दर्शन को अंजाम देते हुए अनेकों उच्चवर्णीय माने जाने वाले व्यक्तियों ने इस कार्य का बीड़ा उठाया। मध्य प्रदेश के स्व. दाते, तमिलनाडु के वैद्यनाथ अय्यर, महाराष्ट्र के काकासाहब बर्वे जैसे सज्जनों ने इस कार्य हेतु अपना पूरा जीवन अर्पित किया। प्रायश्चित की यह भूमिका अहिंसा द्वारा समाज में परिवर्तन लाने की पद्धति को प्रकट करती है, पोषक को सेवक बनाती है, क्रोध को नहीं, करुणा को परिवर्तन का माध्यम बनाती है, संघर्ष द्वारा नहीं, सौहार्द्र पर आधारित सहयोग द्वारा समाज की गलत मान्यताओं में बदलाव लाती है। गांधीजी ने जिस प्रकार राजनैतिक आजादी हासिल करने के लिए अहिंसा, सत्याग्रह की पद्धति अपनाई, अंग्रेजों की हुकूमत को मिटाया पर

भारत गुलाम क्यों बना, इसके कारणों की खोज करते हुए गांधी ने पाया कि जाति भेद, अस्पृश्यता, सामाजिक अन्याय, महिलाओं का गौण दर्जा, श्रम को नीच समझना आदि अनेक कारण थे जिनसे हमारा समाज कमजोर बना। उन सभी कारणों के निराकरण हेतु उन्होंने विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रम आजादी की लड़ाई के साथ-साथ ही चलाए।

हरिजन सेवक संघ के कार्यकर्ताओं के साथ गांधीजी

अंग्रेजों के साथ मित्रता बनाए रखी, उसी तरह अस्पृश्यता-निवारण के कार्य की सफलता के साथ-साथ दोनों समाजों में सौहार्द्र बनाए रखने का भी प्रयास जारी रखा। गांधीजी का सिद्धांत था कि अन्याय को मिटाना है; अन्याय करने वाले का हृदय परिवर्तन करना है। पाप से घृणा करो, पापी से नहीं; उसे बदलो।

हरिजन शिक्षा

गांधीजी द्वारा चलाए गए 'हरिजन सेवक संघ' का कार्य भारत के हर प्रदेश में चलता रहा जिसका सबसे बड़ा हिस्सा था इस समाज के बालक-बालिकाओं की शिक्षा हेतु छात्रालयों तथा विद्यालयों को चलाने का। आजादी से पहले के जमाने में शासकीय अनुदान तो मिलता ही नहीं था। समाज में चंदा मांग-मांगकर गांधी-सेवक इस काम को चलाते थे। इसी तरह हजारों छात्रों को शिक्षित किया गया जिनमें से कई आज मंत्री, सांसद, विधायक, प्रोफेसर, कुलपति, शिक्षक, डॉक्टर, वकील, आई.ए.एस., आई.पी.एस. आदि बने हैं। हरिजन सेवक संघ के 'भूतपूर्व छात्रों' के सम्मेलनों में अनेकों ने बताया कि किस तरह गांधी-सेवकों ने प्यार से उन्हें पाला था, पढ़ाया था, और कैसे उन्हें वे अपने माता-पिता से बढ़कर मानते हैं। इन्हीं बालकों में से तिरुवन्तपुरम् केरल के छात्रावास का एक बालक भारत का राष्ट्रपति बना। श्री के.आर. नारायणन ने अपने सम्मान में हरिजन सेवक संघ के दिल्ली परिसर में आयोजित समारोह में भाव भरे शब्दों में कहा था, ''अगर गांधीजी के हरिजन सेवक संघ का वह छात्रावास नहीं होता तो मैं अपने जीवन में कुछ नहीं बनता; आज किसी गांव में गायें चराता होता।''

जब भारत की संविधान परिषद् का गठन हुआ तब हरिजन सेवक संघ के सचिव और महान सेवक श्री ठक्कर बापा गांधीजी की सलाह से उसके सदस्य बने। भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु ठक्कर बापा ने एक मसविदा तैयार किया, संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने प्रस्तुत किया और उसे स्वीकृत कराने के लिए काफी प्रयास किया। जब वह मंजूर हो गया तो ठक्कर बापा ने 'मेरा काम हो गया' कहकर संविधान परिषद से त्यागपत्र दे दिया।

भंगी-मुक्ति कार्यक्रम

गांधीजी बहुत अधिक महत्व देते थे, 'भंगी-मुक्ति' कार्यक्रम को। सफाई कर्मचारियों के बच्चों की पढ़ाई, उन्हें वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराना तथा उठाऊ-पाखानों का बहाऊ-पाखानों में परिवर्तन आदि कार्य 'हरिजन सेवक संघ' द्वारा चलाए गए कार्यों में विशेष स्थान रखते थे। इसी कार्य के लिए जीवन समर्पित करने वाले गुजरात हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष श्री ईश्वरभाई पटेल 'पद्मश्री' से विभूषित किए गए हैं।

मंदिर-प्रवेश अभियान

गांधीजी उस मंदिर में नहीं जाते थे जहां अस्पृश्यों का प्रवेश वर्जित था। उनका मंदिर में प्रवेश कराने के अनेकों कार्यक्रम गांधीजी की प्रेरणा से चलाए गए। केरला के वायकोम मंदिर-प्रवेश हेतु सत्याग्रह चला जिसके लिए गांधीजी ने आचार्य विनोबा भावे को भेजा था। मदुरै के मीनाक्षी मंदिर में प्रवेश-कार्य के लिए माता रामेश्वरी नेहरू पहुंची थीं। इस कार्य में वैद्यनाथ अय्यर आदि सेवकों को पंडों की लाठियों का शिकार होना पड़ा था। बिहार के वैद्यनाथधाम में हरिजन भाईयों को साथ लेकर प्रवेश करने पर विनोबाजी पर पंडों ने प्रहार किया था जिससे वे सदा के लिए श्रवणशक्ति खो बैठे थे।

गांधीजी और डॉ. बाबासाहब अंबेडकर के बीच, कुछ मतभेदों के बावजूद, अच्छे संबंध थे। गांधीजी के उपवास को समाप्त करने में और 'पूना पैक्ट' में डॉ. अम्बेडकर की महत्वपूर्ण भूमिका रही। डॉ. अम्बेडकर ने अपने एक मित्र को बताया कि 'मुझे गांधीजी ने मंत्री बनाया'। आजाद भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने गांधीजी के ही आग्रह पर डॉ. अंबेडकर को मंत्री बनाया था।

गांधीजी का एक स्वप्न था कि सफाई कर्मचारी परिवार की कोई लड़की भारत के राष्ट्रपति पद को विभूषित करे। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर मुझे दुबारा जन्म लेना पड़ा तो मैं चाहूंगा कि किसी सफाई-कर्मचारी के घर जन्म लूं। ❑

(लेखिका राज्य सभा की सदस्य तथा हरिजन सेवक संघ की अध्यक्ष हैं।)

भंगियों का उत्थान—एक राष्ट्रीय जरूरत

○ एस.के. पांडे

शुष्क शौचालयों की सफाई तथा मानव विष्ठा एवं कचरा हटाने का हाथ का काम करने वालों को 'भंगी' कहा जाता है। सरकार द्वारा उठाए गए अनेक कदमों के बावजूद भारत में पिछले कई दशकों से भंगी-कार्य की यह अमानवीय प्रथा जारी है। वैकल्पिक व्यवसायों/रोजगारों में भंगियों का पुर्नवास बहुमुखी प्रयासों यथा, शिक्षा का प्रसार, मानसिकता में परिवर्तन, कौशल विकास, व्यवसायिकता, संसाधनों की उपलब्धता द्वारा ही संभव है।

खाद्यान्न, वस्त्र एवं आवास की ही तरह उचित सफाई सुविधा भी मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। अनुमान है कि लगभग 10,000 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष उन बीमारियों के इलाज पर खर्च किए जाते हैं जो अपर्याप्त अथवा अनुपस्थित सफाई सुविधाओं के कारण पैदा होती हैं। सफाई सुविधाओं के अभाव में प्रदूषित जल से होने वाली बीमारियों, यथा, डायरिया, पेचिश आदि की संख्या बढ़ती है जो मानव उत्पादकता पर विपरीत असर डालती है। इन बीमारियों के ही कारण गरीबी का दुष्चक्र पनपता और बढ़ता है। यूं तो सफाई की कमी का दुष्प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति पर पड़ता है परन्तु महिलाएं एवं बच्चे इससे विशेष तौर पर प्रभावित होते हैं। उच्च बाल मृत्यु दर का भी यही कारण है। वर्ष 1999 की विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट के मुताबिक केवल 49 प्रतिशत शहरी जनसंख्या (1997 में) तथा 14 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या (2000 में) को ही शौच सुविधा प्राप्त थी। यह समस्या उन विकासशील देशों में और गंभीर है जहां शुष्क शौचालय, उनमें हाथ का काम, तथा खुले में मलत्याग की प्रवृत्तियां अब भी विद्यमान हैं।

शुष्क शौचालयों की सफाई तथा मानव विष्ठा एवं कचरा हटाने का हाथ का काम करने वालों को 'भंगी' कहा जाता है। सरकार द्वारा उठाए गए अनेक कदमों के बावजूद भारत में पिछले कई दशकों से भंगी-कार्य की यह अमानवीय प्रथा जारी है। अनियोजित शहरी विकास तथा सफाई सुविधा पर अपर्याप्त बल से समस्या और भी दुष्कर हुई है। एक निश्चित समुदाय के लोग पीढ़ियों से यह कार्य करते आए हैं। आम तौर पर ये लोग शहर की बाहरी बस्तियों में समूह बनाकर रहते हैं जहां उनका अन्य लोगों से कोई संपर्क नहीं रहता। दुर्भाग्य से एक अति आवश्यक सेवा प्रदान करने के बावजूद यह एक ऐसा व्यवसाय है जिसे हेय दृष्टि से देखा जाता है। इन भंगियों को सामाजिक उपेक्षा, लांछन और कुछेक स्थानों पर 'अछूत' तक कहलाने का दण्ड भुगतना पड़ता है।

भंगियों की संख्या पर कई आकलन समय समय पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा किए गए हैं। भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा कराए गए एक नमूना सर्वेक्षण के अनुसार 1961 में इनकी संख्या करीब 8 लाख थी, जिसमें से 3.86 लाख सफाई कार्य में लगे थे। 1981 में ये आंकड़े क्रमशः 8.64 और 3.96 लाख थे। नवीनतम अनुमानों के अनुसार 6.76 लोग किसी न किसी प्रकार के हाथ के काम में लगे है। इनकी राज्यवार संख्या के आंकड़े तालिका-1 में दिखाए गए हैं।

सबके लिए समानता का आदर्श हासिल करने के उद्देश्य से संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया। तत्पश्चात 1955 में इसका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए 'प्रोटेक्शन आफ सिविल राइट्स' एक्ट बनाया गया। भंगियों को इस अमानवीय प्रथा से मुक्त कराने तथा अन्य व्यवसायों में पुर्नस्थापित करने की दृष्टि से वर्ष 1980-81 में एक केन्द्र-संचालित परियोजना आरंभ की गई। इसका उद्देश्य था सूखे शौचालयों को बहाऊ शौचालयों में बदलना तथा भंगियों को अन्य व्यवसायों में लगाना। योजना के तहत राज्यों को 50 प्रतिशत की केन्द्रीय सहायता दी गई।

तत्पश्चात शहरी विकास तथा गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा शुष्क शौचालयों को बहाऊ शौचालयों में बदलने की एक कम महंगी सफाई योजना संपूर्ण शहर आधार पर हाथ में ली गई। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राजीव गांधी सफाई एवं पेयजल मिशन के तहत इसी प्रकार का कार्य गांवों में आरंभ किया। इसके अतिरिक्त कल्याण मंत्रालय ने इन भंगियों की सहायतार्थ एक केन्द्रीय योजना 'नेशनल स्कीम फार लिबरेशन एण्ड रिहैबिलिटेशन आफ स्कैवैंजर्स एण्ड देयर डिपेंडेंट्स (एन एस एल आर एस) आरंभ की। इस योजना के तहत इन कार्मिकों को 'भंगी' संज्ञा दी गई। इसमें राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को 100 प्रतिशत तक केन्द्रीय सहायता का प्रावधान किया गया ताकि वे भंगियों को वैकल्पिक व्यवसायों का प्रशिक्षण तथा आर्थिक सहायता देकर उनके पुर्नवास में सहायक बनें। तालिका-2 में इस सहायता का विस्तृत ब्यौरा पेश है।

शुष्क शौचालयों का निर्माण रोकने तथा भंगी कार्य में इन लोगों का रोजगार प्रतिबंधित करने के लिए केन्द्र द्वारा एक विशेष कानून 'द एम्प्लायमेंट आफ मैन्युअल स्कैवैंजर्स एण्ड कंस्ट्रक्शन आफ ड्राई लैटरीन्स (प्रोहिबिशन) एक्ट 1993' बनाया गया। इस कानून के तहत ये दोनों कार्य निषिद्ध हैं और इसकी अवहेलना करने वालों के लिए एक साल की सजा और /अथवा 2000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। उल्लंघन जारी रहने पर प्रतिदिन 100 रुपये अतिरिक्त शुल्क देना होगा। भंगियों सहित सभी सफाई कर्मचारियों के कल्याण कार्यों की निगरानी के उद्देश्य से वर्ष 1993 में एक अन्य विशिष्ट कानून 'द नेशनल कमिशन फार सफाई कर्माचारीज एक्ट' जारी किया गया। इस कानून के तहत तीसरे राष्ट्रीय आयोग का गठन फरवरी 2001 में किया गया। यह आयोग इन सफाई कर्मचारियों की कार्यदशाओं का अध्ययन कर उनमें सुधार के संबंध में रिपोर्ट देता है जो फिर कार्रवाई-रिपोर्ट के साथ संलग्न करके संसद में पेश की जाती है।

अन्य व्यवसायों में लगने के लिए इन सफाईकर्मियों को कम ब्याज दर पर वित्त उपलब्ध कराने हेतु जनवरी 1997 में 2000 करोड़ रुपये की अंशधारक पूंजी वाले 'राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम' नामक एक पृथक सार्वजनिक संस्थान की स्थापना की गई। यह निगम राज्य स्थित संस्थाओं के माध्यम से सफाईकर्मियों को अप्रत्यक्ष ऋण उपलब्ध कराता है। प्रशिक्षण और कार्यकौशल विकास में सहायता के साथ-साथ 6 प्रतिशत की सरल ब्याज दर पर उन्हें ऋण भी दिया जाता है। अधिकाधिक व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से निगम ने गैर-सरकारी संस्थाओं के माध्यम से छोटे छोटे ऋणों के वितरण की भी व्यवस्था की है। योजना में लाभकर्ता के लिए कोई आयसीमा नहीं रखी गई है। मात्र व्यवसाय, यानी सफाई से जुड़े कार्य के आधार पर यह सहायता प्रदान की जाती है। हाथ का काम करने वालों तथा महिलाओं को ऋण प्राप्ति में प्राथमिकता दी जाती है। निगम द्वारा दिए गए ऋण का ब्यौरा तालिका-3 में दृष्टव्य है।

यद्यपि इसमें दो राय नहीं कि शौचालयों में हाथ का काम अमानवीय है एवं उसका उन्मूलन आवश्यक है तथापि तमाम सरकारी कार्यक्रमों और प्रावधानों के बावजूद देश के कुछ भागों में यह प्रथा अब भी बदस्तूर जारी है। इसका सबसे बड़ा कारण है शुष्क शौचालयों की उपस्थिति। देखा गया है कि वैकल्पिक रोजगार के लिए प्रशिक्षित होने के बावजूद इनमें से कई वापिस अपने पुराने काम पर लौट आते हैं। भंगी कार्य में किसी कुशलता की अपेक्षा नहीं होती, कुछ ऊपरी आमदनी भी हो जाती है और किसी प्रकार की प्रतियोगिता, निवेश, अथवा, खतरे की गुंजाइश नहीं होती। शुष्क शौचालयों की मौजूदगी के कारण इस प्रकार के कार्य की मांग भी बनी रहती है। इन कारणों से महिला सफाईकर्मी विशेष तौर पर इसी व्यवसाय से जुड़ी रहती हैं। कुछ मामलों में ऐसा भी देखा गया है कि सामाजिक पूर्वागृहों एवं मानसिक अवरोधों के कारण इन्हें दुकानदारी जैसे कुछ व्यवसायों में कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है।

जागरूकता-निर्माण

खुले में शौच अथवा शुष्क शौचालयों का इस्तेमाल बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालता है। तथापि देखा जाता है कि निम्न आय परिवारों में मनोरंजन के साधनों, यथा टी.वी., रेडियो, स्कूटर आदि पर तो कितना ही पैसा व्यय कर दिया जाता है परन्तु एक स्वच्छ शौचालय के निर्माण की बात सोची तक नहीं जाती। कारण कि उन्हें गंदे शौचालयों से होने वाले नुकसान तथा बेहतर सफाई के संभावित लाभों के संबंध में पर्याप्त जानकारी नहीं होती। समाज के कमजोर तबके को यह समझना होगा कि शुष्क शौचालयों के स्थान पर बहाऊ शौचालय न केवल उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से आवश्यक हैं अपितु उन्हें हाथ के काम से छुटकारा दिलाकर उनके पुर्नवास के सामाजिक कार्य में भी सहायक हैं। अत: जागरूकता-निर्माण एवं सक्रिय जन-सहभागिता भंगियों की मुक्ति के लिए परमावश्यक तत्व हैं।

शहरी इलाकों में जगह की तंगी के कारण यह संभव नहीं कि हर परिवार के पास अपना अलग शौचालय हो। सामुदायिक शौचगृहों तथा 'पैसा दो और इस्तेमाल करो' आधार पर संचालित सार्वजनिक शौचालयों का अधिक संख्या में निर्माण ही समस्या का सही हल प्रस्तुत कर सकता है। वर्ष 2000 से भंगियों के पुर्नवास और मुक्ति के लिए उन्हें समूहों में आयोजित करके तथा सहकारिता के आधा पर 'सफाई बाजार' के संचालन में सहायता देकर विशिष्ट प्रयास किए जा रहे हैं। 'सफाई बाजारों' का उद्देश्य उन्हें निम्न-कौशल हाथ-कार्य से मुक्ति दिलाकर कुशल कामगारों के दर्जे में लाना है। 'सफाई बाजारों' की गतिविधियों में निम्न शामिल हैं:

1. सफाई में काम आने वाले सामान यथा, फिनायल, झाड़ू, आदि का उत्पादन।

2. शुष्क शौचालयों के स्थान पर स्वच्छ शौचालयों का निर्माण।
3. उन परिवारों के लिए नए शौचालयों का निर्माण जो इस सुविधा से वंचित हैं।
4. 'पैसा दो, इस्तेमाल करो' शौचालयों का निर्माण एवं परिचालन।
5. सहकारिता आवासों, अस्पतालों, नर्सिंग होम्स, होटल्स आदि में निश्चित वेतन पर सफाई संबंधी कार्य।
6. स्कूली बच्चों, नगरपालिका कर्मियों आदि के लिए यूनीफार्म की सिलाई एवं सप्लाई का काम।
7. सब्जी, किराने का सामान, एवं अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री।
8. भंगी उद्यमियों के लिए सेवा केन्द्रों का संचालन।

'सफाई बाजार' की अवधारणा में 20-25 भंगियों का एक समूह बना दिया जाता है। एन एस एल आर एस के तहत इस समुदाय को प्रति व्यक्ति 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। अतिरिक्त वित्त की व्यवस्था एन एस के एफ डी सी बैंक द्वारा जारी ऋण के जरिए की जाती है।

वैकल्पिक व्यवसायों/रोजगारों में भंगियों का पुर्नवास बहुमुखी प्रयासों यथा, शिक्षा का प्रसार, मानसिकता में परिवर्तन, कौशल विकास, व्यवसायिकता, संसाधनों की

तालिका-1

हाथ के काम में लगे भंगियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघशासित प्रदेश का नाम	भंगियों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	30921
2.	असम	40413
3.	बिहार	12226
4.	गुजरात	64195
5.	हरियाणा	36362
6.	हिमाचल	4757
7.	जम्मू व कश्मीर	4150
8.	कर्नाटक	14555
9.	केरल	1339
10.	मध्य प्रदेश	80072
11.	महाराष्ट्र	64785
12.	उड़ीसा	35049
13.	पंजाब	531
14.	राजस्थान	57736
15.	तमिलनाडु	35561
16.	उत्तर प्रदेश	149202
17.	पश्चिम बंगाल	23852
18.	दिल्ली	17420
19.	नगालैंड	1800
20.	मेघालय	607
21.	पांडिचेरी	476
	कुल	6,76,009

तालिका-2

वर्ष 1991-92 से 2000-02 के दौरान भंगियों के पुर्नवास के लिए दी गई सहायता

क्र.सं.	राज्य/संघशासित प्रदेश का नाम	कुल रकम (करोड़ रुपये में)
1.	आंध्र प्रदेश	26.11
2.	असम	5.87
3.	बिहार	11.27
4.	गुजरात	26.87
5.	हरियाणा	18.37
6.	हिमाचल प्रदेश	3.13
7.	जम्मू व कश्मीर	1.03
8.	कर्नाटक	13.30
9.	केरल	0.55
10.	मध्य प्रदेश	116.50
11.	महाराष्ट्र	46.22
12.	उड़ीसा	16.76
13.	पंजाब	6.63
14.	राजस्थान	44.48
15.	तमिलनाडु	57.80
16.	उत्तर प्रदेश	222.38
17.	पश्चिम बंगाल	5.63
18.	दिल्ली	5.28
19.	पांडिचेरी	0.08
20.	नगालैंड	0.11
21.	मेघालय	0.03
22.	छत्तीसगढ़	15.00
23.	झारखंड	10.85
24.	उत्तरांचल	10.00
	कुल	671.19

तालिका-3

एन एस के एफ डी सी द्वारा दी गई (31.3.2002 को) सहायता राशि का विवरण

क्र. सं.	राज्य	सहायता राशि (31.3.02 को)	लाभान्वित भंगियों/ सफाईकर्मियों की संख्या
1.	उत्तर प्रदेश	401.19	2038
2.	महाराष्ट्र	466.32	743
3.	मध्य प्रदेश	905.85	3075
4.	गुजरात	1572.18	3545
5.	राजस्थान	313.66	617
6.	बिहार	67.12	74
7.	तमिलनाडु	779.32	5334
8.	पश्चिम बंगाल	557.39	1039
9.	उड़ीसा	100.33	440
10.	असम	659.17	3318
11.	दिल्ली	41.58	100
12.	कर्नाटक	607.00	4350
13.	आंध्र प्रदेश	1325.20	7660
14.	हिमाचल प्रदेश	190.26	130
15.	केरल	84.86	141
16.	पांडिचेरी	120.88	584
17.	मिजोरम	104.96	426
18.	चंडीगढ़	94.86	130
19.	मणिपुर	122.74	456
20.	छत्तीसगढ़	280.60	1615
21.	हरियाणा	117.80	80
22.	झारखंड	246.56	420
23.	त्रिपुरा	159.40	252
24.	उत्तरांचल	76.69	93
25.	मेघालय	11.70	16
	कुल	9407.62	36676

उपलब्धता द्वारा ही संभव है। विख्यात गैर-सरकारी संगठनों को इन समुदायों की व्यापार गतिविधियों के संचालन से और निकटता से जोड़ा जा रहा है। हर्ष का विषय है कि अनेक राज्यों में भंगियों के पुर्नवास की योजनाओं पर बल दिया जा रहा है। इस कार्य को निश्चित समयसीमा में पूरा करने के लिए विशिष्ट योजनाएं भी बनाई गई हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने सब शुष्क शौचालयों को स्वच्छ शौचालयों में बदलने की एक समयबद्ध योजना मिशन रूप में अपनाई है। गुण्टूर जिले में सैप्टिक टैंको की सफाई की सक्शन पद्धति वाली मशीनें हासिल करने में एक समुदाय को सहायता प्रदान की गई है। तमिलनाडु में एक समुदाय चावल, सब्जी, दूध, और अन्य खाने-पीने के सामान की बिक्री में लगा है। चेन्नई में चलाया जा रहा 'एवरग्रीन सेनेटरी मार्ट', होटलों को सब्जियां बेचने का कार्य कर रहा है। इस प्रकार कद्य गतिविधियों ने एक ओर तो समाज के इस गरीब तबके के सशक्तिकरण का नया अध्याय खोला है, दूसरी ओर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जुड़ने का अवसर प्रदान किया है। राजस्थान सरकार ने बीच बाजार 2000 दुकानें/किओस्क विशेष तौर पर भंगियों के लिए बनाए हैं जो थोड़ी वित्तीय सहायता के साथ उन्हें आबंटित किए जाएंगे। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि भंगियों को छोटे छोटे उद्यमियों में परिवर्तित करने में सफलता अर्जित की जा रही है।

बढ़ते शहरीकरण के साथ-साथ सफाई का महत्व व्यक्ति एवं समाज दोनों के लिए बढ़ रहा है। अत: एक ऐसी दीर्घकालिक नीति बनाई जानी आवश्यक है जो सबको स्वच्छ शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराए। विकसित देशों में सफाई कार्य मशीनी उपकरणों द्वारा किया जाता है जिससे इस काम में लगे व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ने का खतरा नहीं रहता। दूसरे, मशीनों के इस्तेमाल के कारण उन्हें सामाजिक तिरस्कार का भी सामना नहीं करना पड़ता। सफाई कार्य भी अन्य आर्थिक गतिविधियों जैसी एक गतिविधि हो जाती है। स्पष्ट है कि भंगियों के पुनर्वास के लिए शुष्क शौचालयों का निर्माण बन्द करना होगा और इस कार्य में मशीनी उपकरणों का इस्तेमाल बढ़ाना होगा। जागरूकता-निर्माण के साथ-साथ उचित कानूनी प्रावधान और कानूनों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। एक बार हाथ का काम बंद हो जाने पर वैकल्पिक व्यवसायों में उनके पुनर्वास का कार्य जारी योजनाओं के तहत अधिक आसानी से किया जा सकेगा।

शहरी क्षेत्रों में सेवा उद्योग में असीम संभावनाएं विद्यमान हैं। इस क्षेत्र की सब आर्थिक गतिविधियां भंगियों के लिए खोली जा सकती हैं और उनका केवल सफाई कार्य में लगे रहना जरूरी नहीं है। सरकार के साथ-साथ स्थानीय स्वशासी संस्थाओ, गैर-सरकारी संस्थाओं, मीडिया तथा सभ्य समाज को भी इस कार्य में सहयोग देना होगा ताकि शौचालयों में हाथ का काम बीते दिनों की बात बन कर रह जाए। ❑

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।)

THE FUTURE BELONGS TO THOSE WHO ARE WILLING TO WORK FOR IT.

There is no magic formula for success.
Just 3 essential ingredients which, when combined, can work wonders.

The desire to succeed.
The willingness to work hard.
The right preparatory guidance.

POSTAL COURSES OFFERED:

- 1Yr. Course, with YG-FILE + TEST SERIES, for IIT-JEE 2003 (Std. XII)
- 2Yr. ELITE Course, with 2 years' YG-FILEs + TEST SERIES, for IIT-JEE 2004 (Std. XI)
- TARGET-IIT: Primer Courses for students of Stds. IX, X
- 1Yr. Course, with QUESTION BANK (QB) + TEST SERIES, for MBBS Entrance 2003 (Std. XII)
- 2Yr. CBSE-PLUS Course, with QB + TEST SERIES, for MBBS Entrance 2004 (Std. XI)
- TARGET-MBBS: Primer Courses for students of Stds. IX, X
- MBA Entrance 2003
- TARGET-MBA towards MBA Entrance 2004, starting with IIM-CAT 2003
- MCA Entrance 2003
- CSIR-UGC NET Exam, June 2003 & December 2003
- UGC (Humanities) NET Exam, June 2003 & December 2003
- Indian Engineering Services (IES) 2003
- GATE 2003 • IAS 2003
- GRE • TOEFL • BANK P.O. Exams
- AMIE Section A Exams, Section B Exams, June '03 & December 2003
- On-line Test Series for CSE (Prelim), 2003
- **ENGINEERING ENTRANCE – SEAT (State Engineering Admission Tests) & AIEEE (All India Engineering Entrance Examination), 2003**

Write, call or fax for free prospectus.

BRILLIANT® TUTORIALS

You can't prepare better

12 Masilamani St., T. Nagar, Chennai 600 017.
Ph: 4342099 (4 lines) Fax: 4343829
WE HAVE NO BRANCHES

युग पुरुष हैं वे

○ के.के. खुल्लर

चिता जलते ही गांधीजी की कृशकाया लपटों से घिर गई और वहां मौजूद शोकमग्न लोगों की भीड़ में कोई बोल उठा—''अब वे युग पुरुष हो गए हैं।'' इस धरती पर अपने जीवन के 78 वर्ष और तीन महीने बिताने वाले गांधी जीवन भर एक के बाद दूसरी समस्या से जूझते रहे। इस बीच भारत और दक्षिण अफ्रीका के विभिन्न बंदीगृहों में उन्होंने 2495 दिन बिताए। वे हर समस्या से अपनी अहिंसा की ताकत, सत्याग्रह के बूते तथा स्वराज की दृष्टि से निपटते रहे।

चिता जलते ही गांधीजी की कृशकाया लपटों से घिर गई और वहां मौजूद शोकमग्न लोगों की भीड़ में कोई बोल उठा—''अब वे युग पुरुष हो गए हैं।'' 31 जनवरी, 1948 को शनिवार की उस गमगीन शाम यमुना के तट पर, अब 'राजघाट' के नाम से मशहूर हो चुके स्थान के इर्द गिर्द, 10 लाख से ज्यादा शोकमग्न लोग खामोशी के साथ जमा थे। मैं तब 16 साल का लड़का था और पाकिस्तान का हिस्सा बन चुके एक इलाके से शरणार्थी बनकर दिल्ली आया था। शवयात्रा में हर चौराहे से भारी भीड़ शामिल हो रही थी, सब लोग गम के मारे चुपचाप चलते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो कोई परिवारजन ही हमसे बिछुड़ गया था। भीड़ में शामिल सभी लोगों की आंखें डबडबाई हुई थीं। पंजाब से आए शरणार्थियों की तादाद आश्चर्यजनक रूप से ज्यादा थी। विंसेन्ट शीन ने कहा था, ''इस आदमी का कोई जोड़ नहीं है; यह ऐसा व्यक्ति था जो मानवमात्र से समान व्यवहार करता था।''

इस धरती पर अपने जीवन के 78 वर्ष और तीन महीने बिताने वाले गांधी जीवन भर एक के बाद दूसरी समस्या से जूझते रहे। इस बीच भारत और दक्षिण अफ्रीका के विभिन्न बंदीगृहों में उन्होंने 2495 दिन बिताए। वे हर समस्या से अपनी अहिंसा की ताकत, सत्याग्रह के बूते तथा स्वराज की दृष्टि से निपटते रहे। उन्होंने कहा था कि मेरे स्वराज का मकसद, ''हमारी सभ्यता की प्रतिमा को बरकरार रखना है।'' इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्होंने हरेक मित्र का समर्थन किया, हर शत्रु का विरोध किया और 11 बार जेल गए। शब्द जब बेअसर हो जाते थे, वे उपवास करते थे। उनके उपवासों का असर उनके शब्दों से ज्यादा जल्दी होता था।

गांधीजी की महानतम विरासत यह थी कि उन्होंने भारत को निडर बनाया। उन्होंने भारतीयों को निडरता से जीने और उसी तरह मरने की भी प्रेरणा दी। उन्होंने भारत के विलुप्त आत्मसम्मान को पुनर्प्रतिष्ठित किया। उन्होंने सत्य के मुकाबले सत्य के महत्व को स्थापित किया।

उनके 'सत्य के प्रयोगों' में मानव जाति का गूढ़ खजाना निहित है। सुकरात की विद्वता और सुदामा की सरलता, जो कृष्ण के महल से भी खाली हाथ लौट आए थे, के गुणों से ओतप्रोत गांधीजी ने सरलता को साम्राज्यों से भी अधिक ताकतवर सिद्ध कर दिखाया। उनके लिए सत्य ही लक्ष्य था, सत्य ही साधन और सत्य ही साध्य था। सत्य पर जोर देने के कारण ही वे भारतीय नागरिकों का नैतिक स्तर बढ़ा पाए।

विरासत

स्वामी रंगनाथानंद ने दिल्ली के बिड़ला भवन में 30 जनवरी, 1948 को गांधीजी की हत्या के बमुश्किल 16 दिन बाद, 15 फरवरी, 1948 को कराची (पाकिस्तान में) के रामकृष्ण मिशन में जनसभा में कहा था, ''किसी एक व्यक्ति की मृत्यु पर आज तक इतिहास में कभी लोगों ने इतने बड़े पैमाने पर शोक नहीं जताया।'' भारत और विदेश में भी करोड़ों लोगों द्वारा गांधीजी के निधन पर जताए गए शोक से स्पष्ट हो गया है कि

पुरुषों और महिलाओं के मन में सार्वभौम एवं स्थाई आध्यात्मिक तथा नैतिक मूल्यों के प्रति उत्कंठा कितनी तीव्र है। यही वे मूल्य हैं जिन्हें यह महान शहीद संपूर्णता से जिए गए लगभग 79 वर्ष लंबे जीवन के दौरान सफलतापूर्वक अभिव्यक्त करता रहा। प्रेम और सेवा का परचम अपने सामाजिक-राजनैतिक कार्यक्रमों और गतिविधियों के बीच हर परिस्थिति में ऊंचा रखकर तथा निजी जीवन में सत्य और अहिंसा पर जोर देकर गांधीजी ने एक अक्षय विरासत छोड़ी है। उसका महत्व समय बीतने के साथ-साथ भारत और अन्य स्थानों पर मानवता की समझ में आएगा। वे यह महसूस करेंगे कि मनुष्य की गरिमा और प्रतिभा की अभिव्यक्ति में सिर्फ यही मूल्य सक्षम है। ये ही सभ्यता और प्रगति की एकमात्र आशा है। ये ही मानव की बहुमुखी प्रगति तथा संपूर्णता की दिशा में कवायद की एकमात्र गारंटी है।

गांधीजी का एक महान योगदान यह था कि उन्होंने आम भारतीय का दुख घटाया और उन्हें आशा की किरण दिखाई। गांधीजी का हर कार्य और उपाय भारत की गरीबी हटाने तथा हर आंख का आंसू पोंछने पर केंद्रित था। उन्होंने एक बार कहा था, 'यदि ईश्वर को भारत आना पड़ा तो यह तय है कि वे पावरोटी की शक्ल में अवतरित होंगे।' उन्होंने अमीरो से अपनी अमीरी का स्वेच्छापूर्वक त्याग करने तथा अपनी दौलत के न्यासी बनने का अनुरोध किया। उनका प्रश्न था, ''राष्ट्र प्रमुख, राजा अथवा नवाब अपनी प्रजा से यह क्यों नहीं कहते कि वे ही देश की संपत्ति के असली मालिक हैं?''

शिक्षा के क्षेत्र में गांधीजी की विरासत और भी समृद्ध है। उनका कहना था कि शिक्षा से लोग सिर्फ शिक्षित होने के बजाय स्वाभिमानी बने।

नई तालीम

गांधीजी की 'नई तालीम' श्रम की गरिमा, स्वावलम्बन तथा इनसे भी बढ़कर चरित्र निर्माण के सिद्धांतों पर आधारित थी। सफाई, चुस्ती तथा स्वच्छता उनके इस नए प्रयोग की बुनियाद थी। गांधीजी अपना पाखाना स्वयं साफ करते थे, खाना स्वयं पकाते थे, अपने जूते स्वयं ठीक करते थे, कस्तूरबा की प्रसूति के लिए किसी भी श्वेत नर्स के राजी न होने पर दक्षिण अफ्रीका में नर्स का दायित्व भी उन्होंने स्वयं निभाया था। ट्रांसवाल की जेल में जब नाई दो दिन तक नहीं आया तो उन्होंने अपने साथी कैदियों की दाढ़ी बनाने की पेशकश की। उन्होंने कहा था कि पाखाने की सफाई विद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल की जानी चाहिए। भारत लौटने पर जब वह अहमदाबाद में एक हाईस्कूल के दौरे पर गए तो अपने सहकर्मियों सहित स्कूल के हेडमास्टर दरवाजे पर उनका स्वागत करने आए और कहा, ''मान्यवर, हमने आपके लिए कुछ नाश्ते का प्रबंध किया है।'' यह कहते हुए हेडमास्टर ने उन्हें अपने दफ्तर में आमंत्रित किया।

परंतु वहां जाने के बजाय गांधीजी ने यह कहकर सबको चौंका दिया कि ''मेरे एजेंडे पर सबसे पहला काम विद्यालय के पखानों का मुआयना है।'' उन्होंने देखा कि पाखाने से भीषण दुर्गंध आ रही है और वह बहुत गंदा है।

यह देखकर उन्होंने कहा, ''क्या मुझे झाड़ू और कुछ बाल्टी पानी मिल सकता है?''

सरलता को साम्राज्य से भी अधिक ताकतवर सिद्ध कर दिखाया गांधीजी ने

गांधीजी ने अपने हाथ से विद्यालय का पाखाना साफ कर वहां के सारे कर्मचारियों को शर्मिंदा कर दिया। इसी तरह स्कूल की भोजनशाला के मुआयने के दौरान उन्हें रसोई की खस्ता हालत दिखी। वहां शिक्षकों को तो अच्छा खाना मिलता था, मगर विद्यार्थियों को जूठन ही नसीब होती थी। बाद में विद्यालय के कर्मचारियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये दो बातें विद्यालय के पाठ्यक्रम में अवश्य शामिल होनी चाहिए: पाखाने की सफाई तथा खाना पकाना।

अहिंसा

गांधीजी के लिए अहिंसा सिर्फ एक अवधारणा नहीं बल्कि आस्था का आयाम, अस्तित्व का प्रश्न और सांस्कृतिक अनिवार्यता थी। उनके में पेड़े-पौधों, पशुओं तथा कीड़े-मकोड़ों के प्रति भी सद्भाव था। वे अक्सर कहा करते थे कि अहिंसा तो निर्भीक और बहादुरों के लिए है; कायरों और दब्बुओं के लिए नहीं। अहिंसा न तो निष्क्रिय है और न ही निष्क्रियता; यह सक्रिय है, यह चुस्त है। 21वीं सदी की सबसे बड़ी चुनौती हिंसा है और उसी में गांधीजी का महत्व निहित है।

आगामी वर्षों में हिंसा बढ़ने के मद्देनजर गांधीजी सबसे प्रासंगिक हैं। मार्टिन लूथर किंग (जूनियर) के शब्दों में, ''यदि मानवता को प्रगति करनी है, तो गांधीजी को नहीं छोड़ा जा सकता....उनकी उपेक्षा का नुकसान हमें खुद ही उठाना पड़ेगा।'' जब भी कहीं आजादी का संघर्ष होगा, न्याय के लिए संघर्ष होगा, शोषण होगा, गांधीजी को याद किया जाएगा। गांधीजी को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यूनेस्को ने अपनी प्रस्तावना में गांधीवादी विचार शामिल करके दी है। उसमें गांधीजी की यह उक्ति उद्धृत है कि ''मनुष्य के मस्तिष्क में जबसे युद्ध शुरू हुआ, तभी से दिमाग में यह बात भी उठी कि शांति का कवच तैयार किया जाना चाहिए।'' उन्नीसवीं सदी जहां कार्लाइल और रस्किन की तथा बीसवीं सदी रसेल तथा हक्सले की थी, वहीं 21वीं सदी सिर्फ गांधीजी की है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि यदि कायरता और हिंसा के बीच कोई एक रास्ता चुनना पड़ा तो वे हिंसा को चुनेंगे क्योंकि अहिंसा कायरों या कमजोरों के लिए नहीं है।

सांप्रदायिक सद्भाव

अहिंसा के बाद उनके लिए सांप्रदायिक सद्भाव सबसे महत्वपूर्ण था, और वे उसी के लिए जिए तथा शहीद भी हुए। उन्होंने कहा था, ''भारतीय संस्कृति न तो हिंदू है और न ही मुसलमान तथा न ही कोई अन्य; यह साझी संस्कृति है जिसमें सभी समुदायों ने बेशुमार योगदान दिया है।'' एक अन्य अवसर पर उन्होंने कहा था, ''हमें हिंदू को बेहतर हिंदू बनने में; मुसलमान को बेहतर मुसलमान बनने में; तथा ईसाई को बेहतर ईसाई बनने में सहायता करनी चाहिए। हमें अपने दिमाग से यह गुप्त अहंकार निकाल देना चाहिए कि हमारा धर्म अधिक सच्चा तथा दूसरे का धर्म कम सच्चा है।''

उन्नीसवीं सदी जहां कार्लाइल और रस्किन की तथा बीसवीं सदी रसेल तथा हक्सले की थी, वैसे ही 21वीं सदी सिर्फ गांधीजी की है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि यदि कायरता और हिंसा के बीच कोई एक रास्ता चुनना पड़ा तो वे हिंसा को चुनेंगे क्योंकि अहिंसा कायरों या कमजोरों के लिए नहीं है।

महिला सशक्तिकरण

महिला अधिकारों के भी गांधीजी गहरे समर्थक थे; शिक्षा के जरिए उन्हें समर्थ बनाने के पक्षधर थे। वे अक्सर कहा करते थे कि लड़के को विद्यालय भेजने से सिर्फ एक व्यक्ति शिक्षित होता है, मगर लड़की को विद्यालय भेजने से पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। वे इस मान्यता के कट्टर विरोधी थे कि औरतें सिर्फ मर्दों के मनोरंजन के लिए हैं। उनका कहना था, ''यदि मैं औरत के रूप में पैदा हुआ तो मैं मर्दों की इस मानसिकता के खिलाफ विद्रोह कर दूंगा कि औरतें उनके मनोरंजन की वस्तु बनने के लिए पैदा होती हैं।'' इसके साथ ही वे आधुनिक, मगर दिलफेंक लड़कियों के भी खिलाफ थे। गांधीजी के विचार से समर्थ औरत तो सर्वश्रेष्ठ भारतीय संस्कृति की प्रतीक होनी चाहिए। साथ ही वह शक्तिपुंज, मिठास और रोशनी की भी प्रतीक होनी चाहिए।

सार्वभौम मानव

गांधीजी ने युद्धरहित दुनिया का सपना देखा था; एक ऐसा समाज जिसमें न जाति हो न वर्ग; ऐसे कारखाने जिनमें बंधुआ या बाल मजदूर न हों; जहां अहिंसक, शोषणमुक्त समाज व्यवस्था हो, जिसमें मस्तिष्क मुक्त हो तथा सिर ऊंचा करके चला जा सके। गहराई तक अंतराष्ट्रवादी होने के बावजूद वे अपनी भारतीय पहचान कभी नहीं भूले। उन्होंने कहा था, ''मैं अपने घर को चारदीवारी से घेरना तथा उसकी खिड़कियों को बंद करना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि सारी धरती की संस्कृति मेरे घर में आए, लेकिन उनके असर में आकर अपनी संस्कृति को भुलाना भी नहीं चाहता।''

गांधीजी किसी एक की बपौती नहीं, बल्कि सारी दुनिया के लिए हैं। वे देश विशेष की देन नहीं, बल्कि युगों की देन हैं। ❑

(लेखक भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) के पूर्व निदेशक हैं।)

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की कोख से जन्मे जीवन-मूल्य

○ कुमार राकेश

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन विश्व के महानतम आंदोलनों में से एक था। किसी सार्वजनिक उद्देश्य का व्यापक आंदोलन कैसे खड़ा किया जाता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इसका एक अच्छा उदाहरण है। इस आंदोलन में कई तरह के नेतृत्व और कई विचारधाराएं एक साथ गतिमान रहीं। राष्ट्रीय आंदोलन की एक प्रमुख वैचारिक दिशा थी गांधीवादी विचारधारा—जो आंदोलन में सबसे लंबे समय तक छाई रही। राष्ट्रीय आंदोलन के 1918 से 1947 तक के काल को राष्ट्रीयता का गांधीयुग कहा जाता है। इस पूरे दौर में गांधी आंदोलन के नेता रहे और गांधीवाद इसका दर्शन। इस मुक्ति-संग्राम में जनसाधारण और जनांदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका को समझने वाले वह पहले राष्ट्रीय नेता थे। इसलिए गांधीवादी विचारधारा के समाजशास्त्रीय प्रभावों का विवेचन आवश्यक है।

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधीवाद की भूमिका को समझने के लिए कुछ विशेष बिंदुओं पर दृष्टि डालनी आवश्यक है। जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के राजनीतिक दृश्यपटल पर गांधी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ? ब्रिटिश शासन के प्रशंसक और राजनीतिक सहयोगी के रूप में प्रवेश करने वाले गांधीजी एक असहयोगी के रूप में क्यों उभरे? कौन से मूल्य और आदर्श थे जिनके आधार पर गांधीजी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक आंदोलन के रूप में विकसित किया? राष्ट्रीय आंदोलन को गांधीजी की सबसे महत्वपूर्ण देन क्या था? राष्ट्रीय आंदोलन की ऐतिहासिक प्रक्रिया में इन बिंदुओं की गहन जांच आवश्यक है। राष्ट्रीय आंदोलन में गांधीजी के प्रवेश से पहले बहुत-सी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं घट चुकी थीं। उस दौर की मौजूदा परिस्थितियों की गहरी समझ के साथ ही राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी और गांधीवादी विचारधारा के प्रभावों को भली प्रकार समझा जा सकता है। गांधी किन परिस्थितियों के बीच भारतीय राजनैतिक रंगमंच पर उतरे? उस समय भारतीय जनता और ब्रिटिश के बीच क्या कुछ घट रहा था? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किस तरह के मूल्यों का विकास हो रहा था? आंदोलन कितनी मंजिलें तय कर चुका था?

राष्ट्रीय आंदोलन के राजनीतिक दृश्यपटल पर गांधीजी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ? गांधीजी अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा और अपने मानवीय हथियारों का प्रयोग पहले ही दक्षिण अफ्रीका में कर चुके थे। दक्षिण अफ्रीका में एक सफल सत्याग्रही की ख्याति प्राप्त कर चुकने के बाद जब जनवरी 1915 को गांधी जी भारत लौटे तो उन्होंने वर्तमान परिस्थितियों का एक कुशल राजनीतिज्ञ की तरह से अवलोकन किया। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष की स्थिति और परिस्थितियों का गहराई से अध्ययन किया। उदार भारतीय जनता गांधीजी के चमत्कारिक व्यक्तित्व से पहले ही प्रभावित थी। गोखले और फिरोजशाह जैसे वरिष्ठ नेताओं का देहावसान हो चुका था। तिलक की रुग्णता और सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं विपिन चंद्र पाल आदि नेताओं के उत्साह में कमी के कारण भारतीय राजनीतिक नेतृत्व स्वत: गांधीजी के हाथों में आ गया। गांधीजी ने अपनी क्षमता का

राष्ट्रीय आंदोलन के 1918 से 1947 तक के काल को राष्ट्रीयता का गांधीयुग कहा जाता है। इस पूरे दौर में गांधी आंदोलन के नेता रहे और गांधीवाद इसका दर्शन। इस मुक्ति-संग्राम में जनसाधारण और जनांदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका को समझने वाले वह पहले राष्ट्रीय नेता थे। इसलिए गांधीवादी विचारधारा के समाजशास्त्रीय प्रभावों का विवेचन आवश्यक है।

प्रयोग कर अपने सामने पुराने नेतृत्व की कमजोरियों को रखकर उनका गहराई से अध्ययन किया। यह वह समय था जब देश के विभिन्न हिस्सों में महंगाई और महामारी का दौर था। देश की जनता को बगावत के प्रयत्नों के नाम पर शोषित किया जा रहा था। भारतीयों का क्रोध उग्र रूप ले रहा था। उधर विश्व युद्ध समाप्त हो रहा था। अंतर्राष्ट्रीय जगत में घटित होने वाली घटनाएं भी समय के अनुकूल थीं। जैसे कि यूरोपीय देशों में होने वाली प्रजातांत्रिक क्रांतियां एवं रूस की सामाजिक क्रांति। इस सबसे भारतीयों में स्वतंत्रता के प्रति नई चेतना का विस्तार हो रहा था। उधर युद्ध काल में औद्योगिक विस्तार से भारतीय पूंजीपति आर्थिक दृष्टि से काफी शक्तिशाली हो गए थे। बाद में राष्ट्रीय आंदोलन में गांधीजी को कई उद्योगपतियों का सीधा समर्थन मिला। इन्हीं सब परिस्थितियों में राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर गांधीजी के हाथों में आई।

यह एक ऐतिहासिक सच है कि गांधीजी ने भारतीय राजनीति में ब्रिटिश शासन के सहयोगी के रूप में प्रवेश किया गया था। इन दिनों गांधीजी को ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता में पूरा-पूरा विश्वास था और गांधीजी ने भारतीयों से प्रथम विश्व युद्ध में जन और धन की पूरी-पूरी सहायता देने की अपील की। ब्रिटिश शासन ने भी गांधीजी को '**केसर-ए-हिंद**' की उपाधि प्रदान की। किंतु उसके बाद कुछ ऐसी घटनाएं घटीं, जिनके कारण गांधीजी सहयोगी से असहयोगी हो गए और गांधीजी द्वारा ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हुई। युद्ध समाप्ति पर भारतीय सोच रहे थे कि उन्हें स्वराज्य की दिशा में कोई बड़ा पुरस्कार मिलने वाला है। हुआ उल्टा। तभी 'रौलट एक्ट' लागू कर दिया गया। जैसे ही भारतीय जनता उसका विरोध करने को जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुई, उन पर गोलियां बरसाई गईं।

पंजाब के दो बड़े नेताओं को मार दिया गया। हजारों लोग मारे गए। उधर इस हत्याकांड के लिए उत्तरदायी जनरल डायर को ब्रिटिश लॉर्ड सभा ने '**ब्रिटिश साम्राज्य का शेर**' कहा और आंग्ल-भारतीय प्रेस ने उसे '**ब्रिटिश राज्य का रक्षक**' लिखा। ब्रिटेन में उसके प्रशंसकों ने उसे एक तलवार एवं 20 हजार पौंड की थैली भेंट की। इससे भारतीयों को असहनीय ठेस पहुंची। तभी गांधीजी ने बड़े स्तर पर असहयोग आंदोलन छेड़ने का निर्णय लिया। 20 दिसंबर, 1920 को नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ। इस कार्यक्रम के दो पक्ष तय किए गए। पहला; निषेधात्मक, दूसरा; रचनात्मक। निषेधात्मक में विदेशी माल का बहिष्कार, सरकारी शिक्षण सेवाओं का बहिष्कार, सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार, 1919 के कानून से होने वाले चुनावों का बहिष्कार, सरकारी उपाधियों एवं पदों का त्याग, सरकारी एवं अर्द्धसरकारी दरबारों और उत्सवों से अलगात, युद्ध से अलग रहना शामिल था। रचनात्मक कार्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, निजी पंचायतों की स्थापना, स्वदेशी का प्रचार, हथकरघा उद्योग को प्रोत्साहन और अस्पृश्यता का अंत आदि पर जोर दिया गया।

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी की भूमिका को समझने के लिए उन मूल्यों और आदर्शों को समझना आवश्यक है जिनके ठोस धरातल पर गांधीजी ने स्वतंत्रता संग्राम को एक आंदोलन के रूप में विकसित किया। यह एक गहन समाजशास्त्रीय अध्ययन का विषय है कि गांधीजी के आगमन से पूर्व इतना लंबा समय तय करने के बावजूद यह एक व्यापक आंदोलन का रूप क्यों नहीं ले पाया था। गांधीजी ने इसे अखिल भारतीय स्तर का व्यापक आंदोलन कैसे बनाया?

गांधीजी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का एक नया रूप लेकर उभरे। गांधीजी ने संघर्ष की एक नई प्रणाली विकसित की। संघर्ष का यह नया रूप था। असहयोग और संघर्ष की नई प्रणाली थी— सत्याग्रह। यह न केवल एक कार्यक्रम के रूप में बल्कि एक पूर्ण पर्याप्त क्रियात्मक रूप में सामने आए। फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा शुरू की।

लोक प्रशासन

By Atul Lohiya

(A person who believes in hard work and scientific approach)

लोक प्रशासन ही क्यों?

क्योंकि आप एक लोक प्रशासक बनने जा रहे हैं।

— परीक्षा की चुनौतियों एवं बदलती परिस्थितियों के अनुरूप विषय
— इसकी महत्ता में उत्तरोत्तर वृद्धि जारी
— भविष्य में सामान्य अध्ययन के अनिवार्य भाग के रूप में लोक प्रशासन को शामिल किए जाने की अधिकतम संभावना
— वर्तमान समय में भी **अंकों के खेल** में सबसे आगे –
आपका अध्ययन 600 अंकों के लिए, लेकिन आप हल कर सकेंगे एक हजार से अधिक अंकों के प्रश्न
(वैकल्पिक विषय - 600 + निबंध - 200 + G.S. (Polity) - 90 + G.S. (Social Problem) + G.S. Current Affairs + साक्षात्कार
— और अब **परिणाम में भी सबसे आगे** –
IAS 2001 के TOP-20 में सर्वाधिक (7) लोक प्रशासन से
— लोक प्रशासन न पढ़ें, तब भी उसका 60-70 प्रतिशत सिलेबस सामान्य अध्ययन के भाग के रूप में हर परीक्षार्थी के लिए पढ़ना अनिवार्य।
— प्रत्येक परीक्षार्थी द्वारा जिज्ञासावश भी अधिकांश सिलेबस का अध्ययन, जैसे - भर्ती, प्रशिक्षण, अलग कमेटी, वेतन एवं सेवा शर्तें आदि।

क्या है कोई विकल्प इससे बेहतर?

लोक प्रशासन का चयन - उचित निर्णय और व्यावसायिक दृष्टिकोण

तो आइये करें - लोक प्रशासन के अध्ययन की शुरुआत, 'अतुल लोहिया' के साथ।

अतुल लोहिया ही क्यों?

क्योंकि केवल हम कराते हैं लोक प्रशासन का सम्पूर्ण एवं समग्र अध्ययन।

— UPSC के साथ UP, MP, Raj., Bihar, Uttaranchal PCS की भी तैयारी
— **अध्यापन की शैली** - विशिष्ट व वैज्ञानिक
(दो घंटे से लेकर 200 घंटे तक एक कड़ी के रूप में पढ़ाने का दावा)
— **नोट्स** - वैज्ञानिक तरीके से तैयार पूर्णतः संशोधित व परिमार्जित Pre. और Mains के लिए अलग-अलग। संदर्भ : 80 से 85 स्रोत।
— केवल हमारे नोट्स से UPSC (Pre.) और UPPCS (Pre.) 2001 एवं 2002 में लगभग 90 प्रतिशत प्रश्न आए।
— **Revision Notes** - चार्ट के रूप में उपलब्ध कराने वाले एकमात्र शिक्षक।
— हम देते हैं प्रत्येक क्लास का 40 प्रतिशत समय प्रश्न अभ्यास में और शेष समय **विषय की बेहतर समझ एवं छात्रों की परिपक्व सोच** के विकास में।
— इसके अतिरिक्त आप प्राप्त कर सकते हैं –
प्रतियोगी वातावरण, कुशल परिचर्चा समूह, और भी...

'अतुल लोहिया'

शिक्षक, मार्गदर्शक और मित्र भी

*There's never a **Wrong** time*
*To do the **Right** thing*

Admission Open

NEW BATCH STARTS FROM 15th Nov. 2002

पत्राचार पाठ्यक्रम भी उपलब्ध

MAINS - 2,000/-
MAINS + PRE. - 3,000/-

डाक खर्च - 200/- अतिरिक्त

M.P. P.S.C. (Mains) *के लोक प्रशासन (द्वितीय प्रश्न पत्र) की निःशुल्क तैयारी*

AN INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION

FLAT No. 301, TOP FLOOR, A-14, BHANDARI HOUSE, COMMERCIAL COMPLEX, BEHIND BATRA CINEMA, DR. MUKHERJEE NAGAR, DELHI-110009 • CELL.: 9810651005

गांधीजी ने राष्ट्रीय आंदोलन को कोई उत्तेजनापूर्ण विद्रोह न बनाकर राजनैतिक क्रियाकलाप में जनसामान्य को शामिल करते हुए आंदोलन की ओर पहला कदम बढ़ाया। गांधीजी ने सत्याग्रह, असहयोग और अहिंसा जैसे हथियारों का चुनाव इस समझ से किया कि—'यदि सशस्त्र संघर्ष छेड़ा गया तो न केवल औपनिवेशिक सत्ता को बड़े पैमाने पर दमन का बहाना मिल जाएगा, बल्कि जनता लड़ाई में हार जाएगी और उसका मनोबल गिरेगा। लोग आंदोलन में निष्क्रिय हो जाएंगे। इसलिए गांधीजी ने संघर्ष का ऐसा कार्यक्रम तैयार किया, जिससे जनसाधारण राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति जागरूक हो सके और आंदोलन व्यापक रूप ले सके। किसानों के लिए उनका कार्यक्रम था कि वे भू-राजस्व नहीं देंगे, जिससे सरकार आर्थिक रूप से कमजोर होगी। छात्रों से उन्होंने शिक्षण संस्थाएं छोड़ने को कहा जिससे अंग्रेजीपरस्त पीढ़ी तैयार न हो। वकीलों से कचहरियां छोड़ने को कहा जिससे कानून व्यवस्था ठप्प हो जाए। स्त्रियों को शराब और विदेशी वस्तुओं की दुकानों की पिकेटिंग करने के लिए कहा। आम जनता से कहा कि अनुचित कानूनों का उल्लंघन करें। लोगों को खादी और हाथ से बने कपड़ों के प्रयोग के लिए उत्साहित किया। यह सब हुआ। स्त्रियां, किसान, मजदूर, आम आदमी भारी संख्या में आंदोलन में आए। प्रतिदिन हड़ताल, जुलूस और प्रदर्शन होने लगे और आदोलन एक व्यापक रूप लेकर अखिल भारतीय स्तर पर फैल गया। स्वदेशी पुट को प्रत्येक क्षेत्र में गांधी ने जनमानस के साथ जोड़ा और राष्ट्र की एक नई कल्पना विकसित की। गांधीजी के आगमन से पूर्व भारत का स्वतंत्रता संघर्ष कोई ठोस दर्शन नहीं ले पाया था। गांधीजी ने उसे मानवीय उद्देश्यों और ठोस तर्कों में संजोकर एक सुदृढ़ वैचारिकी प्रदान की। भारतीय सभ्यता के श्रेष्ठत्व को प्रतिपादित किया। स्वतंत्रता संघर्ष को एक राजनैतिक स्वतंत्रता की लड़ाई से आगे बढ़ाकर दो सभ्यताओं का संघर्ष घोषित किया। ऐसा नहीं था कि ऐसे तर्क आंदोलन के पहले नेता या विचारक नहीं दे रहे थे। गांधीजी की खास बात यह रही कि पहले उन्होंने स्वयं को पश्चिमी सभ्यता के मोहजाल से मुक्त किया और परंपरागत भारतीय जीवन-शैली के प्रतिस्थापित किया। जनमानस के सम्मुख एक विकल्प प्रस्तुत किया और विशाल भारतीय समाज के साथ तादात्म्य स्थापित किया। इसी का प्रभाव रहा कि अनेक उच्चवर्गीय देशभक्त भी गांधीजी के साथ खद्दर धारण कर ग्रामीण जीवन के साथ एकरूप होने की कोशिश करने लगे। यही राष्ट्रीय आंदोलन को गांधी की सबसे महत्वपूर्ण देन थी।

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास के गहन विश्लेषण से स्पष्ट है कि 'राष्ट्रीय आंदोलन की प्रमुख विचारधारात्मक दिशा थी—गांधीजी और गांधीवादियों की समग्र सामाजिक दृष्टि। गांधीजी ने राष्ट्रीय आंदोलन को स्वतंत्रता के लक्ष्यों की ओर उन्मुख किया। आर्थिक और राजनीतिक सत्ता के ढांचे में बुनियाद परिवर्तन का ठोस व्यवहारिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। गांधीजी ने उदारवादी साधनों को जनांदोलन के रूप में बदला। अपने पूरे काल में तीन प्रमुख आंदोलनों, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व कर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को व्यापक आधार प्रदान किया। कांग्रेस संगठनों को ग्रामीण स्तर तक पहुंचाया। सदस्यता शुल्क घटाकर 25 पैसे किया जिससे कि आम गरीब आदमी की पहुंच भी इस तक हो जाए। इस प्रकार गांधीजी ने सामाजिक परिवर्तन के अपने इन रचनात्मक कार्यक्रमों से एक **'नया समाजशास्त्र'** खड़ा किया। उसे ही आधार मानकर भविष्य के भारत ने अपना संवैधानिक प्रारूप तैयार किया। गांधीवादी विचारधारा की महत्वपूर्ण देन यह है कि राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ उसने सामाजिक-आर्थिक स्वतंत्रता को दिशा दी और कुछ ऐसे मूल्य स्थापित किए जो भारतीय समाज को हमेशा ऊर्जा प्रदान करते रहेंगे।

गांधीजी के नेतृत्व और गांधीवादी विचारधारा के रूप में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन ने जो रणनीति अपनाई वह विश्व इतिहास में अपनी तरह की अनोखी है। भारत ऐसा अकेला देश है जहां अर्द्ध-लोकतांत्रिक या लोकतांत्रिक ढंग की राज्य सत्ता को सफलतापूर्वक विस्थापित किया जा सका। इस पूरी ऐतिहासिक प्रक्रिया से बहुत से बदलावों की प्रक्रिया को समझा जा सकता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की एक विशिष्टता यह रही कि विश्व इतिहास में भारत ऐसा अनोखा उदाहरण है जिसमें राज्यसत्ता पर किसी क्रांतिकारी आंदोलन द्वारा एक झटके से कब्जा नहीं कर लिया गया बल्कि लंबी राजनीतिक लड़ाई द्वारा यह लक्ष्य हासिल किया गया। यह लड़ाई सिर्फ राजनैतिक नहीं थी। यह कार्य कई चरणों में और बड़े धैर्य के साथ पूरा किया गया जो गांधी जैसे व्यक्तित्व के हाथों ही संपन्न हो सकता था। तभी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की कोख से जन्म लेने वाले मूल्य हमारी अमूल्य विरासत बन सके; एकता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजवादी विकास, लोकतंत्र, मानवतावादी मूल्य और अंतर्राष्ट्रीयतावाद की उत्पत्ति संघर्ष की उस प्रक्रिया से ही संभव हो सकी। ❑

(शोध छात्र, समाजशास्त्र विभाग, मेरठ विश्वविद्यालय, मेरठ)

सात अभिशाप

सिद्धांतहीन राजनीति
परिश्रम बिना संपत्ति प्राप्ति
सदासद-विचारमुक्त सुख
बिना चरित्र ज्ञानार्जन
नीति विहीन व्यवसाय
मानवताहीन विज्ञान
त्यागहीन पूजा।

—मो.क. गांधी

प्राकृतिक आपदा प्रबंधन

○ बृजेश बड़थ्वाल एवं साधना

भारत सरकार ने नैसर्गिक आपदा से त्वरित गति से निबटने के लिए आपदा-प्रबंधन प्राधिकरण स्थापित किया है। यह स्वागतयोग्य कदम है। इसने आपदा से निबटने के लिए त्वरित कार्यवाही पर विशेष बल दिया है। स्थानीय लोगों की भागीदारी, पुनर्वास, पुनर्निर्माण और विकास इस प्रक्रिया के अहम् पहलू हैं।

गत वर्ष 28 फरवरी को अमेरिका के वाशिंगटन प्रांत के ओलंपिया शहर में रिक्टर स्केल पर 6.8 तीव्रता का भीषण भूकंप आया। इसके झटके सीएटल, ओरेगांव, वैनकोवर, ब्रिटिश कोलंबिया तक महसूस किए गए। प्रात: 10 बजकर 54 मिनट पर आए इस भूकंप के समय अग्रणी साफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसाफ्ट के प्रमुख बिल गेट्स एक होटल में सभा को संबोधित कर रहे थे। भूकंप से एकत्रित प्रतिनिधियों में भगदड़ मच गई। इसी दौरान ग्रीन रिवर कम्यूनिटी कॉलेज में प्रोफेसर बॉब विलसन छात्रों की भूकंप कक्षा के दौरान अमेरिका के प्रमुख भूकंप क्षेत्र सेंट एंड्रीज भ्रंश फॉल्ट की चर्चा कर रहे थे। भूकंप का अनुभव होते ही सभी छात्र डेस्क के नीचे बैठ गए। भूकंप के झटके 45 सेकेंड तक महसूस किए गए। उल्लेखनीय है कि सभी छात्र प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक थे। उन्हें प्राकृतिक आपदाओं से अवगत कराने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया था। भूकंप के उपरांत सभी शिक्षक भूकंप के उद्गम, तीव्रता आदि की जानकारी इंटरनेट से प्राप्त करने के इच्छुक थे जबकि प्राध्यापक ने उन्हें भूकंप के वैज्ञानिक पहलुओं से अवगत कराया। संचार व्यवस्था की अत्यधिक व्यस्ततावश इंटरनेट सेवाएं तुरंत उपलब्ध नहीं हो सकी तो छात्रों ने बॉब विलसन के समक्ष प्रश्नों की झड़ी लगा दी। भूकंप का उद्भव 52 कि.मी. भू-गर्भ की अंतर्प्लेटीय हलचल द्वारा हुआ और अभिकेंद्र निस्कुली शहर के समीप स्थित था। अधिक गहरा उद्भव होने के कारण भूकंप से क्षति भी मामूली हुई। दरअसल भूकंप का उद्भव कम गहराई पर होने से कम तीव्रता के भूकंप भी अधिक हानिकारक सिद्ध होते हैं। 20 अक्तूबर, 1991 को उत्तरांचल प्रदेश के उत्तरकाशी जनपद में आए भूकंप का उद्भव 15 कि.मी. ही था जबकि 28 मार्च, 1999 को आए चमोली भूकंप का उद्भव 25 कि.मी. था। स्वाभाविक है उत्तरकाशी भूकंप द्वारा अधिक क्षति हुई। यद्यपि दोनों भूकंपों की तीव्रता 6.8 एक समान ही थी। अमेरिका में आए इस भूकंप में केवल एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, वह भी हृदय गति रुकने से। आखिर इस मामूली क्षति के क्या कारण थे? अमेरिकी विधायिका द्वारा 1960 से लागू भवन-निर्माण के भूकंप-प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन। उल्लेखनीय है कि भारत में भी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टेंडर्ड ने भारत का भूकंप-मानचित्र एवं भवन-निर्माण मापदंड प्रकाशित कर दिए थे लेकिन इनका अनुपालन अनिवार्य नहीं है। अमेरिका की संघीय

प्राकृतिक आपदा का एक दृश्य

आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी (फेमा) ने भूकंप द्वारा क्षति का स्तर न्यूनतम रखने के लिए अनेक उपाय किए हैं। इनमें बहुमंजिली इमारतों की छत से पानी की टंकी को अन्यत्र स्थानांतरित करना भी शामिल है। भूकंप वेधशालाओं के नेटवर्क एवं अत्याधुनिक भूकंप तीव्रता-मापक उपकरणों द्वारा भूकंप के उद्भव एवं अभिकेंद्र की जानकारी तुरंत मिल जाती है। इससे प्रभावित क्षेत्रों की तुरंत पहचान कर राहत अभियान आरंभ किया जा सकता है। फेमा ने प्रत्येक अंचल एवं नगरों की सभी आवासीय एवं व्यावसायिक इमारतों, मृदा, कृषि-भूमि एवं इनकी अपेक्षित कीमत का डेटा-बैंक तैयार कर रखा है। फेमा ने जिऑग्राफिकल इन्फार्मेशन सिस्टम (जी आई एस) पर आधारित 'हाजुस' नामक क्षति-अनुमान साफ्टवेयर भी विकसित किया है। अमेरिकी भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण से प्राप्त भूकंप-तीव्रता, उद्भव एवं अभिकेंद्र की जानकारी इस प्रोग्राम में समाहित करने से तुरंत उस क्षेत्र में भूकंप द्वारा हुई क्षति का पूर्वानुमान किया जा सकता है। भूकंप आने के दो घंटे के भीतर ही राज्य आपदा-प्रबंधन के निदेशक ग्लेन वुडबरी ने भूकंप द्वारा एक बिलियन डालर की क्षति का पूर्वानुमान कर दिया। सामान्यत: इस प्रक्रिया में गहन सर्वेक्षण किया जाता है जिसमें अधिक समय लगता है। राहत कार्य भी क्षति के पूर्वानुमानों पर आधारित होते हैं। अन्य प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, समुद्री तूफान, बवंडर एवं ज्वालामुखी के लावा द्वारा क्षति का भी फेमा तुरंत आकलन करने में सक्षम है।

भुज भूकंप द्वारा हुई क्षति का पूर्वाकलन करने में ही दो सप्ताह का समय लग गया। इससे व्यापक स्तर पर राहत कार्य आरंभ करने में अधिक विलंब हो गया और अपार जान-माल की हानि हुई जबकि समाचार माध्यमों ने इसे प्रशासन की अक्षमता बताया। भूकंप एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं के बारे में लोगों में जनजागृति पैदा करना अत्यंत आवश्यक है। प्रशासन एवं शिक्षक समाज इस कार्य में अहम् भूमिका निभा सकते हैं। दुर्भाग्यवश इस वर्ग में भी प्राकृतिक आपदाओं के प्रति समुचित ज्ञान नहीं है। विकसित देशों तक में भी यही स्थिति है। आपदा-प्रबंधन विशेषज्ञों द्वारा सर्वप्रथम इसी वर्ग को शिक्षित किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए जनसंचार माध्यमों का व्यापक उपयोग किया जाता है। अमेरिका में विज्ञान के सभी विषयों के विशेषज्ञ प्रतिनियुक्ति अथवा 'फैलो' के रूप में अमेरिकी कांग्रेस एवं सीनेट में कार्य करते हैं। इससे विधायिका को विज्ञान के विभिन्न पहलुओं की विस्तृत जानकारी मिल जाती है। विज्ञान-नीति एवं अन्य नीति-निर्धारक विषयों पर कानून बनाने में विधायिका को विज्ञान का व्यवहारिक ज्ञान लाभदायक रहता है। सीनेट में विज्ञान संबंधी नीति अथवा विधेयकों पर व्यापक चर्चा होती है। उल्लेखनीय है कि भारतीय गणतंत्र की पचासवीं वर्षगांठ पर संसद का विशेष सत्र एक सप्ताह लगातार चला। मानव संसाधन मंत्री डॉ. मुरली मनोहर जोशी ने 'भारत में विज्ञान' विषय पर दो घंटे से अधिक अवधि तक सारगर्भित भाषण दिया। दुर्भाग्यवश इस दौरान केवल बीस सांसद ही सदन में मौजूद थे। यह जनप्रतिनिधियों की जनकल्याण के लिए विज्ञान के प्रति उदासीनता व्यक्त करता है। यह भी कटु सत्य है कि अधिकांश जनप्रतिनिधियों के बच्चे विज्ञान, इंजीनीयरिंग अथवा मेडिकल के छात्र हैं। भारत सरकार ने आज तक राष्ट्रीय विज्ञान-नीति तक नहीं बनाई यह गंभीर विषय है।

भीषण प्राकृतिक आपदाएं जान-माल को अपार क्षति पहुंचती है। 26 जनवरी, 2001 को भुज में आए भीषणतम भूकंप द्वारा 20 हजार से अधिक लोगों की मृत्यु हुई और 1 लाख 67 हजार लोग घायल हुए। दस लाख परिवार बेघर हुए और अधिकांश आधारभूत ढांचा यथा— स्कूल, ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र, जलापूर्ति व्यवस्था, संचार और ऊर्जा क्षेत्रों में अपार हानि हुई। कुल 9,900 करोड़ (2.1 बिलियन डालर) की क्षति हुई जिसमें सर्वाधिक हानि 5,200 करोड़ (1.1 बिलियन डालर) निजी भवन के क्षेत्र में हुई। विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक के अनुसार पुनर्विकास के लिए 10,600 करोड़ यानी 2.3 बिलियन डालर की आवश्यकता पड़ेगी। विगत वर्ष उड़ीसा में भी विनाशकारी समुद्री तूफान द्वारा 10 हजार से अधिक लोगों की मृत्यु हुई और हजारों-करोड़ की संपत्ति नष्ट हुई। बाढ़ से भी प्रतिवर्ष हजारों लोगों की जान जाती है और खरबों की संपत्ति और फसल की हानि होती है। प्राकृतिक विपदाओं के प्रति जागरूकता विकसित करने और संगठित ढंग से निबटने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा ने विगत दशक 1990-2000 को अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक विपदा में कमी के रूप में मनाया था। प्राकृतिक आपदा यथा— भूकंप, बाढ़ और तूफान से निबटने के लिए 1984 में जापान के याकोहामा शहर में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन द्वारा पारित घोषणा-पत्र में प्राकृतिक आपदाओं से मानव के जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए कार्य-योजना प्रस्तावित की गई। इन्हीं अनुशंसाओं के आधार पर भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने समूचे भारतवर्ष के प्राकृतिक आपदाओं की संभाव्यता वाले संवेदनशील क्षेत्र अभिनिर्धारित करने के लिए रुड़की विश्वविद्यालय के जाने-माने भूकंप-विज्ञानी प्रोफेसर आनंद सिंह आर्य की अध्यक्षता में सात सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। समिति को तीन प्रमुख दायित्व सौंपे गए:

1. संपूर्ण भारतवर्ष के प्राकृतिक आपदाओं द्वारा प्रभावित हो सकने वाले भवनों और संवेदनशील क्षेत्रों का अभिनिर्धारण करना।
2. संवेदनशील क्षेत्रों के भवनों को प्राकृतिक आपदाओं द्वारा होने वाली संभावित क्षति से सुरक्षित रखने के लिए भवन-निर्माण

भुज भूकंप का एक दृश्य

हेतु विधिक एवं प्रौद्योगिकी नीति-निर्धारण।

3. संवेदनशील क्षेत्रों के निवर्तमान भवनों को सुरक्षित रखने के लिए विधिक एवं प्रौद्योगिक नीति-निर्धारण और उपलब्ध विदेशी विशेषज्ञता सुलभ करवाने हेतु कार्यवाही करना।

मौसम विभाग द्वारा संपूर्ण भारतवर्ष की भूकंपीय घटनाओं एवं चक्रवात आपदा की मानीटरिंग की जाती है जबकि बाढ़ की जानकारी एवं निगरानी का कार्य केन्द्रीय जल आयोग द्वारा किया जाता है। इन विभागों के अतिरिक्त 'एटलस' तैयार करने में भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण एवं रुड़की विश्वविद्यालय के भूकंप विभाग द्वारा प्रकाशित मानचित्र एवं रिपोर्टों की भी सहायता ली गई है।

समिति के अध्ययन के लिए 1991 के जनसंख्या आंकड़ों को आधार बनाया गया। समिति की रिपोर्ट 1997 में ही तैयार हो गई थी। शहरी विकास मंत्रालय ने ड्राफ्ट रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पूर्व इसे देश-विदेश के अनेक विशेषज्ञों एवं आपदा-संस्थाओं को समीक्षा के लिए भेजा। सभी ने एकमत से रिपोर्ट की भूरि-भूरि प्रशंसा की।

अंततः इसे 'वल्नरेबिलिटी एटलस ऑफ इंडिया—प्राकृतिक विपदा मानचित्र और भवन-क्षति की संभावना' शीर्षक से 1999 में प्रकाशित किया गया।

रिपोर्ट में देश के प्रत्येक जनपद के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में स्थित सभी प्रकार के भवनों पर प्राकृतिक आपदा द्वारा संभावित क्षति की जानकारी समाहित है। भवन को निर्माण-सामग्री के अनुसार छह वर्गों में परिभाषित किया गया है। यथा— मिट्टी की छत, अनबुझे ईंट और पत्थर की ढलाऊ और सीधी छत (ए वर्ग), बुझी ईंट की ढलाऊ और सीधी छत (बी वर्ग), कंक्रीट दीवार की ढलाऊ और सीधी छत (सी-1 वर्ग), काष्ठ की छत (सी-2 वर्ग), एकरा की छत (सी-3 वर्ग), जी आई और धातु की छत (एक्स-1 वर्ग) तथा बांस, घास-पत्तों की छत (एक्स-2 वर्ग)। प्रत्येक कोटि के भवन पर भूकंप, तूफान और बाढ़ द्वारा संभावित क्षति का मूल्यांकन किया गया है।

प्राकृतिक आपदाओं द्वारा भवनों की संभावित क्षति को छह वर्गों यथा— अत्यधिक, अधिक, मध्यम, कम, क्षीण और अप्रभावित में परिभाषित किया गया है। उदाहरणार्थ राजधानी दिल्ली में कुल 2,446,143 भवन हैं। इनमें 'ए' वर्ग के 160,240 (6.55 प्रतिशत), 'बी' वर्ग के 2,092,957 (85.56 प्रतिशत), 'सी' वर्ग के 121,840 (4.98 प्रतिशत), और 'एक्स' वर्ग के कुल 71,106 (2.91 प्रतिशत), 'सी' वर्ग के 121,840 (4.98 प्रतिशत), और 'एक्स' वर्ग के कुल 71,106 (2.91 प्रतिशत) घर हैं। मिट्टी की छत, अनबुझे ईंट और पत्थर की ढलाऊ तथा सीधी छत (ए वर्ग) के भवन भूकंप के प्रति अधिक संवेदनशील है जबकि 'सी-3 एक्स-2' भवनों को तेज हवा-तूफान से क्षति पहुंच सकती है और 'ए' वर्ग के भवनों को बाढ़ द्वारा मध्यम स्तर की क्षति हो सकती है।

भूकंप द्वारा भवन को हुई संभावित क्षति को पांच वर्गों में परिभाषित किया गया है यथा ग्रेड-1 आंशिक क्षति; ग्रेड-2 मध्यम क्षति; ग्रेड-3 भारी क्षति; ग्रेड-4 विनाश और; ग्रेड-5 यानी संपूर्ण क्षति। इसी प्रकार

बाढ़ द्वारा संभावित जोखिम वाले क्षेत्र को भी पांच भागों में विभाजित किया गया है जैसे— न्यूनतम क्षति जोखिम, निम्न, मध्यम, अधिक तथा अत्याधिक जोखिम क्षेत्र। समुद्री तूफान द्वारा तेज हवा से भवनों को अधिक एवं व्यापक क्षति पहुंचती है। तूफान से हुई क्षति को छह वर्गों में पारिभाषित किया गया है। यथा— क्षति का क्षेत्र (118.1 कि.मी. प्रति-घंटा से अधिक), मध्यम क्षति क्षेत्र बी (140.4 कि.मी. प्रति घंटा से अधिक), मध्यम क्षति जोखिम क्षेत्र ए (158.4 कि.मी. प्रति घंटा से अधिक), अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र (169.2 कि.मी. प्रति घंटा से अधिक), अत्यधिक क्षति जोखिम क्षेत्र बी (180 कि.मी. प्रति घंटा से अधिक) तथा अत्यधिक क्षति जोखिम क्षेत्र ए (198 कि.मी. प्रति घंटा से अधिक)।

एटलस में प्रत्येक राज्य एवं केन्द्रशासित प्रदेश के भूकंप, हवा और तूफान तथा बाढ़ से संवेदनशील क्षेत्रों का मानचित्र आवश्यकतानुसार 1 सेमी = 5, 10 अथवा 25 कि.मी. पैमाने दर्शित है। संपूर्ण भारत के तीन आपदा मानचित्र 1 सेमी = 100 कि.मी. पैमाने पर इस ग्रंथ में उपलब्ध हैं। राज्यवार दर्शित मानचित्रों में सभी जनपद निर्दिष्ट हैं। प्रचार माध्यमों द्वारा सामान्यत: भूकंप तीव्रता रिक्टर स्केल पर बताई जाती है। इसके द्वारा भूकंप के उद्भव-स्थल से मुक्त उर्जा के परिमाण की जानकारी होती है लेकिन मानवीय जीवन, भवन और अन्य निर्मित संरचनाओं पर भूकंप के प्रभाव का आकलन संशोधित मरकाली स्केल द्वारा बखूबी किया जाता है। समभूकंपीय क्षेत्रों को चिह्नित कर विस्तृत भूकंपीय मानचित्र तैयार किया जाता है। प्रस्तुत रिपोर्ट में भी संशोधित मरकाली स्केल के समतुल्य एम एस के 1964 का उपयोग किया गया है। 1 से 12 श्रेणी की इस स्केल को प्रचलित रिक्टर स्केल से भी संबद्ध किया गया है। प्रत्येक जनपद में रिक्टर स्केल पर 5 से अधिक तीव्रता के ज्ञात भूकंपों को भी मानचित्र में दर्शित किया गया। गत दशक तक भारत को पांच प्रमुख भूकंप खंडों में परिभाषित किया गया था। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टेंडर्ड ने 1998 में निम्न कोटि के दो खंडों को विलय कर केवल चार भूकंपीय क्षेत्र अभिनिर्धारित किए हैं। सौभाग्यवश इस मानचित्र का सर्वप्रथम प्रकाशन भी इसी एटलस में समाहित है। इसमें संशोधित मरकाली स्केल के प्रथम छह खंड तक समाहित है जबकि क्षेत्र दो, तीन और चार मरकाली स्केल का क्रमश: सात, आठ एवं नौ और अधिक खंड दर्शित करता है। विदित हो कि मरकाली स्केल में 'बारह' पूर्ण विनाश को दर्शित करता है। एटलस में जिलेवार प्रत्येक आपदा क्षेत्र का वास्तविक परिमाण एवं प्रतिशत दर्शित है। हाल में चेन्नई में रिक्टर स्केल के अनुसार 5.6 तीव्रता का भूकंप आया जबकि भूकंप मानचित्र में चेन्नई को न्यूनतम भूकंप संभाव्य क्षेत्र एक में दर्शित किया गया है। दरअसल भूकंप मानचित्र में नियमित संशोधन करने की आवश्यकता है।

भूकंप स्वयं किसी की जान नहीं लेता। असल काम तो दोषपूर्ण ढंग से बनी इमारतें करती हैं। सुरक्षा संबंधी कानून लागू करने के लिए जागरूकता आवश्यक है। योजनाकारों और भवन-निर्माताओं के लिए भूकंप-मानचित्र प्रमुख मापदंड है।

यह एटलस सभी प्रबुद्ध नागरिकों, योजनाकारों, स्थानीय शासकों, पंचायतों, निकायों के लिए लाभप्रद है। राज्य सरकारों को संबंधित जनपद एवं स्थानीय प्रशासन को इसकी जानकारी उपलब्ध करानी चाहिए। पाठकों को एटलस की कीमत अवश्य अधिक प्रतीत होती होगी लेकिन ग्रंथालय तथा शासन के लिए इसे प्राप्त करना सहज है। संपूर्ण देश की दुर्लभ लेकिन अहम् जानकारी एक साथ उपलब्ध कराना इस ग्रंथ की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 'जिऑग्राफिक इन्फार्मेशन सिस्टम' यानी 'जी आई एस' द्वारा अब आवश्यकतानुसार ब्लाक स्तर तक आपदा मानचित्र तैयार किए जाने चाहिए। राष्ट्रीय दूरसंवेदन एजेंसी (नेशनल रिमोट-सेंसिंग एजेंसी) एवं भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण इस कार्य में अहम् भूमिका निभा सकते हैं। विदित हो कि विगत वर्ष उड़ीसा में आए चक्रवात की जानकारी मिलने में बहुत विलंब हो गया था। सामान्यत: क्षति का आकलन करने के लिए केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के दल घटना के कुछ समय पश्चात ही पहुंच पाते हैं। क्षति का आकलन भी पूर्णत: वैज्ञानिक नहीं होता। भारतीय योजनाकारों को भी प्राकृतिक आपदा द्वारा हुई क्षति का तुरंत परिमाण ज्ञात करने के लिए 'हाजुस' की भांति साफ्टवेयर तैयार करने की नितांत आवश्यकता है। इस प्रकार राहत कार्यक्रम कार्यान्वयन में सुगमता होगी।

भूकंप की निश्चित भविष्यवाणी करना असंभव है लेकिन निरंतर अध्ययनों द्वारा संभाव्य स्थलों को अभिनिर्धारित करना अवश्य संभव है। नागरिकों को भ्रंश, विवर्तनिकी आदि शब्दों से विचलित होने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। अमेरिका एवं जापान में अधिक तीव्रता के भूकंप अक्सर आते हैं लेकिन वहां जान-माल की अधिक हानि नहीं होती। भूकंप स्वयं किसी की जान नहीं लेता। असल काम तो दोषपूर्ण ढंग से बनी इमारतें करती हैं। सुरक्षा संबंधी कानून लागू करने के लिए जागरूकता आवश्यक है। योजनाकारों और भवन-निर्माताओं के लिए भूकंप-मानचित्र प्रमुख मापदंड है। भवन निर्माण के लिए भारत में भूकंप अवरोध प्रणाली 1962 में ही विकसित की गई थी जबकि भवन निर्माण

मानक संहिता 1967 में तैयार कर ली गई थी। संशोधित भवन-निर्माण संहिता 1983 में भूकंप, चक्रवात आदि के आधार पर डिजाइनों का विवरण दिया गया है लेकिन भवन-निर्माताओं पर इनका अनुपालन ऐच्छिक है।

भुज भूकंप के तुरंत बाद शहरी विकास मंत्री जगमोहन ने राजधानी दिल्ली में भूकंप-संबंधी भवन-निर्माण संहिता वैधानिक रूप से लागू करने के लिए स्थानीय नागरिकों को एक माह के अंदर आपत्तियां दर्ज करने का समय दिया था। इसके बाद ही भवन-निर्माण संहिता को वैधानिक तौर पर अधिसूचित किया जाना था ताकि इनका परिपालन अनिवार्य हो। दुर्भाग्यवश डेढ़ वर्ष पश्चात भी स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है जबकि भवन-निर्माण संहिता को पूरे देश में लागू करने की नितांत आवश्यकता है। गौरतलब है कि शहरी आवास-विकास मंत्रालय द्वारा निर्मित गुजरात में सभी बहुमंजिली इमारतें भूकंप से अप्रभावित रहीं। गुजरात आवास बोर्ड द्वारा बनाए गए 40 हजार से अधिक फ्लैटों को भी भूकंप से क्षति नहीं पहुंची। यह शासन द्वारा भवन-निर्माण में गुणवत्ता बनाए रखने का ज्वलंत उदाहरण है। लेकिन स्थानीय शासन द्वारा अनधिकृत भवनों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही नहीं करने से ही अहमदाबाद तथा अन्य शहरों की अनेक बहुमंजिली आवासीय ईकाइयां ध्वस्त हुई हैं। अधिकांश बहुमंजिली इमारतें स्तंभ पर आधारित हैं। भूतल एवं भूमिगत स्थल का उपयोग गैराज अथवा अन्य व्यवसायिक गतिविधियों के लिए होता है। स्टेनफोर्ड विश्वविद्यालय में सिविल इंजीनीयरिंग के प्रोफेसर एडुराडो मेरांडा के अनुसार, 'भूकंप-तरंगों के प्रभाव से इमारत के कॉलम की स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भूतल के अभाव में इमारत का भारी बोझ इन कालमों पर ही पड़ता है।' प्रोफेसर मेरांडा के अनुसार खड़े रहने के लिए मजबूत पैर अनिवार्य हैं। अध्ययन के अनुसार भुज भूकंप की तीव्रता से अहमदाबाद की इमारतें में उनके भार का 6 से 7 प्रतिशत बल उत्पन्न हुआ। मेरांडा के अनुसार अधिकांश इमारतें इस बल द्वारा उत्पन्न दस फीसदी त्वरण (दोलन) को वहन करने में भी असफल रही। मेरांडा इसे अस्वाभाविक मानते हैं। इनके अनुसार सामान्यत: भवन 40 फीसदी तक त्वरण-वहन करने में समर्थ होते हैं। भवन-निर्माण में प्रयुक्त निम्न कोटि की सामग्री उनके ध्वस्त होने का मुख्य कारण है। अहमदाबाद के स्थानीय निवासी भवन-निर्माताओं एवं वास्तुविदों पर बहुत क्षुब्ध हैं। प्रशासन ने भी अनेक भवन-निर्माताओं तथा उत्तरदायी अधिकारियों पर हत्या के मुकदमें दायर किए हैं। उत्तर प्रदेश शासन ने भी निजी भवन निर्माताओं को आवश्यक मापदंड अपनाने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इनका अक्षरत: पालन नहीं करने पर शासन ने कड़ी कार्यवाही की चेतावनी दी है। अतएव शासन को अनधिकृत निर्माण से कठोरता से निबटना पड़ेगा। यही समय की मांग है।

भारत सरकार ने नैसर्गिक आपदा से त्वरित गति से निबटने के लिए आपदा-प्रबंधन प्राधिकरण स्थापित किया है। यह स्वागतयोग्य कदम है। इसमें आपदा से निबटने के लिए त्वरित कार्यवाही पर विशेष बल दिया है। स्थानीय लोगों की भागीदारी, पुनर्वास, पुनर्निर्माण और विकास इस प्रक्रिया के अहम् पहलू हैं।

केन्द्रीय मंत्रीमंडल की सुरक्षा मामलों की उपसमिति ने अमेरिका की संघीय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी यानी 'फेमा' की भांति भारत में भी आपदा प्रबंधन एजेंसी गठित करने का निर्णय लिया है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत प्रस्तावित यह संस्था प्राकृतिक एवं अप्राकृतिक, दोनों प्रकार की आपदाओं को निबटने में सक्षम होगी। आतंकवादी कार्यवाही भी भीषण आपदा को जन्म देती है। विगत 11 सितम्बर को न्यूयार्क के ट्रेड सेंटर के विध्वंस एवं 13 दिसम्बर को भारतीय संसद में हुए आत्मघाती हमले के उपरांत आतंकवादी आपदा के दुष्परिणाम से निबटने की आवश्यकता अनुभव हुई। मलबे में फंसे व्यक्तियों को बचाने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है। प्राकृतिक आपदाओं— भूकंप, तूफान, बाढ़ आदि द्वारा जान-माल को अपार क्षति होती है। केन्द्र ने सभी राज्यों को पुलिस के विशेष दल गठित करने का निर्देश दिया है। इन्हें आतंकवादियों से निबटने के साथ अन्य आपदाओं से भी निबटने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।

कर्नाटक राज्य के अग्निशमक, होम-गार्ड एवं नागरिक-सुरक्षा विभाग ने सभी प्रकार की आपदाओं से निबटने के लिए कार्यरूप तैयार कर संस्तुति के लिए राज्य सरकार को भेजा है। रिपोर्ट में जनपद और ताल्लुक स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों की अध्यक्षता में स्थाई समिति गठित करने पर बल दिया गया है। समिति राहत कार्यों के साथ प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए भी उत्तरदायी होगी। रिपोर्ट में आपदा को प्राकृतिक, जैविक एवं नाभकीय— तीन कोटियों में पारिभाषित किया गया है। आपदा-प्रबंधन प्रणाली को वैधानिक और प्रशासनिक मान्यता देने के लिए आपदा-प्रबंधन प्लान एक्ट विधेयक को रिपोर्ट में अनिवार्य बताया है। आपात परिस्थितियों में कार्य करने के लिए राहत एवं अन्य सामग्री की तुरंत आवश्यकता पड़ती है। आपदा-प्रबंधन समिति को इस विषय से निबटने के लिए स्वायत्तता दी जानी चाहिए। सामान्य प्रशासनिक नियम, यथा— टेंडर आदि प्रक्रिया को इससे मुक्त रखने की आवश्यकता है। विदित हो कि किसी भी राज्य सरकार द्वारा आपदा-प्रबंधन विषय पर किया गया यह प्रथम प्रयास है। यह स्वागतयोग्य कदम है। आशा है अन्य राज्य भी शीघ्र ही आपदा नियंत्रण कार्यदल गठित करेंगे। ❑

(लेखकद्वय स्वतंत्र पत्रकार हैं।)

मानवाधिकार और जनजातीय समुदाय अभावग्रस्तता एवं विकास की समस्याएं

○ प्रेम नारायण पाण्डेय

जनजातियां विश्व स्तर पर सामान्यतः एवं तृतीय-विश्व देशों में विशेषकर एशिया, अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिका में सर्वाधिक अभावग्रस्त है। यह अभावग्रस्तता इनके स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक पुनर्वास और सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों में स्पष्ट दीख पड़ती है। जनजातियों को उत्पीड़न, शोषण तथा अभावग्रस्तता से मुक्ति दिलाने तथा राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के उपायों की लेख में चर्चा है।

मानवाधिकार, सामाजिक विकास एवं सामाजिक न्याय की अवधारणा एक कल्याणकारी अभिगम की उपज है जो द्वितीय विश्व युद्ध (1939-45) के बाद आविर्भूत हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर, 1946 को अस्तित्व में आया और इसकी सामान्य सभा ने मानवाधिकार का सार्वभौमिक उद्घोष किया जिसके फलस्वरूप विश्व स्तर पर सदस्य राष्ट्रों ने समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा एवं उन्हें अग्रसर करने का दायित्व ग्रहण किया ताकि सामाजिक, आर्थिक, अभावबोध, निर्धनता, निरक्षरता, कुपोषण, शोषण, व्याधिग्रस्तता दूर कर इन वर्गों के सामाजिक-सांस्कृतिक स्तर को उन्नत किया जाए और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय विकास की धारा से जोड़ा जाए।

जनजातियां विश्व स्तर पर सामान्यतः एवं तृतीय-विश्व देशों में विशेषकर एशिया, अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिका में सर्वाधिक अभावग्रस्त है। यह अभावग्रस्तता इनके स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक पुनर्वास और सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों में स्पष्ट दीख पड़ती है।

तृतीय विश्व देशों में विकास प्रक्रिया ने दुविधा एवं भ्रामकता को जन्म दिया है। इन दुविधाओं को निम्नांकित क्षेत्रों में रेखांकित किया जा सकता है—

1. विकास बनाम सामाजिक एकता।
2. विकास बनाम सांस्कृतिक वैविध्य और
3. विकास बनाम परिस्थितिकीय एवं पर्यावरण संरक्षण।

एक लंबे समय तक भारत में जनजातियां विशेषकर ब्रिटिश शासन काल तक प्रायः 'आदिम जाति', 'जनजाति', 'आदिवासी' जैसे नामों से संबोधित होती रहीं। मजुमदार (1961) ने इन्हें क्षेत्रीय, स्थानिक समूह के रूप में व्याख्यायित किया है, जिनकी एक

एक जनजातीय महिला

सामान्य संस्कृति, भाषा, प्रथाएं एवं नातेदारी के नियम होते हैं।

स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान के तहत इन समूहों को अनुसूचित जनजाति के रूप में अंकित किया गया। संविधान का अनुच्छेद 342 भारत के राष्ट्रपति को प्राधिकृत करता है कि वे विभिन्न प्रदेशों के राज्यपालों से परामर्श कर अनुसूचित जनजातियों की सूची जारी करें। इस प्रकार भारतीय संविधान की अनुसूची 5 एवं अनुसूची 6 द्वारा भारतीय जनजातियां निर्धारित एवं नियंत्रित हैं। अनुसूची 5 के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर अन्य सभी प्रदेशों की जनजातियां संलग्न हैं। अनुसूची 6 के तहत असम, मेघालय, अरुणाचल, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम एवं त्रिपुरा की जनजातियां अनुशंसित हैं। जनांकिकीय दृष्टिकोण से 1991 की जनगणना में इनकी जनसंख्या 6.77 करोड़ थी जो वर्तमान में 8.00 करोड़ के ऊपर है। ऐतिहासिक सर्वेक्षणों से परिलक्षित होता है कि भारतीय जनजातियों में प्रभृति प्रजातीय तत्वों का सम्मिश्रण है; उदाहरणार्थ, पूर्वोत्तर क्षेत्र के अरुणाचल, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर और मिजोरम की जनजातियों में मंगोलयाड प्रजातीय तत्वों का समावेश स्पष्ट प्रतीत होता है। मध्य भारतीय परिक्षेत्र की जनजातियों में, विशेषकर बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र की जनजातियों में निग्रिटों प्रजातीय तत्वों का समावेश झलकता है।

जनजातीय क्षेत्रों में समय-समय पर उभरते आंदोलन, अशांत और उग्रवादी, अलगाववादी, आवाजें निस्संदेह क्षेत्र विशेष से उभरने वाले संरचनात्मक एवं पारिस्थिकीय तनावों एवं असंतुलनों की उपज है। पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय समुदायों पर ईसाई मिशनरियों का सर्वप्रथम प्रभाव पड़ा। इन समुदायों में द्वितीय विश्वयुद्ध के दौर में जापानी सेना के विरुद्ध ब्रिटिश सेना का समर्थन किया।

पुनः चूंकि ये म्यांमार, चीन और अन्य पार्श्व देशों के संपर्क में रहे, इन्होंने भारतीय गणतंत्र से अलग एक पृथक राज्य की मांग उठाई। इसके लिए इन प्रदेशों की सामाजिक परिस्थितिकी प्रासंगिकता जिम्मेदार है। नक्सली आंदोलन, इसी प्रकार नागा, मिजो और त्रिपुरा तथा मणिपुर के आंदोलन इसका ज्वलंत उदाहरण है। बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के आंदोलन निस्संदेह पृथकतावादी एवं अलगाववादी है। दार्जिलिंग में गोरखा मुक्ति मोर्चा आंदोलन, बिहार से छोटा नागपुर (अब झारखंड प्रदेश) का झारखंड आंदोलन और मध्य प्रदेश के गोंडवानालैंड के संथाल एवं गौड़ आंदोलन जिनका मुख्यालय बस्तर है, पृथक राज्य मूलक आंदोलन हैं।

भारतीय जनजातियों का जनांकिकीय दृष्टिकोण से सर्वाधिक घना क्षेत्र या जनजातीय आवासन-पट्टी मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा को एक साथ जोड़कर देखी जा सकती है। इस क्षेत्र में साक्षरता दर एवं जीवनोपयोगी वस्तुओं और संसाधनों की सुलभता की प्रकृति बहुत निराशाजनक है, या यों कहें हतप्रभ करने वाली है, जहां बहुसंख्यक जनजातियां अमानवीय जीवन बसर करती हैं तथा वन्य जीव-जंतु, फल-फूल एवं जड़ों को खाद्य के रूप में ग्रहण करती हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के 5 दशकों में बहुतेरी योजनाएं, परियोजनाएं, कार्यक्रम एवं नीतियां इन अति पिछड़े एवं कमजोर वर्गों की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक दशाओं में सुधार एवं उत्थान लाने हेतु केन्द्रीय शासन एवं राज्य शासन द्वारा अनुमोदित एवं संचालित हुई। दुर्भाग्यवश इन योजनाओं के परिणामों का आकलन रुपयों की लागत के आधार पर किया गया, मानवीय दशाओं एवं जीवन-स्तर की प्रकृति में होने वाले गुणवत्तामूलक सुधार की मात्रा के आधार पर नहीं। ऐसी शासकीय आख्याएं उत्तरोत्तर यथार्थता से परे भ्रामकता को ही बढ़ावा दी है। (महापात्र 1968, 1982, बर्मन 1989, सच्चिदानन्द 1992, ए.के. सिंह 1996)।

प्रस्तुत शोध-पत्र में जनजातीय समुदायों की विकास प्रक्रियाओं एवं कार्यक्रमों से संबंधित प्रमुख समस्याओं एवं अवरोधों का अवलोकन एवं विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है।

जनजातीय क्षेत्रों में समय-समय पर उभरते आंदोलन, अशांत और उग्रवादी, अलगाववादी, आवाजें निस्संदेह क्षेत्र विशेष से उभरने वाले संरचनात्मक एवं पारिस्थिकीय तनावों एवं असंतुलनों की

विकास कार्यक्रमों में अवरोध

जनजातीय विकास कार्यक्रमों के सर्वेक्षण से परिलक्षित होता है कि जनजातीय समुदायों के विकास में मुख्य अवरोध निम्नांकित तथ्यों से सम्बद्ध हैं—

1. सामुदायिक स्तर पर स्वतः प्रबंधन;
2. संसाधनों पर अधिकार एवं नियंत्रण;
3. उत्पादन के साधनों का स्वामित्व।

यह भी एक समाजशास्त्रीय वास्तविकता है कि जनजातीय समुदायों द्वारा स्वतः प्रबंधन एवं संसाधनों तथा उत्पादन-संसाधनों पर नियंत्रण एवं स्वामित्व तब तक अर्थहीन एवं निष्फल होगा जब तक वे निरक्षरता, अनभिज्ञता, ऋणग्रस्तता, निर्धनता, भूमिहीनता, रूग्ण शारीरिक स्थिति, बेरोजगारी तथा तकनीकी-आर्थिक कुशलता के अभाव से ग्रस्त हैं। विकास का राष्ट्रीय परिदृश्य सामान्य रूप से एवं जनजातीय विकास का परिदृश्य विशेष रूप से यह संकेत देता है कि व्यापक विकास परियोजनाएं एवं नियोजन कार्यक्रम बहुधा इन क्षेत्रों में जनजातीय समुदायों को विस्थापित कर या हटाकर ही लागू किए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप उन क्षेत्रों से

जनजातीय विकास सम्पूर्ण राष्ट्र के लिए आवश्यक है

जनजातियों का पलायन हुआ है उन परियोजना क्षेत्रों से जनजातियों का पलायन हुआ है बल्कि उन परियोजना क्षेत्रों में पर्यावरण में गिरावट, पारिस्थितिकीय असंतुलन, वन्यजीव-जंतुओं का क्षय एवं विलय तथा पर्वतों की खुदाई, भू-स्खलन, जंगलों की निर्मम कटाई और विनाश भी परिलक्षित हुआ है। (हेमेन्डार्फ 1685, कल्याण मंत्रालय, प्रतिविदेन 1989) इस प्रकार की विकास प्रक्रिया में एक व्यापक विरोधाभास दीख पड़ता है जिसे समाजशास्त्रीय व्याख्या में निम्नांकित बिन्दुओं पर अंकित किया जा सकता है—

1. विकास के लाभों का बहुसंख्या तक न पहुंच पाना।
2. नौकरशाही एवं क्षेत्रीय प्रशासकों की उदासीनता।
3. अज्ञानता, निरक्षरता एवं अंत:क्रिया की कमी।
4. विकास के दौर में जंगलों का उन्मूलन; जनजातियों का पलायन।
5. विकास के साथ ही जनजातीय सांस्कृतिक विविधता एवं अस्मिता का लोप।

उक्त परिदृश्य आज विकास के नए प्रारूप एवं प्रकृति के नाम पर उभर रहा है। एक तरफ विकासशील समाजों में तथा भारत में द्रुतगामी तकनीकी, आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए नई योजनाओं और विकास परियोजनाओं को लागू करने की व्याकुलता है, तो दूसरी तरफ परिस्थितिकीय व्यवस्था में असंतुलन और पर्यावरणात्मक ह्रास का भय चेतावनी दे रहे हैं।

पृथक राज्य की मांग को लेकर उभरने वाले क्षेत्रवादी आंदोलन और उनकी आवाजें, चाहे असम में बोडो आंदोलन हो, नगालैंड में नागा लिबरेशन फ्रंट हो, मणिपुर में मणिपुर पीपुल्स आर्मी हो, त्रिपुरा लिबरेशन टाइगर हो, बिहार (झारखंड) का झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र से उभरी मांग (अब उत्तरांचल) हो, या दार्जिलिंग का गोरखा मुक्ति मोर्चा आंदोलन हो, वस्तुत: संरचनात्मक तनाव या विद्रूपित एकतरफा विकास और संसाधनों तथा शक्ति के असमान वितरण की उपज हैं। दूसरे शब्दों में इसे आर्थिक और सामाजिक संसाधनों की पहुंच से वंचन या दुराव के रूप में देखा जा सकता है। (पाण्डेय 1988, 1998, 2001)। स्वायत्तशासी विकास परिषदों की स्वीकृति एवं मान्यताएं जो केन्द्र सरकार ने कुछ प्रदेशों में दे रखी है, वास्तव में जल्दबाजी में उठाया हुआ दूरदृष्टिहीन कदम है जो विघटनात्मक भी है, क्योंकि केन्द्रीय शासन-तंत्र में जुड़े क्षेत्रीय दल स्वयं ही संकीर्ण स्वार्थों और क्षेत्रीय अस्मिताओं से जुड़े राजनीतिक दल हैं।

समकालीन परिदृश्य

जनजातीय असंतोष एवं हिंसा की प्रवृत्तियों में एक उभार दिख रहा है और बहुतेरे राज्य इसके शिकार हैं। अनुसूचित जनजातियों के ऊपर हो रही हिंसाएं, उनका दोहन और शोषण प्राय: सामान्य घटनाओं की तरह ही दृष्टिगोचर होने लगा है। भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन (विशेषकर 1995-96 से लेकर 2000 तक के) यह प्रदर्शित करते हैं कि अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध गैर-अनुसूचित जातियों द्वारा हिंसा की घटनाओं में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है।

शोषण, दोहन और उत्पीड़न से बचाव के लिए जो संवैधानिक प्रावधान बने हैं उनका उपयोग भी शिथिल रहा है। विगत पांच दशकों के अनुभव दर्शाते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के प्रयोग और व्यवहार को निषिद्ध घोषित करता है और इस आशय की प्राप्ति के लिए ही 'सिविल राइट्स प्रोटेक्शन' एक्ट 1955 में पारित हुआ। इस अधिनियम के तहत 7000 से अधिक मामले पंजीकृत हुए जो आज भी विभिन्न न्यायालयों में लंबित पड़े हैं। 1990 के दशक की शुरुआत में, विशेषकर 1993 में पुलिस द्वारा 1600 मामले जो रजिस्टर्ड हुए थे उनका विधिवत निस्तारण ही नहीं हुआ। यही वस्तुस्थिति अनुसूचित जाति एवं जनजाति उत्पीड़न निवारण अधिनियम 1989 की है। इस अधिनियम को बड़े उत्साह के साथ पारित किया गया ताकि समाज के इस निर्बल वर्ग को विशेष पोषण प्रदान किया जा सके। इस अधिनियम के तहत किसी भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी को जो अनुसूचित जाति या जनजाति का न हो तथा

इस अधिनियम की उपेक्षा कर रहा हो, 6 मास से 1 वर्ष की सजा का प्रावधान है किंतु अंतर्निहित विधिक त्रुटियों के परिणामस्वरूप बहुतेरे राज्यों ने इस अधिनियम की खिल्लियां उड़ाई। इस नियम के तहत अनुसूचित जातियों/जनजातियों से संबंधित उत्पीड़न मामलों का वार्षिक प्रतिवेदन पार्लियामेंट की टेबुल पर प्रस्तुत करने का प्रावधान रहा है। जिसमें अब तक मात्र 1990 का वार्षिक प्रतिवेदन कल्याण मंत्रालय द्वारा 1993 में किसी तरह प्रस्तुत किया जा सका। वस्तुस्थिति दर्शाती है कि यह अधिनियम स्वत: निष्क्रिय हो चुका है। 1993 में पार्लियामेंट के टेबुल पर प्रस्तुत उक्त प्रतिवेदन के तथ्यों से यह भी परिलक्षित होता है कि लगभग 90 प्रतिशत आपराधिक मामले जो अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध किए गए, छह राज्यों—गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान से संबंधित थे (महादेव, गाडबोले, 1997)। आंध्र प्रदेश और राजस्थान की सरकारों ने विशेष न्यायालयों की स्थापना कर अनुसूचित जनजातियों के आपराधिक मामलों की त्वरित रूप से कार्रवाई के प्रयास किए जबकि अन्य प्रदेशों ने जिला स्तर पर सत्र न्यायाधीशों को विशेष अदालतों से संबद्ध किया। किंतु वर्तमान परिदृश्य में न्यायिक विधाओं के संपादन में हो रहा विलंब और उदासीनता निष्क्रियता का ही संकेत दे रहे हैं।

उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में 1996 में 1100 मामलों से अधिक जो इस अधिनियम के तहत दर्ज किए गए थे, सरकार द्वारा वापस कर दिए गए और राष्ट्रीय स्तर पर इसकी आलोचना प्रारंभ हुई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग भी बहुतेरे संवेदनशील मामलों में तटस्थ दीख पड़ते हैं। अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित राष्ट्रीय आयोग ने पांच प्रदेशों—आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु में व्यापक सर्वेक्षण विगत वर्षों में कराया और यह जानने का प्रयास किया कि इन कमजोर वर्गों के दोहन और उत्पीड़न में वृद्धि क्यों हो रही है जबकि बहुतेरे संवैधानिक सुरक्षा एवं सामाजिक आर्थिक विकास कार्यक्रम लागू हैं। कमीशन ने बहुतेरे क्षेत्रों को निर्दिष्ट किया और अपनी संस्तुतियां भी प्रस्तुत की ताकि इन्हें उत्पीड़न के विरुद्ध सुरक्षा और उपचार मिल सके। किंतु एक दशक व्यतीत होने के बाद भी परिणाम नगण्य रहे।

वास्तव में जनजातीय क्षेत्रों में विकास योजना प्रक्षेपित करने के पहले वहां का सघन एवं विस्तृत अध्ययन सामाजिक पारिस्थितिकीय दृष्टिकोणों से करना आवश्यक है। भारत में जनजातीय समुदायों पर अध्ययन एवं शोध की कमी नहीं है। उपनिवेश काल के प्रशासकों और विशेषकर आदिम संस्कृति के अध्येताओं द्वारा किए गए अध्ययनों, जैसे—पूर्वी भारत का एच.आर. रिजले द्वारा किया गया सर्वेक्षण, दक्षिणी भारत की जनजातियों का एडगर थर्सटन द्वारा किया गया अध्ययन और मध्य भारतीय जनजातियों का एल.एस.एस.ओ. मैले एवं आर.वी. रसैल द्वारा किया गया अध्ययन भारतीय जनजातियों के जीवन और समाज के विषय में प्रारंभिक प्रयास रहें। स्वतंत्रता के बाद विशेषकर, 1970 और 1980 के दशकों में जनजातीय समुदायों पर बड़े महत्वपूर्ण अनुभवात्मक अध्ययन हुए, जिनमें अनुसूचित जनजातियों के विकास से जुड़ी समस्याओं एवं अवरोधों को स्पष्ट करने के विशेष प्रयास हुए। इस दिशा में एन.के. बोस (1978), एल.के. महापात्र (1968, 1982), राम बर्मन (1984, 1985, 1989), शर्मा (1989), हैमेण्ड डार्फ (1985), घनश्याम साह (1990), सच्चिदानन्द (1964, 1965, 1967, 1968, 1992) और अभी हाल ही में ए.के. सिंह (1996) के जनजातीय अध्ययनों का उल्लेख प्रासंगिक होगा। उपर्युक्त के अलावा अनुसूचित जातियों के विकास एवं कल्याण के संदर्भ में भारत सरकार के तत्वावधान में भी कुछ अध्ययन कराए गए जिनमें नियोजन प्रक्रिया में व्याप्त दोषों का संकेत किया गया, जिसमें कहा गया कि विभिन्न राज्यों ने जनजातीय विकास क्षेत्र में विकास के विभिन्न स्तरों पर प्राथमिकताएं प्रदर्शित करने में उदासीनता दिखाई है, विभिन्न राज्यों में विगत वर्षों में जैसा क्षेत्रीय विकास अभिगम लागू किया गया है, वह भी दोषमुक्त नहीं है। इन क्षेत्रों में संसाधनों का विकास हुआ है, किंतु वहां के लोगों के जीवन स्तर पर उसके प्रभाव/कुप्रभाव को देखने का प्रयास नहीं किया गया। मेरे स्वयं के निर्देशन में कुछ अनुभवात्मक सर्वेक्षण एवं अध्ययन जो पी-एच.डी. शोध छात्रों द्वारा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद और बिहार के पाकुड़ जनपद में संचालित हुए, उनसे परिलक्षित होता है कि जनजातीय समुदायों के विकास हेतु निम्नांकित पहलुओं पर विशेष दबाव आवश्यक है—

1. जीवन रक्षा संबंधी वस्तुओं जैसे—भोजन, आवास, स्वास्थ्य और उत्पादन की सहज सुलभता एवं वितरण प्रणाली के प्रसार में वृद्धि।
2. जीवन स्तर में उत्थान—विशेषकर आय, नौकरी, साक्षरता दर तथा सांस्कृतिक एवं मानवीय मूल्यों में वृद्धि।
3. जनजातीय को दासता, बंधुवापन, आर्थिक परावलंबन और बिचौलियों द्वारा शोषण से मुक्त करना।

यह साक्षरता-वृद्धि तथा अच्छी शिक्षा-व्यवस्था के अवसरों में वृद्धि द्वारा ही संभव है क्योंकि शिक्षा की भूमिका विकास को यथार्थ रूप प्रदान करने में उपकरणीय महत्व की होती है। वाल्टर फर्नांडीज (1985) ने अपने अध्ययनों में इस बात पर जोर दिया कि विकास का आकलन जीवन की गुणवत्ता में उत्थान, सांस्कृतिक विकास, सामाजिक न्याय, राजनीतिक जागरूकता और सशक्तिकरण के माध्यम से प्रमाणित होना चाहिए। जनजातियों में यह तभी संभव है जब राज्यों के प्रशासक, परियोजना-अधिकारी, सामान्य बुद्धिजीवी वर्ग इन निरीह

आदिम लोगों से निष्ठा भाव के साथ अंत:क्रिया में जुड़े। साथ ही अधिकारी तंत्र में त्याग और सहयोग की भावना विकसित हो। दुर्भाग्यवश बहुतेरे जनजातीय क्षेत्रों में इनका अभाव है।

शिक्षा क्षेत्र में अवरोध

भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित बहुतेरी शोध-परियोजनाओं के अध्ययन से परिलक्षित होता है कि इस दिशा में उदासीनता व्याप्त रही है। विस्तृत रूप से इन्हें निम्नांकित बिंदुओं के तहत व्यक्त किया जा सकता है—

1. जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा के प्रभाव, रोजगार एवं स्वत: रोजगार की दिशा में संवेदनशून्यता।
2. टी.एस.पी. एरिया में अपर्याप्त आधारभूत सुविधाएं।
3. जनसंख्या और क्षेत्र के अनुपात में स्कूलों की अपर्याप्तता।
4. स्कूलों से अनुसूचित जातियों के बच्चों के पलायन में आर्थिक मजबूरी और दारिद्रय का प्रमुख होना।
5. जनजातीय क्षेत्रों के विद्यालयों में नियुक्त अध्यापकों में प्रशिक्षण और उत्प्रेरणा की कमी।
6. शिक्षा पाठ्यक्रमों में कृषकीय एवं व्यवसायगत पहलुओं का अभाव।
7. विभिन्न जनजातीय क्षेत्रों में परिस्थितिकीय मांग के अनुरूप आश्रम-पद्धति, आवासीय विद्यालयों की कमी।
8. अनुसूचित जनजातियों के बच्चों के मां-बाप में व्याप्त उदासीनता और शिक्षा की प्रबलता के प्रति अनभिज्ञता।

भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित शोध-परियोजनाओं में विकास समस्याओं से जुड़े इसी प्रकार के निष्कर्ष मिले हैं।

9. संवादहीनता, संचार का अभाव, संपर्क मार्गों की कमी तथा यातायात समस्याएं।
10. सरकारी प्रयासों के साथ स्वयंसेवी संगठनों (एन.जी.ओ.) की भूमिकाएं जनजातीय गांव को ग्रामीण-नगरीय एवं आधुनिक समाज के औद्योगिक क्षेत्रों के शिक्षित एवं सुसभ्य लोगों के साथ जोड़ने, जनजातियों के साथ अंत:क्रिया स्थापित करने, और प्रेरणामूलक अवसर प्रदान करने में कहीं-कहीं विशेष प्रभावी हुई हैं।
11. जनजातिय क्षेत्रों में संचालित परियोजनाओं के ठेकेदार, बिचौलिए, दलाल तथा विकास कार्यक्रमों से जुड़े अधिकारी-वर्ग की भूमिकाएं बहुधा स्वार्थगत लाभ की प्रेरणाओं द्वारा प्रभावित पाई गई जिसके फलस्वरूप जनजातीय समुदायों में भय, अलगाव और पृथकता की प्रवृत्तियां कायम हुईं। क्योंकि इन जनजातियों के ये लोग उनकी भूमि, संसाधन और सामान का अधिग्रहण करने वाले दिखाई पड़ते हैं। इन कारणों से जनजातीय समुदाय के लोगों का अधिकारियों, प्रशासकों, ठेकेदारों और विकास कार्यक्रमों के अभिकर्त्ताओं से सही लगाव नहीं हो पाता। जिन क्षेत्रों में परियोजनाएं चल रही हैं, वहां बहुतेरे जनजातीय परिवारों ने परियोजना के ठेकेदारों द्वारा शोषण, दोहन और विश्वासघात की घटनाओं का संकेत दिया है।

जनजातीय विकास से जुड़ी उपर्युक्त समस्याओं, कठिनाईयों और बाधाओं के अतिरिक्त दूसरे अवरोध और समस्याएं भी हैं जिन्होंने जनजातीय क्षेत्रों में विकास की गति धूमिल की है, जैसे (1) भौगोलिक और परिस्थितिकीय अवरोध तथा संपर्क-मार्गों की कमी जनजातियों और विकास कार्यकर्त्ताओं के बीच संवादहीनता की स्थिति पैदा करती है। अत: विकास से संबंधित प्राय: झूठे तथ्य और कागजी अभिलेख प्रस्तुत किए जाते हैं। (2) जनजातियों में विकास, प्रौद्योगिकी और संगठनात्मक क्रियाकलापों के प्रति स्वयं की दृष्टि का अभाव। (3) जनजातीय समुदायों में उन्मेष तथा सांस्कृतिक प्रेरणा की कमी। (4) राजकीय अभिकरणों तथा स्वयंसेवी संगठनों द्वारा चलाए जाने वाले कार्यक्रमों में उभयनिष्ठ क्रियाकलाप द्वारा उत्पन्न भ्रामकता। जनजातीय परिवेश की दृष्टि से कुछ कार्यक्रम परिस्थितिक सहिष्णुता एवं सांस्कृतिक संवेदनशीलता के विरुद्ध है और जनजातीय लोगों के विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। ऐसी स्थिति में विकास कार्यक्रमों में प्रारंभिक स्तर पर रूपांतरण आवश्यक है ताकि जनजातीय विविधता, विशिष्टता और क्षेत्रीय पहचान कायम रहे और उनका पुनर्सृजन होता रहे।

निष्कर्ष

जनजातीय समुदायों की विकास समस्याओं एवं अभावबोध के पहलुओं पर प्राप्त अनुभवात्मक दृष्टियों, अवलोकनों और तथ्यों के विश्लेषण से परिलक्षित होता है कि जनजातीय विकास का समकालीन क्षेत्रीय परिदृश्य हतोत्साही है। बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश जैसे सघन बसाव वाले जनजातीय क्षेत्र जटिल समस्याओं से ग्रस्त हैं। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध परियोजना के विरुद्ध मेधा पाटकर की आवाज और उत्तरांचल में टिहरी बांध के विरुद्ध पर्यावरणविद् सुन्दरलाल बहुगुणा की कोशिशों की अनदेखी नहीं की जा सकती। इन क्षेत्रों की बहुतेरी जनजातियां घोर निर्धनता, निरक्षरता, ऋणग्रस्तता, भूमिहीनता, स्थानीय पृथकत्व, बेरोजगारी, दीन-हीन स्वास्थ्य दशाएं, बीमारी और बढ़ती मृत्यु दर जैसी दुर्दम्य व्याधियों के साथ अमानवीय जीवन-निर्वाह दशाओं का सामना कर रही हैं।

असम, अरुणाचल, मेघालय, नगालैंड, मिजोरम में सेना ने मोर्चे के रूप में स्थान ले रखा है। बिहार जनजातीय में आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से स्वायत्त सत्ता के लिए विशेष गर्म होता नजर आ रहा है।

इसी प्रकार विकास के मोहपाश से भंग होते असंतोष की प्रवृत्ति उत्तर प्रदेश में भी दिखाई पड़ रही है। भारतीय राजनीतिक एवं सामाजिक संरचना का अवलोकन यह संकेत देता है कि जनजातीय विकास की समस्याएं केवल उन्हीं की समस्याएं नहीं हैं, वे संपूर्ण राष्ट्र के लिए विपदामूलक एवं भयावह स्थिति पैदा कर सकती हैं। समय रहते इनका समाधान नहीं हुआ तो जनजातीय समुदायों में उभरता असंतोष राष्ट्रीय एकीकरण के सामने जटिल समस्याएं पैदा कर सकता है।

विकास समस्याओं के यथोचित समाधान के लिए जनजातियों में साक्षरता दर बढ़ाकर व्यापक जागरूकता लानी होगी और समुदाय-प्रबंधन में उनकी संलग्नता स्थापित करनी होगी। उत्पादन-संसाधनों पर उनका अपना नियंत्रण और स्वामित्व अपरिहार्य आवश्यकता है। परियोजनाओं की स्थापना के दौर में हटाए गए जनजातीय समुदायों का यथोचित पुनर्वास एक अपेक्षित आवश्यकता है। साथ ही शिक्षा, मनोरंजन, रोजगार के अवसरों तक इनकी सहज पहुंच थी उनमें उभरते असंतोष, आक्रामकता और पृथकतावादी आंदोलनों की समस्या हल करने में सार्थक होगी। जनजातीय क्षेत्रों में केवल शिक्षा, नौकरी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की दिशा में दिया गया आरक्षण घातक, अवगुणमूलक एवं गुणवत्ता से परे सिद्ध हुआ है क्योंकि आरक्षण का लाभ पाए गिने-चुने लोग स्वयं के समुदाय में ही अभिजात बनकर विशिष्ट जन के रूप में विभेदीकरण पैदा करते हैं। वर्तमान में बहुसंख्यक जनजातियों को विकास के दायरे में लाने की आवश्यकता है। आरक्षण के माध्यम से कोटा-निर्धारण सैद्धांतिक स्तर पर चाहे लाख उपयोगी हो, व्यावहारिक स्तर पर यह हमेशा अभाव और विभेदीकरण को बढ़ावा देता है। जनजातियों के एक बड़े हिस्से की भूख मिटाने में यह अक्षम है। आरक्षण एवं कोटे की संवैधानिक स्वीकृति ने न केवल जनजातियों में विभेद पैदा किया है, समकालीन ग्रामीण-नगरीय एवं आधुनिक विकसित क्षेत्रों की उच्च हिंदु जातियों की आंखों में भी यह खटक रहा है। इस वस्तुस्थिति में समसामयिक आवश्यकता यह है कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों में आवासित बहुसंख्यक जनजातीय जनसंख्या के लिए भोजन, वस्त्र, पुनर्वास, रोजगार की व्यवस्था हो और यह कार्य साक्षरता वृद्धि दर बढ़ाकर एवं विकास कार्यों से जुड़े अधिकारी-तंत्र एवं जनजातियों के बीच सहज अंत:क्रिया स्थापित करके ही संभव है।

सुझाव

जनजातीय समुदाय की अभावग्रस्तता और विकास समस्याओं के सर्वेक्षण के आधार पर निम्नांकित सुझाव दिए जा सकते हैं जिनका यथोचित क्रियान्वयन इन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ने और अभावमुक्त करने में विशेष उपयोगी हो सकता है:—

1. वैकल्पिक संगठन एवं गैर-सरकारी समितियों का आयोजन, जो स्वयं में जनजातीय लोगों द्वारा प्रस्थापित और संचालित हो। ऐसे संगठनों को विकास कार्यक्रमों में सहभागिता के लिए प्रोत्साहित किया जाना उपयोगी होगा।
2. जनजातीय क्षेत्रों में आधारभूत संरचना, मार्ग, पेयजल सुविधा, यातायात, चिकित्सा सुविधा आदि की सुलभता।
3. सामुदायिक संगठन तथा जनजातीय लोगों को सामान्य संसाधन की सतत सुविधा।
4. औपचारिक, अनौपचारिक शिक्षा से सामाजिक जागरूकता का उत्तरोत्तर प्रयास और साक्षरता विकास कार्यक्रम को उत्तरोत्तर बढ़ावा।
5. प्राकृतिक जल संसाधनों, वन्य फल-फूल, जीव-जंतु तथा जनजातियों द्वारा प्रयुक्त प्राकृतिक संसाधनों को कायम रखना।
6. जनजातियों की पारंपरिक प्रथाओं, अभ्यासों और नियमों आदि से जुड़ी विशिष्टताओं को कायम रखने हेतु विशेष सुविधाएं।
7. जनजातीय क्षेत्रों में विकास प्राथमिकताओं के निर्धारण में क्षेत्र विशेष की जनजातियों की सहभागिता सुनिश्चित करना।
8. जनजातीय विकास के लिए निर्धारित अनुदानों का दूसरे क्षेत्रों में प्रवाहन रोकना और निर्धारित उपयोग अवधि की समाप्ति के बाद भी उन्हीं क्षेत्रों में व्यय किया जाना।
9. साक्षर एवं सचेष्ट जनजातीय समुदायों के लोगों को विकास कार्यों के संचालन और मूल्यांकन में संलग्न करना, ताकि परियोजना के ठेकेदारों, बिचौलियों और सरकारी अधिकारियों द्वारा शोषण और दोहन से उन्हें बचाया जा सके।
10. जनजातीय विकास एवं कल्याण कार्यक्रमों में संलग्न समूहों और उनके प्रतिनिधियों को संतोषजनक विकास कार्य एवं सेवाएं अर्पित करने के फलस्वरूप विशेष पारितोषिक दिया जाना।
11. जनजातीय विकास तथा क्षेत्रीय समस्याओं से संबंधित तथ्यों का वार्षिक संकलन कर पार्लियामेंट की टेबुल पर नियमित प्रस्तुत किया जाना।
12. विकास परियोजनाओं की प्रस्थापना और संचालन के फलस्वरूप वहां के गांवों से उजड़े हुए लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था करना।
13. पीढ़ीगत ऋणग्रस्तता और बंधुआ मजदूर प्रथाओं का समापन।

उपर्युक्त और ऐसे ही समसामयिक उपाय एवं सुझाव जनजातियों को उत्पीड़न, शोषण तथा अभावग्रस्तता से मुक्ति दिलाने तथा राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा से जोड़ने में श्रेयस्कर सिद्ध हो सकते हैं। ❑

(लेखक काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी के समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष हैं।)

भारतीय ग्रेनाइट एवं संगमरमर उद्योग

○ अमर सिंह मेहता

यद्यपि भारत में पत्थर का उपयोग अति प्राचीन काल से किया जा रहा है किंतु इसका बहुआयामी एवं सजावटी उपयोग गत 30-40 वर्षों से ही होने लगा है। संपूर्ण भारत में ग्रेनाइट, संगमरमर, स्लेट, सैंडस्टोन एवं लाइमस्टोन का विस्तृत एवं व्यापक संसाधन विद्यमान है। संगमरमर एवं अन्य पत्थरों के सौ से भी अधिक प्रकार एवं असंख्य रंग उपलब्ध हैं। वास्तव में भारत में ग्रेनाइट एवं अन्य पत्थरों का खजाना है जिस पर हमें गर्व है।

भारतीय ग्रेनाइट एवं संगमरमर न केवल हमारे देश में अपितु विदेशों में भी लोकप्रिय है और इनकी बहुत मांग है। इस मांग में वृद्धि किए जाने की पूरी संभावनाएं विद्यमान हैं। वाशिंगटन (अमेरिका) स्थित वियतनाम वेटेरन मेमोरियल एवं यू.के. स्थित स्वामीनारायण मंदिर भारत के क्रमशः काले ग्रेनाइट एवं सफेद संगमरमर से बने हैं। विश्व के प्रायः सभी देशों में बने अथवा वर्तमान में बनाए जा रहे मंदिरों में मूर्तियां भारत से ही स्थानीय संगमरमर से बनाकर भेजी जाती हैं। इन मंदिरों का स्थापत्य एवं कलात्मक सौंदर्य भी भारतीय संगमरमर और ग्रेनाइट से निखर जाता है।

ग्रेनाइट मुख्यतः कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। हमारे यहां सभी प्रकार के रंगों के ग्रेनाइट मिलते हैं जिनमें कम से कम 15 प्रकार के ग्रेनाइटों ने विश्व बाजार में स्थायित्व प्राप्त कर लिया है। ब्लैक गैलेक्सी, अब्सोल्यूट ब्लैक, रेड मल्टीकलर, पैराडिसो, कश्मीर व्हाइट, इंपीरियल व्हाइट, झांसी रेड, सीरा ग्रे, श्रीकाकुलम ब्लू आदि कुछ उल्लेखनीय किस्में हैं।

भारत में कुशल मानव संसाधन की कमी नहीं है जो ग्रेनाइट एवं संगमरमर आदि दूसरे पत्थरों को अलंकृत रूप देते रहते हैं।

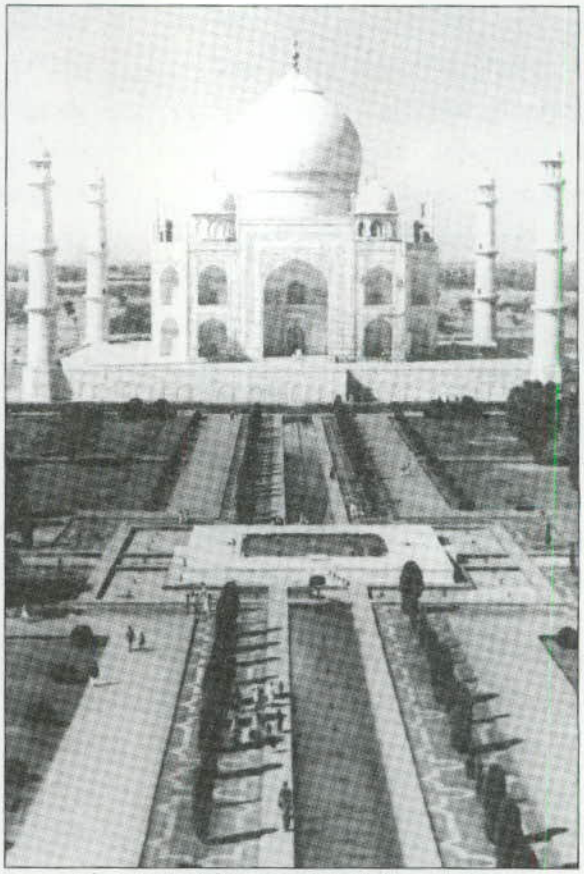

सफेद संगमरमर से बना आगरे का प्रसिद्ध ताजमहल

भारत में ग्रेनाइट की कई आकर्षक श्रेणियां उपलब्ध हैं किंतु उद्योग की ओर विशेष ध्यान नहीं देने के कारण इसका विकास बाधित हुआ है। भारत के भू-गर्भ में प्रस्तर का अक्षुण्ण भंडार है। यदि इसका सफल उपयोग किया जाए तो डूबते निर्यात को उबारा जा सकता है।

भारतीय प्रस्तर उद्योग विदेशों की बढ़ती मांग पूरी करने के लिए सदैव उद्यत एवं तत्पर रहता है। इसी कारण इन पत्थरों के उत्पादन एवं तैयार माल के निर्यात में निरंतर वृद्धि हो रही है। इस वृद्धि में और बढ़ोत्तरी की पर्याप्त गुंजाइश है।

संगमरमर मुख्यत: राजस्थान एवं गुजरात में पाया जाता है। वैसे मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में भी यह उपलब्ध है। भारत का 90 प्रतिशत संगमरमर राजस्थान से प्राप्त होता है। सफेद, हरा, गुलाबी, पीला एवं काला संगमरमर राजस्थान में बहुतायत से उपलब्ध है। हरा संगमरमर बहुमूल्य है। अच्छी किस्म की पालिश की हुई संगमरमर टाइल्स एवं सिल्लियों की मांग विदेशी बाजार में भी है। राजस्थान के मकराना (नागौर जिला) का संगमरमर तो जैन मंदिरों की आज तक शोभा बना हुआ है। अधिकांश जैन मंदिरों को इसी संगमरमरी पत्थर से सुशोभित किया गया है। उल्लेखनीय है कि विश्वविख्यात 'ताजमहल' का निर्माण भी मकराना के संगमरमर से हुआ है। यहां के संगमरमर की लोकप्रियता इसी तथ्य से आंकी जा सकती है कि 'मकराना' संगमरमर का पर्याय बन गया है।

भारत में ग्रेनाइट और संगमरमर के कई छोटे खदान हैं जो लघु उद्योग के अंतर्गत आते हैं। पिछले कुछ वर्षों से इसकी गुणवत्ता एवं उत्पादन में वृद्धि लाने हेतु काम किया जा रहा है। अब कई खदान हैं जहां से प्रतिवर्ष 5000-10,000 घनमीटर ग्रेनाइट निकाले जाते हैं। ऐसे भी खदान हैं जहां से 5-12 घनमीटर के ब्लाक निकलते हैं।

ग्रेनाइट उद्योग की मदद के लिए भारत सरकार ने ग्रेनाइट विकास परिषद का गठन किया है। उद्योगों के विस्तृत अध्ययन एवं सिफारिशों के आधार पर सरकार ने 'ग्रेनाइट संरक्षण एवं विकास अधिनियम 1999' बनाया है। इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकारों को 20-30 वर्षों के लिए पट्टा देने का अधिकार प्राप्त है और वे उतनी ही अवधि के लिए उनका नवीनीकरण कर सकती हैं। इस पट्टे का क्षेत्रफल 1 से 50 हैक्टेयर तक हो सकता है।

इसी तरह रायल्टी एवं डैड-टैक्स संबंधी नियमों में भी इस प्रकार परिवर्तन किया गया है कि उद्योग का विकास हो सके। भारत सरकार शीघ्र ही संगमरमर उद्योग के लिए भी ऐसी ही अधिनियम बनाने जा रही है। ऐसे उदार नियमों से खदान के कामों में वैज्ञानिकता आएगी और इसकी गुणवत्ता एवं परिमाण में वृद्धि होगी। इन उदार नीतियों से अलंकृत प्रस्तर उद्योग आने वाले वर्षों में महत्वपूर्ण कदम रख सकेगा।

योजना आयोग ने खनिज खोज एवं विकास हेतु (कोयला एवं लिग्नाइट के अतिरिक्त) एक कार्यकारी दल गठित किया है। यह दल पत्थर उद्योग संबंधी कार्य देखेगा। इस कार्यकारी दल में खनिज उद्योग के उत्पादन के लिए एक उप-दल है जिसमें खनिज उत्पादों के अध्ययन हेतु सात कमेटियां हैं। अखिल भारतीय ग्रेनाइट एंड स्टोन एसोसिएशन ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श करके इस उद्योग की वर्तमान स्थिति, आधारभूत समस्या, भविष्य की आवश्यकता एवं आगामी दस वर्षों में संभावित विकास पर दृष्टि डालते हुए एक ज्ञापन इस कमेटी के विचारार्थ भिजवाया था। कमेटी तथा कार्यकारी दल ने इस पर विचार विमर्श कर अपनी सिफारिशों के साथ योजना अयोग को प्रस्तुत कर दिया है। रिपोर्ट में उद्योग से संबंधित सभी समस्याओं को रखा गया है और भारतीय स्टोन उद्योग को शक्तिशाली बनाने की सिफारिश की गई है।

भारत में ग्रेनाइट की कई आकर्षक श्रेणियां उपलब्ध हैं किंतु उद्योग की ओर विशेष ध्यान नहीं देने के कारण इसका विकास बाधित हुआ है। भारत के भूगर्भ में प्रस्तर का अक्षुण्ण भंडार है। यदि इसका सफल उपयोग किया जाए तो डूबते निर्यात को उबारा जा सकता है।

केंद्रीय भू-गर्भ योजना बोर्ड ने आयामी स्टोन संबंधी एक कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी ने प्रस्तर संबंधी एक संग्रहालय की स्थापना करने का निर्णय लिया है। यह संग्रहालय हैदराबाद में स्थापित किया गया है। यहां स्टोन के नमूनों का रासायनिक एवं मशीनी परीक्षण भी किया जाता है। यह कमेटी उद्योग के लाभ के लिए विस्तृत जानकारी सहित देश के उन क्षेत्रों का मानचित्र बनाने का विचार कर रही है, जहां स्टोन उपलब्ध है।

ग्रेनाइट विकास परिषद, खान मंत्रालय भारत सरकार ने नेशनल इंस्टीट्यूट आफ राक मैकेनिक्स, कोलार के परिसर में ग्रेनाइट शोध एवं विकास के लिए एक केंद्रीय एजेंसी की स्थापना की है। अपनी पहली मीटिंग में कमेटी ने अनुभव किया कि अलंकारिक प्रस्तरों की खुदाई एवं निर्माण का कार्य वाणिज्यिक पैमाने पर शुरू करने से पहले इन पत्थरों के सारे गुणों की जानकारी प्राप्त की जाए। इसकी प्रयोगशाला में स्टोन के गुणों के निर्धारण हेतु परीक्षण करने की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उद्योग को इन सुविधाओं का पूर्ण उपयोग करना चाहिए ताकि खुदाई एवं निर्माण कार्य में सफलता मिल सके। उपरोक्त संगठन अपने कर्मचारियों को खुदाई, विस्फोटकों का उपयोग, खुदाई के उपकरण के उपयोग आदि क्षेत्रों में अनुभवी कर्मचारियों से प्रशिक्षण दिलवा सकते हैं। इससे खुदाई उद्योग में काफी सहायता मिलेगी।

भारत सरकार के लघु उद्योग विभाग ने संयुक्त राष्ट्र संघ के सहयोग से एक कार्यक्रम बनाया है जिसे स्टोन विकास कार्यक्रम नाम दिया गया है। इसमें आल इंडिया ग्रेनाइट्स एंड स्टोन एसोसिएशन के प्रतिनिधि को भी सम्मिलित किया गया है। यूनिडो ने पांचवे अंतर्राष्ट्रीय ग्रेनाइट

एवं स्टोन मेले का सह-प्रायोजक बनने का निर्णय लिया है। इसमें क्रेता-विक्रेता सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। यह मेला ग्रेनाइट एवं संगमरमर एवं अन्य अलंकारिक स्टोन को प्रोन्नत करेगा।

गत 6-10 फरवरी तक बंगलौर में आयोजित 'स्टोन-2002' में 1200 दुकानें लगाई गईं। एक मोटे अनुमान के अनुसार इस मेले में करीब 25 करोड़ रुपये के आर्डर बुक किए गए। विश्वव्यापी मंदी के दौर एवं आतंकवाद के साये में बने अनिश्चितता के अंतर्राष्ट्रीय वातावरण के बावजूद काफी संख्या में विदेशी प्रतिनिधियों ने भी भाग लेकर इस मेले को और महत्वपूर्ण बना दिया। आगामी स्टोन मेला-2004 भी बंगलौर में ही होगा।

बहुमूल्य ग्रेनाइट उत्पादों, प्राकृतिक प्रस्तर एवं अन्य ग्रेनाइट प्रकारों की रायल्टी में यदि 50 प्रतिशत की छूट दे दी जाए तो इसके निर्यात में काफी सहायता मिलेगी। तकनीकी विकास के साथ-साथ ग्रेनाइट क्षेत्र ने खनिज विकास निधि की व्यवस्था की भी मांग की है जो सर्वथा उचित लगती है। ग्रेनाइट निर्यात से 2400 करोड़ रुपये की आय होती है। फिर भी यह अनाथ पड़ा है। ग्रेनाइट की खुदाई से पर्यावरण को भी कोई हानि नहीं पहुंचती। राज्य की उच्च रायल्टी दर एवं अन्य लागतों ने उद्योग को अपाहिज बना दिया है। साथ ही इन दिनों सरकार से भी कोई सहायता नहीं मिल रही है।

केरल में उपलब्ध हरे ग्रेनाइट पर रायल्टी 50 रुपये प्रति घनमीटर से बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिघन मीटर कर दी गई है। यदि इस उद्योग को विश्व बाजार में सफल प्रतियोगी बनाना है तो रायल्टी में 50 प्रतिशत की छूट दी जानी चाहिए। खनन उपकरण के ड्यूटीरहित आयात से ग्रेनाइट की बर्बादी कम होगी जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन लागत में कमी आएगी।

ग्रेनाइट के क्षेत्र में चीन भारत का बड़ा प्रतिद्वंद्वी है। चीन अपने माल को भारत की तुलना में एक-चौथाई लागत में ही खान से बंदरगाह तक पहुंचा देता है। यहां अन्य खर्चे तो कम हैं ही। साथ ही ग्रेनाइट पर कोई रायल्टी भी नहीं है। यह भी सही है कि चीन में प्रति मजदूर ग्रेनाइट का उत्पादन भारत की तुलना में काफी अधिक है।

भारत में ग्रेनाइट की कई आकर्षक श्रेणियां उपलब्ध हैं किंतु उद्योग की ओर विशेष ध्यान नहीं देने के कारण इसका विकास बाधित हुआ है। भारत के भूगर्भ में प्रस्तर का अक्षुण्ण भंडार है। यदि इसका सफल उपयोग किया जाए तो डूबते निर्यात को उबारा जा सकता है। निर्यातकों को निर्यात होने वाले पत्थरों की गुणवत्ता के प्रति सतर्क रहना चाहिए। चीन अपना तैयार पत्थरों का निर्यात काफी कम कीमत पर करता है। ब्राजील एवं टर्की भी भारत से कम कीमत पर माल बेच रहे हैं। अतएव भारत में लागत व्यय में कमी लाकर विदेशी बाजार में अधिक मात्रा में निर्यात किया जाना चाहिए। वर्ष 1999-2000 के 1540 करोड़ रुपये के ग्रेनाइट एवं संगमरमर निर्यात की तुलना में वर्ष 2000-2001 में 2126 करोड़ रुपये का निर्यात कर 38 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई जो सचमुच सराहनीय है। भारतीय संगमरमर एवं ग्रेनाइट उद्योग का भविष्य उज्ज्वल है। ❑

(लेखक राजस्थान के जनसंपर्क निदेशालय में अतिरिक्त निदेशक रह चुके हैं।)

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास को समर्पित हिंदी मासिक

वार्षिकांक अक्तूबर 2002

बुनियादी सेवाओं की मौजूदा स्थिति का सम्यक और विस्तृत विश्लेषण

वार्षिकांक में शामिल उल्लेखनीय लेख

- **ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, रोजगार, ऊर्जा, तकनीक, यातायात, संचार, ग्रामोद्योगों और कृषि कार्य से जुड़े लोगों के लिए ऋण सुविधा, कृषि और ग्रामोद्योगों के उत्पादों के विपणन की सुविधाएं, पेयजल, स्वच्छता जैसे ग्रामीण जीवनस्तर को प्रभावित करने वाले लगभग सभी विषयों पर स्वतंत्र आलेख।**
- **वरिष्ठ लेखकों द्वारा उपरोक्त विषयों का अलग-अलग गहराई से विश्लेषण । इसमें समूचे स्वातंत्र्योत्तर काल का विश्लेषण करने की कोशिश होगी।**

बढ़ी हुई पृष्ठ संख्या – लगभग 72 पृष्ठों को साथ

इस अंक का मूल्य पंद्रह रुपये मात्र!
अपने निकटतम विक्रेता से लें।

वार्षिक शुल्क : 70 रु., द्विवार्षिक शुल्क : 135 रु. और त्रि-वार्षिक शुल्क : 190 रु. मात्र।
अपना चंदा इस पते पर भिजवाएं :
विज्ञापन और प्रसार व्यवस्थापक
प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड-4, लेवल-7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066

आपका मनीआर्डर, ड्राफ्ट अथवा पोस्टल आर्डर निदेशक, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली को देय हो।

100 करोड़
हिन्दुस्तानियों के प्रतीक

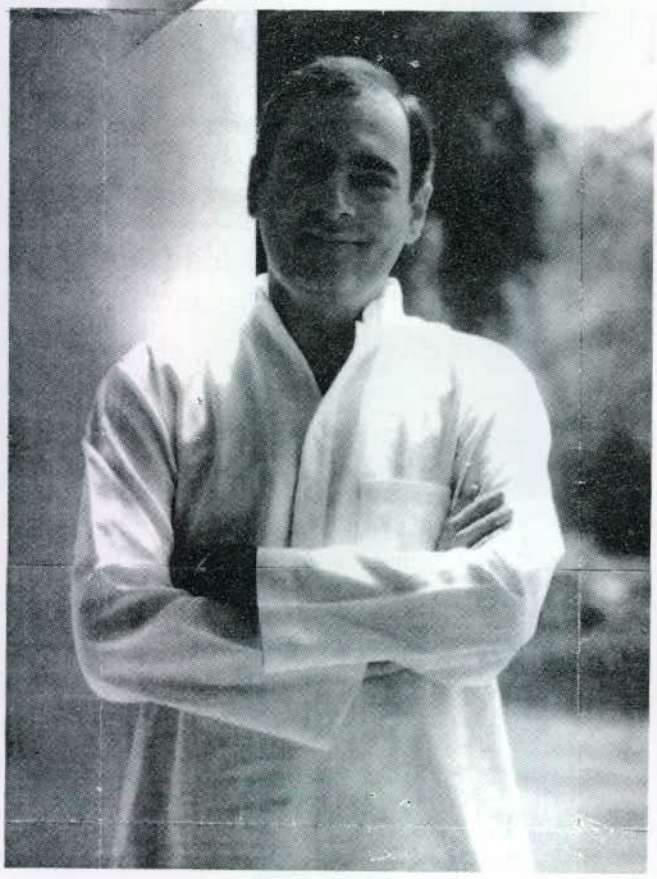

राजीव गांधी के
58वें जन्मदिवस पर
शत शत नमन

दिल्ली
सरकार

सिक्किम : पनबिजली उत्पादन की दिशा में बढ़ते कदम

○ विनय राज तिवारी

अनछुए प्राकृतिक सौंदर्य और जैविक विविधता से समृद्ध राज्य है सिक्किम। भूटान, चीन और नेपाल से घिरा तथा पश्चिम बंगाल के दार्जीलिंग पर्वतीय क्षेत्र के उत्तर में बसा साढ़े पांच लाख से भी कम आबादी वाला यह छोटा-सा राज्य देशी-विदेशी पर्यटकों को बहुत लुभाता है। बर्फ से ढकी पहाड़ी चोटियों, मनोरम घाटियों, उछलती-इठलाती नदियों और वन संपदा से परिपूर्ण यह राज्य पनबिजली का अक्षय भंडार भी है।

पूर्वी हिमालय क्षेत्र में स्थित सिक्किम राज्य में अनगिनत नदियां और झरने हैं जो ग्लेशियरों से निकलते हैं। इनमें पनबिजली के विकास की अथाह क्षमता है। राज्य में तमाम ऐसी नदियां हैं जिनका पानी कभी कम नहीं होता। इनमें *तीस्ता* और *रंगित* प्रमुख हैं जो सिक्किम से होकर पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती हैं। केंद्रीय जल आयोग के एक सर्वेक्षण के अनुसार सिक्किम में लगभग आठ हजार मेगावाट पनबिजली उत्पादन की क्षमता मौजूद है। अकेले *तीस्ता* नदी से ही तीन हजार छह सौ मेगावाट से अधिक बिजली पैदा की जा सकती है। वैसे देखा जाए तो पनबिजली ही सिक्किम में बिजली का एकमात्र साधन है क्योंकि हिमालय पर्वतमाला की भीतरी पहाड़ियों में बसे होने के कारण इस राज्य में न तो खुली घाटियां हैं और न ही मैदान। ऐसे में गैस या फिर कोयले पर आधारित बिजलीघर यहां स्थापित नहीं किए जा सकते।

अनछुए प्राकृतिक सौंदर्य और जैविक विविधता से समृद्ध सिक्किम राज्य में अनगिनत नदियां और झरने हैं। इनमें पनबिजली के विकास की अथाह क्षमता है। केंद्रीय जल आयोग के एक सर्वेक्षण के अनुसार सिक्किम में लगभग आठ हजार मेगावाट पनबिजली उत्पादन की क्षमता मौजूद है।

विशेषज्ञों का मानना है कि तीस्ता नदी से एक के बाद एक छह चरणों की पनबिजली परियोजनाओं द्वारा भरपूर बिजली निकाली जा सकती है। तीस्ता चरण एक से तीन सौ बीस मेगावाट और चरण दो परियोजना से सात सौ पचास मेगावाट बिजली मिल सकती है। तीस्ता चरण तीन परियोजना से तो बारह सौ मेगावाट तक बिजली पैदा की जा सकती है। इसी प्रकार तीस्ता चरण चार से चार सौ पन्चानवे मेगावाट, चरण पांच से पांच से पांच सौ दस मेगावाट और तीस्ता चरण छह परियोजना से तीन सौ साठ मेगावाट बिजली उत्पन्न की जा सकती है।

तीस्ता चरण पांच की पनबिजली परियोजना पर काम पहले ही शुरू हो चुका है। पांच सौ दस मेगावाट वाली यह परियोजना राष्ट्रीय पनबिजली निगम (एन.एच.पी.सी.) द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। इसका निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और इसे सन् 2007 तक पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य है। निगम के इंजीनियरों को आशा है कि वे इसे निर्धारित समय से एक-डेढ़ वर्ष पहले ही पूरा कर लेंगे। करीब ढाई हजार करोड़ रुपयों की अनुमानित लागत से निर्माणाधीन इस परियोजना में जब बिजली का उत्पादन शुरू होगा तो सिक्किम सरकार और एन.एच.पी.सी. के बीच हुए समझौते के अनुरूप राज्य को बारह प्रतिशत यानी लगभग साठ मेगावाट बिजली मुफ्त मिलेगी। सिक्किम सरकार के ऊर्जा सचिव के अनुसार, तीस्ता चरण चार और छह परियोजनाओं

का निर्माण कार्य भी शीघ्र शुरू होने की आशा है।

सिक्किम राज्य के लिए पनबिजली विकास की यह यात्रा लंबी और कठिनाइयों से भरी रही है। इस भूतपूर्व रजवाड़े के मई 1975 में भारतीय संघ में विलय के पहले भी भारत सरकार इसकी पनबिजली क्षमता के विकास में महत्वपूर्ण और आत्मीयता भरी सहायता करती रही है। 27 मई, 2002 को राज्य ने पनबिजली के विकास के पचहत्तर वर्ष पूरे कर लिए। 1927 में सत्ताइस मई के ही दिन गंगटोक के पास लोअर सिच्चे में रानीखोला नाम की एक छोटी-सी नदी के किनारे सिक्किम के पहले पनबिजली घर ने काम करना शुरू किया था। पचास किलोवाट क्षमता वाले इस छोटे से बिजलीघर से मुख्यत: राजपरिवार के सदस्यों और राजधानीवासियों की जरूरतों को पूरा किया जाता था। इस दौर में सिक्किम में पनबिजली क्षेत्र के विकास के मामले में कुछ खास काम नहीं हुआ। सन् 1954 तक राज्य में बिजली-आपूर्ति व्यवस्था के संचालन और देख-रेख का जिम्मा केवल एक फोरमैन और एक बिजली मिस्त्री पर था जो सिक्किम लोक निर्माण विभाग के अधीन काम करते थे।

वर्ष 1957 में बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए और एक वैकल्पिक उपाय के तौर पर भी, गंगटोक में 257 किलोवाट क्षमता का डीजल पावर हाउस स्थापित किया गया। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने पहली अक्तूबर, 1958 को इसका उद्घाटन किया। बाद में इस बिजलीघर में 150 किलोवाट क्षमता का एक और डीजल जेनरेटिंग सेट लगाया गया।

दरअसल, साठ के दशक के शुरुआती वर्षों में ही सिक्किम में बिजली विकास का वास्तविक काम शुरू हो सका। उस समय सिक्किम नरेश ने, जिन्हें चोग्याल कहते थे, भारत सरकार से सांग खोला में *रोंगनीचू* पनबिजली परियोजना के विकास के लिए आमंत्रित किया। इसमें 350-350 किलोवाट की क्षमता वाले छह जेनरेटिंग सेट लगाए जाने थे। इस बिजलीघर का नाम सिक्किम के पहले मुख्य सिविल अभियंता श्री एफ.सी. जाली के नाम पर 'जाली पावर हाउस' रखा गया। इस बिजलीघर में उत्पादन शुरू होते ही पहले के रानीखोला बिजलीघर को छोड़ दिया गया। उसी वर्ष यानी सन् 1965 में सिंगताम और रंगपो नगरों में बिजली पहुंची। उसके तुरंत बाद सन् 1967 में प्रसिद्ध रूमटेक बौद्ध मठ और गंगटोक के पास रानीपुल इलाके में बिजली पहुंची।

रंगित नदी का मनोरम दृश्य

1974 में जब सिक्किम संक्रमण के दौर से गुजर रहा था, यानी जब वह भारतीय संघ में शामिल होने की प्रक्रिया में था, बिजली क्षेत्र की एक अलग पहचान स्थापित हुई। यह एक स्वतंत्र विभाग के रूप में अस्तित्व में आया, सिक्किम लोक निर्माण विभाग से पृथक होकर। तब से राज्य के बिजली विभाग ने लोगों को बेहतर सेवा उपलब्ध कराने के रास्ते में काफी लंबा फासला तय कर लिया है। नतीजतन, यह छोटा-सा राज्य जो कभी केवल तीन मेगावाट बिजली पैदा कर पाता था, आज तैंतीस मेगावाट से अधिक बिजली पैदा करने की स्थिति में है।

तथापि, इस लुभावने चित्र का दूसरा पक्ष भी है। राज्य के नागरिकों को प्राय: हर दिन बार-बार और लंबी बिजली कटौतियों तथा लोड-शेडिंग का सामना करना पड़ता है। एक प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता श्री के.एन. उप्रेती को तो राहत पाने के लिए जनहित याचिका दायर करके सिक्किम उच्च न्यायालय का दरवाजा तक खटखटाना पड़ा। राज्य के वर्तमान बिजली परिदृश्य पर गहरा असंतोष व्यक्त करते हुए श्री उप्रेती कहते हैं कि बिजली विभाग के अधिकारियों के तमाम दावों के विपरीत राज्य का मेगावाट बिजली उत्पादन दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाता। उनका कहना है कि यदि एन.एच.पी.सी. का *रंगित* पनबिजली घर और भूटान का *चुक्खा* बिजलीघर बिजली नहीं देते तो राज्य में बिजली की स्थिति और खराब होती।

राज्य के ऊर्जा सचिव श्री पी.पी. खरेल इस बात को स्वीकार करते हैं कि राज्य में बिजली की कुल उत्पादन क्षमता तैंतीस मेगावाट है जबकि मांग करीब सैंतालीस मेगावाट है उनके अनुसार, पुराने बिजलीघरों की मरम्मत न हो पाने से इनकी उत्पादन

(शेष पृष्ठ 40 पर)

बदले उपभोक्ता-शुल्क, फीस आदि के रूप में कुछ राशि वसूल की जाती है।

उद्यमी को सबसे महत्वपूर्ण निर्णय वस्तु या सेवा के निर्माण के बारे में लेना पड़ता है क्योंकि इस निर्णय पर उद्यम का भविष्य निर्भर करता है। ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जिन्होंने उत्पाद/सेवा के बारे में दोषपूर्ण निर्णय लिया तथा बाद में उसे बदलते रहे। लेकिन दुर्भाग्य से बदला हुआ निर्णय भी जल्दबाजीपूर्ण था। अन्ततः वे असफल हुए। यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है कि अमुक उत्पाद/सेवा के निर्माण के लिए आप कितनी जोखिम पूंजी जुटा सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि क्या उस उत्पाद/सेवा का आप सफलतापूर्ण विपणन कर सकते हैं।

2) **व्यावसायिकता की अपरिहार्यता :** उद्यम में सफलता की दृष्टि से महिलाओं को पेशेवर होना पड़ेगा। उद्यम छोटा हो या बड़ा, व्यावसायिकता आवश्यक है। वित्त, विपणन और लोक संबंधों की दृष्टि से पेशेवर ज्ञान का होना महत्वपूर्ण है ताकि उद्यम की लाभदायिकता बनाई जा सके। समय-समय पर सरकारी व निजी संस्थाएं उद्यमिता का अल्पकालीन पाठ्यक्रम चलाती हैं, यथा, इंटरप्रीन्यूरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो महिला उद्यमी के लिए लाभकर सिद्ध हो सकता है। उद्योग मंत्रालय के अधीन लघु उद्योग सेवा संस्थान तथा 'डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एण्ड टैक्नोलाजी' अनुभवहीन उद्यमियों को उनकी परियोजना के क्रियान्वयन में उपयोगी मार्गदर्शन देते हैं। इसी प्रकार अहमदाबाद स्थित 'इंटरप्रीन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया' पत्राचार द्वारा उद्यमिता का पाठ्यक्रम चला रहा है।

3) **अद्यतन ज्ञान :** अधिसंख्य महिला उद्यमी व्यवसाय संबंधी नवीनतम जानकारी से वंचित देखी गई हैं। सरकार द्वारा दिए जा रहे प्रोत्साहन (वित्त एवं विपणन की सुविधाएं एवं छूटें) उपक्रम के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। लेकिन वित्तीय सुविधाओं का सम्मोहन हमें गैर-वित्तीय घटकों के मूल्य पर नहीं होना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि वित्तीय सुविधाओं का आकर्षण गैर-वित्तीय घटकों पर हावी हो जाता है। ऐसी स्थिति में उद्यम को असफल होते देर नहीं लगती। यह बात मुख्य रूप से लघु उद्यम के बारे में कही जा सकती है जिसकी सफलता मूलतः उद्यमी की अपनी योग्यता एवं क्षमता पर निर्भर करती है। दीर्घकाल में उद्यमी, विशेष तौर से महिला उद्यमी को वित्तीय कार्यमुक्त विपणन सहायता से निकलकर व्यूहरचना अभिमुख्य विपणन दृष्टिकोण अपनाना होगा। जिला उद्योग-केन्द्र इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्हें चाहिए कि वे अपने स्तर पर पेशेवर विपणन विशेषज्ञों और सफल उद्यमियों के एक निकाय की रचना करें जो भावी उद्यमियों को उनकी इकाइयों के उत्पादों की विपणन व्यूहरचना में सहायता करे।

4) **प्रचार-प्रसार :** महिला उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए सरकार को चाहिए कि वह समय-समय पर प्रचार-प्रसार द्वारा उन्हें योजनाओं और नीतियों से अवगत कराएं। महिला उद्यमी को उपलब्ध कराई जाने वाली विशिष्ठ योजनाएं सरल और कारगर हों। महिला उद्यमी को अपनी पहचान की तलाश है। कठोर परिश्रम एवं कल्पनाशीलता ही उसकी प्रेरक शक्ति बनकर उसकी उपलब्धि का कारण बने, इसके लिए नियोजित सरकारी प्रयासों की आवश्यकता है। मात्र आर्थिक सहायता अपर्याप्त उत्प्रेरक है।

यह तो नहीं कहा जा सकता कि महिला उद्यमी के रूप में सफल रही हैं। प्रबन्ध वैज्ञानिकों का मानना है कि वह निश्चित रूप से इतनी सफल नहीं हुई जितने पुरुष, यद्यपि यह तुलना अर्थहीन है। वास्तविक यह है कि जब कोई महिला उद्यमी असफल होती है तो उस पर सबकी निगाहें टिक जाती हैं। शिक्षा के प्रसार तथा जीवन स्तर में वृद्धि के बावजूद हमारे सांस्कृतिक पूर्वाग्रह अधिक नहीं बदले हैं। ब्रिटेन की 'वीमैन्स डेवलेपमेंट एजेन्सी' द्वारा 'महिला उद्यम' पर आयोजित एक सेमीनार के दौरान दिया गया यह वक्तव्य इस तथ्य की पुष्टि करता है : 'तीन बालकों का पिता अधिक स्थिर और अधिक विश्वसनीय माना जाता है, जबकि तीन बालकों की माता अधिक अस्थिर और अधिक अविश्वसनीय समझी जाती है'। स्काटलैंड में आम धारणा यह है कि महिला उद्यमी के रूप में सफल नहीं हो सकती क्योंकि उन्हें परिवार में भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ती है। एक स्काटिश प्रबंधशास्त्री के अनुसार "स्काटिश उद्यमी महिलाओं को कसी रस्सी पर चलना पड़ता है जिसमें एक ओर व्यक्तिगत सफलता की आकांक्षा और दूसरी ओर अपने पति से बेहतर न करने की इच्छा बनी रहती है"।

भारतीय महिला का चारदीवारी से निकलकर उद्यम में प्रवेश सर्वथा नया प्रयोग नहीं है। देश के अनेक भागों में महिलाएं सहकारिता के क्षेत्र में सफल रही हैं। पश्चिम बंगाल के सुंदरवन क्षेत्र में महिलाओं ने सामूहिक रूप से हस्तशिल्प एवं खादी मलमल बनाकर उसे निर्यात कर नए मानदंड स्थापित किए हैं। सुंदरवन क्षेत्र से प्रतिवर्ष 50 लाख रुपये से अधिक की खादी निर्मित वस्तुएं ब्रिटेन एवं जर्मनी के बाजारों में प्रवेश करती हैं। धीरे-धीरे यहां महिलाएं रेशम-कीट तथा मधुमक्खी-पालन करने लगी हैं। यहां की महिलाओं द्वारा अपनी आय को अनुपूरित करने के दृष्टिकोण से शुद्ध खाद्य तेल भी पश्चिम बंगाल एवं बिहार के बाजारों में पहुंचने लगा है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अधीन पंजीकृत सुंदरवन की 'खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज सोसायटी' सामूहिक महिला उद्यम का अनुकरणीय प्रयास है। ऐसे अवसरों की तलाश महिला उद्यमिता को और सशक्त बनाएगी, इसमें संदेह नहीं। ❑

(लेखक एम.एस.जे. कालेज, भरतपुर, राजस्थान के बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विभाग में प्रोफेसर रह चुके हैं।)

पंचायत घर राजनीतिक नेतृत्व की पौधशाला है

○ प्रमोद कुमार अग्रवाल

भारत के लौहपुरुष सरदार पटेल ने कहा था कि 'पंचायत संस्थाएं प्रजातंत्र की नर्सरी हैं।' पूर्व केंद्रीय पंचायत मंत्री सुरेंद्र कुमार डे ने भी कहा है—'पंचायती राज धीरे-धीरे हमारे जीवन का एक अंग बन जाएगा, जीवन बिताने का तरीका बन जाएगा और सरकार की एक इकाई मात्र न होकर सरकार और प्रशासन के संबंध में एक नया दृष्टिकोण बन जाएगा। यह जनता को एक क्रम से, सिलसिलेवार ग्रामसभा से लेकर लोकसभा तक जोड़ देगा।'

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमारा प्रशासनिक ढांचा ऊपर से नीचे की ओर रहा अर्थात सभी ऊर्ध्व की ओर ताकते रहे जैसे वर्षा के आगमन की प्रतीक्षा में चातक पक्षी बादलों की ओर एकटक देखता रहता है। पर हमारे शीर्ष नेतृत्व ने देशवासियों को यदि बुरी तरह निराश नहीं किया तो उनकी आशाओं की पूर्ति भी नहीं की। यही कारण है कि लोग आजकल प्रशासन से ही अपने अंश का मालपुआ मांग रहे हैं। यही औचित्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के आरक्षण हेतु है। यदि हमारा प्रशासन या विकास तंत्र पिछले 54 वर्षों में यथेष्ट उपलब्धियां प्राप्त नहीं कर सका, तो अब उस प्रणाली से नई आशा करना यथार्थ को अनदेखा करना होगा।

हमारे देश या तंत्र की असफलता के लिए सर्वप्रथम दोष अयोग्य तथा उच्चतम नेतृत्व को दिया जाता है। 'जब-जब होय धर्म की हानि ...' में विश्वास करने वाला भारत अपने उच्च नेतृत्व को दायित्व सौंपने के बाद अपने कर्त्तव्य की इतिश्री मानकर बैठ जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा आस्ट्रेलिया जैसा कोई उच्च प्रशासन तंत्र भी भारत में एक अरब लोगों को काम किए बिना खाना नहीं खिला सकता। उन्हें अपने बलबूते पर ही अपने पेट की ज्वाला को शांत करना होगा। फिर भी यदि हमारे देश का सर्वोच्च प्रशासन सुधारा जा सके तो देश की दशा कुछ सीमा तक ठीक हो सकती है। आवश्यकता है कि सर्वोच्च नेतृत्व वर्ग में उत्तम, मंजे हुए तथा अनुभवी लोग पहुंचे। पंचायतों में काम करते हुए पंचायत प्रतिनिधियों को स्वत: ही उत्तम प्रशिक्षण प्राप्त हो जाता है जिसका उपयोग वे भविष्य में नेतृत्व के उच्चतर सोपानों पर कर सकते हैं। स्थानीय जनता के संपर्क में रहने के कारण वे शिकायतों तथा समस्याओं के प्रति अति संवेदनशील हो जाते हैं। दूसरों के दृष्टिकोण को उचित सम्मान देने तथा सभाओं में भाग लेने का उनका अनुभव समृद्ध हो जाता है। कहते हैं कि जो नेता अपनी पृष्ठभूमि या माता-पिता या संबंधियों के नाम के बल पर ऊंचे स्थानों पर पहुंच जाते हैं, वे जनता के दर्द तथा समस्याओं को सही रूप में नहीं समझ पाते। वे तानाशाह, सनकी तथा निरंकुश होते हैं जो प्रजातंत्र के लिए खतरे की घंटी है। दूसरी ओर पंचायतों के माध्यम से सर्वोच्च पद पर पहुंचने वाला व्यक्ति सहृदय, परिश्रमी तथा जनता की नाड़ी को सही-सही परखने वाला वैद्य होता है क्योंकि वह स्वयं के परिश्रम द्वारा शिखर तक पहुंचता है।

पंचायतों में काम करते हुए पंचायत प्रतिनिधियों को स्वत: ही उत्तम प्रशिक्षण प्राप्त हो जाता है जिसका उपयोग वे भविष्य में नेतृत्व के उच्चतर सोपानों पर कर सकते हैं। स्थानीय जनता के संपर्क में रहने के कारण वे शिकायतों तथा समस्याओं के प्रति अति संवेदनशील हो जाते हैं। दूसरों के दृष्टिकोण को उचित सम्मान देने तथा सभाओं में भाग लेने का उनका अनुभव समृद्ध हो जाता है।

स्थानीय परिस्थितियों, भौगोलिक तथा स्थानीय अनुभव को भी समान महत्व देता है। यदि प्रांतीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर भी नेतागण इन तथ्यों का निर्णय लेने के पूर्व विचार करें तो उनके निर्णय निश्चय ही जनहित में होंगे। पंचायत में निर्णय लेते समय प्रस्ताव लिखने वाले अथवा तकनीकी सलाह देने वाले तकनीकी अधिकारियों के अतिरिक्त सभी जन प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं। अत: पंचायत के पदाधिकारी निरंकुश तरीके से निर्णय लेने की भूल नहीं कर सकते।

पंचायत प्रणाली में भी एक दोष है। यदि कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत के स्तर से उठकर केंद्रीय मंत्री के पद पर विराजमान होता है तो तब तक वह इतना वृद्ध हो जाता है कि उसके पास अपने सुनहरे अवुभवों को कार्य रूप में परिणत करने की न तो शक्ति रह जाती है, न ही उत्साह। इस दशा में उत्तम यह होगा कि राजनीतिक दल पंचायत के किसी भी स्तर से ऐसे प्रतिभासंपन्न नेताओं को चुन लें तथा उन्हें त्वरित (फास्ट ट्रैक) माध्यम से प्रांत तथा केंद्र स्तर तक ले जाएं जैसाकि अखिल भारतीय सेवाओं में होता है। युवा नेतृत्व हर समय उत्तम होता है क्योंकि उसे अपने किए हुए कार्यों के परिणाम भोगने के लिए तैयार रहना पड़ता है। दूसरे वह समाज के अधिकांश वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। वह तुलनात्मक रूप से चापलूसों तथा अक्षम लोगों से दूर रहता है क्योंकि एक सुंदर भविष्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। वह अपने किए हुए कार्यों के प्रति जवाबदेह होता है। यह भी व्यवस्था हो कि तकनीकी या विशिष्ट क्षेत्रों के विशेषज्ञ पंचायत की सत्ता की बागडोर संभालने के लिए अपरिहार्य रूप से चयनित हों; उन्हें पंचायतों के प्रशिक्षण-प्रांगण में वस्तुस्थिति से अवगत होने के लिए सम्यक अवसर मिले।

उपर्युक्त सुझाव वास्तव में बहुत जटिल हैं पर इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। आज संविधान की मान्यतानुसार हम जिस पंचायत प्रणाली की स्थापना करने जा रहे हैं वह एक दिन सदियों से चली आ रही नियमबद्ध नौकरशाही का स्थान लेगी। अत: यह आवश्यक है कि यह व्यवस्था नौकरशाही की व्यवस्था से अधिक पूर्ण तथा दोषहीन हो। दूसरे, पंचायतों के माध्यम से हजारों करोड़ रुपया विकास कार्यों पर खर्च होने जा रहा है जो भूतकाल में कभी नहीं हुआ करता था। इस प्रकार पंचायतें हमारे नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रही हैं। इसलिए पंचायतों को दोषरहित तथा गतिशील बनना होगा। पंचायत प्रणाली अपने में पूर्ण नहीं कही जा सकती क्योंकि कोई भी प्रणाली स्वयंमेव पूर्ण नहीं होती। उस संस्था का मान संस्था के बनाने वालों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। इसलिए पंचायतों के तीन स्तरों पर ऐसे प्रतिनिधि तथा पदाधिकारी नियुक्त हों जो अनुभव की भट्टी में ठीक से तपे हों, जिन्होंने लोक सेवा का व्रत लिया हो तथा जो भ्रष्ट आचरण से कोसों दूर हों। यदि जनता ने अपने मत देने का दायित्व ठीक तरह निर्वाह किया, तथा उसे केवल क्षणिक लोभ, आवेश या जाति और धर्म के आधार पर बर्बाद नहीं किया, तो निश्चय ही पंचायत प्रतिनिधियों की एक ऐसी सेना तैयार होगी जो भारत के किसी भी आंतरिक तथा बाहरी शत्रु को आसानी से पराजित कर सकेगी। पंचायत प्रक्रिया से छंटकर या चयनित होकर जो नेतृत्व प्रांत या देश को प्राप्त होगा, वह देश के लिए भी आदर्श होगा और तब हम अपनी शासन प्रणाली तथा नेताओं पर गर्व कर सकेंगे। ❑

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।)

(पृष्ठ 33 का शेष)

क्षमता पर असर पड़ा है। साथ ही बिजली का ट्रांसमीशन नेटवर्क सुदृढ़ न होने की वजह से सिक्किम पूर्वी ग्रिड से अपने हिस्से की पूरी बिजली भी नहीं ले पाता। विशेषकर जाड़े के मौसम में कमरा गर्म करने के उपकरणों के बड़े पैमाने पर उपयोग से भी बिजली की खपत बहुत बढ़ जाती है। ऐसे में लोडशेडिंग और बिजली कटौती जैसे उपायों का सहारा लेना ही पड़ता है। ऊर्जा सचिव बताते हैं कि ट्रांसमीशन नेटवर्क को सुदृढ़ करने के वास्ते अनेक उपाय किए जा रहे हैं। इनमें पश्चिम बंगाल के सिलिगुड़ी स्थित विद्युतनगर से गंगटोक के पास लोअर लैग्येप तक 132 के.वी. लाइन खींचने का काम शामिल है। यह परियोजना पॉवर ग्रिड कॉरपोरेशन द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। इसके अतिरिक्त राज्य के सभी छोटे-बड़े पनबिजली घरों को पहले राज्य ग्रिड से जोड़ दिया जाएगा। ऊर्जा सचिव के अनुसार राज्य के पुराने बिजली घरों के नवीकरण और आधुनिकीकरण का कार्य भी युद्धस्तर पर जारी है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि ये सभी परियोजनाएं अगले ढाई वर्षों में पूरी कर ली जाएंगी।

यदि सचमुच ऐसा हो पाता है तो ऐसी अपेक्षा की जा सकती है कि सिक्किम में निकट भविष्य में प्रचुर मात्रा में पनबिजली उपलब्ध हो सकेगी। और तब, यह छोटा-सा राज्य अपनी अतिरिक्त बिजली न केवल पड़ोसी राज्यों, बल्कि पूरे देश को दे सकेगा। ❑

(लेखक (सिक्किम) गंगटोक में आकाशवाणी के संवाददाता हैं।)

भूल-सुधार

सितम्बर 2002 अंक में आवरण पृष्ठ के चित्रकार का नाम भूलवश 'एम. चक्रवर्ती' छप गया था। यह आवरण 'योजना' संपादक मंडल द्वारा स्वयं तैयार किया गया था।

खतरे में पड़ी गंगा की गाय

○ विजय कुमार

मानव की अवांछित लालसा और उसकी भौतिकवादी सोच ने अनेक जीव-जन्तुओं के अस्तित्व पर प्रश्नचिह्न लगा दिया है। ऐसे ही जन्तुओं की श्रेणी में है 'गैंजेटिक डाल्फिन।' यानी गंगा नदी में पाई जाने वाली डाल्फिन। गंगा के प्रवाह पथ के आस-पास अवस्थित हजारों छोटी-बड़ी बस्तियों के निवासी इसे अलग-अलग नामों से जानते और पहचानते हैं। कहीं पर इस गैंजेटिक डाल्फिन को 'सोंस' तो कहीं 'गंगा की गाय' कहा जाता है।

वैसे डाल्फिन की यह प्रजाति कुछेक मात्रा में सरयू, कोशी, गंडक नदी में भी पाई जाती है। अब से मात्र दो दशक पहले तक गंगा नदी में विशेष कर बिहार वाले इलाके में हजारों डाल्फिन जलक्रीड़ा करतीं देखी जाती थी लेकिन अब दिन भर भी गंगा किनारे बैठे रहने के बावजूद शायद ही कोई डाल्फिन अठखेलियां करती दिखे। सरकारी स्तर पर सुस्ती और शिकारियों की गिद्ध दृष्टि के कारण गंगा की डाल्फिन अब विलुप्त प्रजाति की श्रेणी में आ गई है। वर्ष 1998 में एक सर्वेक्षक के मुताबिक बिहार में गंगा नदी में कम से कम 945 डाल्फिन थी।

प्रकृति ने हरेक जीव को कुछ न कुछ विशेषताएं दी है। दुर्भाग्य से मनुष्य उन्हीं विशेषताओं के लिए जीवों का शत्रु हो गया है। गैंजेटिक डाल्फिनों का भी शिकार उसकी कुछ विशेषताओं के कारण होता है। मतलब इसके मांस और तेल के लिए। डाल्फिन का मांस प्राय: निम्न वर्गीय लोग खाते हैं जबकि इसके तेल का इस्तेमाल मछली को आकर्षित करने वाले चारे के रूप में होता है। पिछले दशक में डाल्फिनों के बढ़ते शिकार और पर्यावरण चिन्तकों के दबाव पर बिहार सरकार ने वर्ष 1991 में कहलगांव से सुल्तानगंज तक के गंगा के लगभग 50 किलोमीटर के प्रवाह पथ को डाल्फिन अभ्यारण्य घोषित किया। इसे नाम दिया गया है, 'विक्रमशिला गैंजेटिक डाल्फिन सेन्चुरी।' वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अनुसार डाल्फिन का शिकार दंडनीय अपराध है। इसका शिकार करने, इसके तेल या मांस बेचने के आरोप में एक वर्ष कैद और 5000 रुपये जुर्माना का प्रावधान है। इसके बावजूद गंगा में पटना, फतुहा, मनेर, दिघवारा, हल्दी छपरा, मुंगेर, कहलगांव और भागलपुर के आस-पास डाल्फिनों का शिकार जारी है। इस वर्ष 30 अप्रैल को भी भागलपुर के पास एक डाल्फिन मरी पाई गईं।

विक्रमशिला जैव विविधता शोध एवं शिक्षा संस्थान के सर्वेक्षण दल ने ही भागलपुर के बतरी थाना को स्थानीय हनुमान घाट पर मृत डाल्फिन पाए जाने की सूचना दी थी। इसकी लंबाई 53 सेंटीमीटर और वजन 7 किलोग्राम था। सर्वेक्षण दल ने यह भी बताया कि स्थानीय मछुआरों ने तेल के लिए पिछले वर्ष 12 नवंबर को भागलपुर के ही रजोउद्दीनपुर के पास एक डाल्फिन को मार डाला था। इसके बाद बिहार के ही सारण जिले में रिविलगंज नामक स्थान पर भी 17 मई को एक मृत डाल्फिन के साथ चार मछुआरों को गिरफ्तार किया गया। लगभग तीन फीट लंबी और 15 किलोग्राम वजन वाली इस डाल्फिन की उम्र 2 माह

'गैंजेटिक डाल्फिन', यानी गंगा नदी में पाई जाने वाली डाल्फिन! कहीं इसे 'सोंस' तो कहीं 'गंगा की गाय' कहा जाता है। प्रकृति ने हरेक जीव को कुछ न कुछ विशेषताएं दी है। दुर्भाग्य से मनुष्य उन्हीं विशेषताओं के लिए जीवों का शत्रु हो गया है। अगर समय रहते इसके शिकार पर सख्ती से रोक नहीं लगाई गई तो वह दिन दूर नहीं जब इस प्रजाति की डाल्फिन सिर्फ किताबों का हिस्सा बनकर रह जाएंगी।

है। पिरूल जानवरों का मूत्र तेजी से नहीं सोखता और गोबर में मिलकर देर में सड़ता है और अच्छी खाद नहीं बनाता। चीड़ का पेड़ जमीन से काफी मात्रा में पानी ग्रहण करता है और जल का संग्रह करने में सहायता नहीं करता।

उत्तरांचल का सबसे उपयोगी वृक्ष बांज है। उत्तरांचल की विभिन्न ऊचाइयों पर बांज की विभिन्न किस्में पाई जाती हैं। बांज के वन वर्षा आकृष्ट करते हैं। बांज वृक्ष मिट्टी में नमी बनाए रखते हैं और भूमिगत जल को संचितकर निकटतम स्रोत से निकाल देते हैं।

बांज की पत्तियां जानवर बड़े चाव से खाते हैं। बांज की पत्तियां वर्षा के प्रहार को झेल जाती हैं और इस प्रकार मिट्टी को बहने से रोकती हैं। बांज की लकड़ी बहुत ताप देती है। इसकी लकड़ी किसान के अनेक उपकरणों में काम आती है। बांज उत्कृष्ट इमारती लकड़ी है। लेकिन बांज का वृक्ष काफी समय में 75 से लेकर 100 वर्षों में पूरी तरह तैयार होता है। बांज के अलावा वुरांस, काफल, खड़िक, मेहल, रोवीनिया और उतीस की पत्तियां जानवर बड़े चाव से खाते हैं। गर्मियों में जब हरे चारे की कमी हो जाती है इन पेड़ों की पत्तियां जानवरों के लिए बेहतरीन चारा उपलब्ध कराती हैं। इनकी पत्तियां गोबर में मिलकर उत्कृष्ट खाद तैयार करती हैं।

जगत सिंह चौधरी की इच्छा गांव के समीप मिश्रित वन लगाने की थी। प्रारंभिक सर्वेक्षण आदि करने के बाद वह अपनी इच्छा को कार्यरूप में परिणत करने में लग गए। उन्होंने इस मिश्रित वन के बड़े भाग में बांज सहित चौड़ी पत्तियों वाले वृक्ष लगाने पर जोर दिया। उन्होंने वन के एक भाग में 10-15 वर्षों में तैयार हो जाने वाले ईंधन के वृक्ष लगाए। इसके अलावा उन्होंने यहां आंवला, जामुन, अखरोट, बादाम, आड़ू और नींबू के वृक्ष भी लगाए। यही नहीं, उन्होंने वन के एक भाग में सालम, पंजा, वजदंती जैसी जड़ी-बूटियों के साथ अदरक, हल्दी, दालें और तरह-तरह के फूल भी लगाए। वन के दूसरे भाग में घास लगाई गई। वन में मधुमक्खियों का गुंजन देखकर जगत सिंह ने मौन पालन शुरू किया। इस वन से प्रति वर्ष पर्याप्त मात्रा में शहद उपलब्ध हो रहा है।

जगत सिंह ने वन की रक्षा के लिए गांव के लोगों से सहयोग मांगा। सभी ने वनों की हर तरह से रक्षा करने का वचन ही नहीं बल्कि हर तरह से उसकी रक्षा की। 20-22 वर्षों में जगत सिंह की मेहनत रंग लाई। उनके प्रयास से दो हेक्टेयर क्षेत्र में एक ऐसा अद्भुत वन विकसित हो गया जो अपनी विविधता और संपन्नता से लोगों को आश्चर्य में डाल देता है। इस मिश्रित वन में कुछ ऐसे भी वृक्ष हैं जो आमतौर पर साढ़े चार हजार फुट की ऊंचाई पर नहीं होते या तो इससे अधिक ऊंचाई या कम ऊंचाई पर होते हैं। जगत सिंह ने कम ऊंचाई पर होने वाले वृक्षों को ऐसे स्थान पर लगाया जहां पर्याप्त धूप आती थी और अधिक ऊंचाई पर होने वाले वृक्षों को ऐसे स्थान पर लगाया जहां कम धूप आती थी। उनके वन में अखरोट और बादाम दोनों होने का यही कारण है।

इस वन के विकसित होने के बाद गांव के पास पानी का एक और स्रोत पैदा हो गया है। गांव की औरतों को गांव के पास चारा, ईंधन मिल जाता है। पिछले वर्ष जगत सिंह चौधरी 'जंगली' को अपने इस उल्लेखनीय कार्य के लिए 'राष्ट्रीय इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार' प्रदान किया गया। इस वर्ष उत्तरांचल के राज्यपाल ने उन्हें एक लाख रुपये का पुरस्कार देकर सम्मानित किया।

अच्छे कार्य की खबर सुगंध की तरह सर्वत्र फैल जाती है। 'जंगली' के कार्य से प्रेरणा लेकर उत्तरांचल के अनेक गांवों में मिश्रित वन लगाने का श्रीगणेश किया गया। इसमें उत्तराखंड सेवा निधि के प्रयासों से, जो उत्तरांचल सरकार के सहयोग से अधिकांश स्कूलों में पर्यावरण-जल, मिट्टी और वनों की शिक्षा का कार्यक्रम चला रही थी, सहायता मिली।

उत्तरांचल के ग्रामीण इस बात को अच्छी तरह समझ गए हैं कि मिट्टी, जल और वन हमारी सबसे अमूल्य संपदा हैं। इनका संरक्षण एक-दूसरे से जुड़ा है। वन वर्षा को आकृष्ट करते हैं। वनों के संरक्षण से एक ओर जल का संग्रह होता है और दूसरी ओर मिट्टी का बहना रुकता है। मिट्टी का बहना रुकने से वर्षा ऋतु में भयंकर बाढ़ नहीं आती और पहाड़ों की अमूल्य संपदा, मिट्टी पहाड़ों में रहती है।

'जंगली' के उत्कृष्ट कार्य से उत्तरांचल में लोगों का ध्यान वनों की ओर गया है। अब लोग समझ गए हैं कि गांव के पास-पड़ोस में गांव पंचायत की जमीन पर वन लगाकर वे न केवल गांव की ईंधन, चारे और पानी की आवश्यकता पूरी कर सकते हैं बल्कि पर्यावरण की रक्षा के साथ-साथ गांव के लिए स्थायी समृद्ध परिसंपत्ति भी तैयार कर सकते हैं। ❑

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।)

'योजना'

नवम्बर-2002

पाठक ध्यान दें कि **'योजना'** का आगामी अंक 14 नवम्बर के 'बाल दिवस' के उपलक्ष्य में बच्चों पर केन्द्रित किया जाएगा। बाल-स्वास्थ्य, बाल-श्रम, बाल-साहित्य आदि कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचारशील लेख अंक में शामिल किए जाएंगे। कृपया अपनी प्रति पहले से ही सुरक्षित करा लें।

नए प्रकाशन

जनजातियों के सामाजिक मानव विज्ञान का अध्ययन

पुस्तक: **सामाजिक मानव विज्ञान (भारत के जनजातीय संदर्भ में)**; लेखक: **ए.आर.एन. श्रीवास्तव**; प्रकाशक: **के.के. पब्लिकेशंस, 875 कटरा, इलाहाबाद-211002; पृष्ठ संख्या 224**; मूल्य: **छात्र संस्करण, 70 रुपये।**

सामाजिक मानव विज्ञान पर अंग्रेजी में दशकों से लिखा जा रहा है लेकिन अब पिछले दो-तीन दशकों से हिंदी में भी यह एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में स्थान प्राप्त कर चुका है। यों तो मानव विज्ञान विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में शामिल रहा है लेकिन उसकी एक महत्वपूर्ण शाखा के रूप में सामाजिक-मानव विज्ञान का अवतरण बहुत बाद में हुआ।

सामाजिक मानव विज्ञान (भारत के जनजातीय संदर्भ में) के माध्यम से ए.आर.एन. श्रीवास्तव ने 19 अध्यायों में व्यापक अध्ययन प्रस्तुत किया है। मानव विज्ञान की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए श्रीवास्तव लिखते हैं: सोलहवीं शताब्दी में प्रचलित प्राचीन ग्रीक भाषा के दो शब्द *एन्थोग्रास* तथा *लोगिया* के आधार पर आधुनिक 'एन्थ्रोपाल्जी' शब्दावली का नामकरण हुआ है। इसका हिंदी रूपांतर 'मानव विज्ञान' है।

'....मानव विज्ञान एक ऐसा विषय है जो मनुष्य के संबंध में समग्रता से जानकारी देता है।'

लेखक के अनुसार एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में मानव विज्ञान एक सौ वर्ष से थोड़ा अधिक पुराना है।

आधुनिक मानव विज्ञान की चार केंद्रीय भावनाएं हैं—शारीरिक मानव विज्ञान, पुरातात्विक मानव विज्ञान, भाषाई मानव विज्ञान और सामाजिक-सांस्कृतिक मानव विज्ञान।

'सामाजिक संगठन परिवार और विवाह' अध्याय में बताया गया है कि सामाजिक संगठन क्रिया-कलापों का क्रमबद्ध विन्यास है। सामाजिक संरचना का गतिशील पहलू संगठन ही है।

किसी घरेलू संगठन का आधार दंपत्ति तथा अविवाहित बच्चे हैं। घरेलू-समूह का यह रूप समस्त परिचित मानव समूहों में पाया जाता है।

पुस्तक में लेखक ने तर्कों के आधार पर स्पष्ट किया है कि सजाति प्रजनन समाज के लिए हानिकारक है।...ग्रामीणों में प्रजनन संबंधी प्रचलित धारणाओं में यह एक निश्चित विश्वास प्रतीत होता है कि सजाति प्रजनन में विकलांग तथा मूर्ख संतानों का जन्म होता है।

चूंकि प्रत्येक समाज में प्राथमिक स्वजनों के बीच यौन क्रियाओं की मनाही रहती है अत: इसे **अगम्यगमन निषेध** कहा जाता है। निषेध इतना प्रबल होता है कि उल्लंघन करने वाले को निष्ठुरता से दंडित किया जाता है।

पुस्तक में विवाह के विभिन्न पक्षों की भी विस्तार से जानकारी दी गई है। बहुपति प्रथा पूर्वी अंगोला के बहामा के बीच और उत्तरी अमरीका में एस्कीमों के बीच तो है ही, भारत में भी उत्तरांचल के जौनसार बाबर में यह प्रथा मौजूद है। कई स्थानों में सहोदर बहुपत्नी विवाह भी होते हैं।

लेखक ने विवाह-साथी प्राप्त करने के सात विभिन्न प्रकारों या तरीकों की भी विस्तृत व्याख्या की है। पुस्तक में आर्थिक प्रणाली, राजनीतिक प्रणाली, विधि एवं नाम प्रकरण और धार्मिक प्रणाली के अलावा संस्कृति संबंधी मानवशास्त्रीय सिद्धांत और सांस्कृतिक मानव विज्ञान के व्यावहारिक पक्ष पर भी विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

लेखक ने किसी एक देश या महाद्वीप के दायरे की बजाय व्यापक दृष्टि को ध्यान में रखा है और उन देशों के उद्धरण भी दिए हैं।

पुस्तक चूंकि छात्रोपयोगी है इसलिए इसमें कुछ अध्यायों में सारांश भी दिया गया है। इसके अलावा अंग्रेजी में फुट- नोट्स के साथ चर्चित शब्दावली और महत्वपूर्ण प्रश्न हर अध्याय में दिए गए हैं जिससे इसकी उपयोगिता और बढ़ जाती है। सामाजिक मनोविज्ञान के बारे में, विशेष रूप से मानव के जनजातीय संदर्भ में, जानने और समझने में अभिरुचि रखने वाले अध्येताओं तथा प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने वालों के लिए यह महत्वपूर्ण संदर्भ ग्रंथ है।

—देवेन्द्र उपाध्याय

विकास समाचार

प्रत्यक्ष कर प्रणाली का सरलीकरण

प्रत्यक्ष कर प्रणाली के सरलीकरण के लिए सरकार ने एक कार्यदल का गठन किया है। कार्य दल प्रत्यक्ष कर के नीति-नियमों के सरलीकरण, व्याप्त बाधाओं को दूर करने, राजस्व बढ़ाने एवं छूट के संदर्भ में अपनी सिफारिशें सरकार को देगा।

यह जारी अधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार कार्य दल अपनी अंतिम रिपोर्ट 15 दिसम्बर तक सौंप देगा। कार्यदल का एक लक्ष्य करदाताओं को दी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने का भी होगा।

कार्यदल की सिफारिशों पर विचार करके इसकी सिफारिशों को अगले वर्ष के बजट यानी वर्ष 2003 के बजट में समायोजित करने का प्रयास किया जाएगा।

परियोजनाओं के विलंब की जवाबदेही

केंद्रीय परियोजना के विलंब के लिए जवाबदेही तय की जाएगी और परियोजनाओं के क्रियान्वयन की राह में आ रही भूमि अधिग्रहण समस्या से निपटने के लिए शीघ्र ही एक विधेयक लाया जाएगा।

पत्रकारों से बातचीत करते हुए सांख्यिकी व कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री श्री विजय गोयल ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता केंद्रीय परियोजनाओं को तय समय के अनुसार पूरा करने की है। परियोजनाओं को पूरा करने के लिए उसका दायित्व एवं जवाबदेही निर्धारित की जाएगी। अधिकांश मामलों में यह सुनने को मिला है कि परियोजनाओं के क्रियान्वयन में भूमि अधिग्रहण एक बड़ी समस्या है।

मौजूदा समय में केंद्र सरकार करीब 455 परियोजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है, इनमें कुल 2,24,000 करोड़ रुपये की राशि लगी है। कुल परियोजनाओं में करीब 151 परियोजनाओं की गति काफी धीमी है और यह अपने तय समय के अनुसार क्रियान्वित नहीं हो रही है।

बिजली वितरण सुधार की 10 सूत्री योजना

केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय राज्य विद्युत परिषदों के घाटे को नियंत्रित करने के लिए विद्युत वितरण क्षेत्र में केवल निजी कारण पर आश्रित हुए बिना सुधार के लिए दस सूत्री कार्यक्रम लागू करेगा। बिजली परिषदों का घाटा पिछले दस वर्षों में दस गुना बढ़कर 30 हजार करोड़ रुपये पर पहुंच गया है।

ऊर्जा सचिव आर.वी. शाही ने निजी क्षेत्र की विद्युत उत्पादन कंपनियों से संबंधित इंडीपेंडेंट पावर प्रोड्यूर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा ऊर्जा बाजारों के विनिमितीकरण पर आयोजित एक सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि वितरण सुधारों का मतलब केवल निजीकरण नहीं है बल्कि यह इस दिशा में उठाए जाने वाले विभिन्न कदमों में से एक है।

सुधार कार्यक्रम में अब बिजली देने की लागत और उपभोक्ताओं से प्राप्त आय के बीच के अंतर को व्यावसायिक घाटा माना जाएगा। इस परिभाषा के तहत यह घाटा राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 50 प्रतिशत बैठता है।

रोजगार सृजन का नया लक्ष्य

दसवीं योजना के दौरान प्रतिवर्ष एक करोड़ रोजगार सृजित करने का लक्ष्य हासिल करने के लिए दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों में एक हजार नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने के साथ ही इन संस्थानों में अगले साल से 17 नए रोजगारपरक पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे।

श्रम मंत्री डा. साहिब सिंह वर्मा ने राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद की 34वीं बैठक में यह जानकारी दी। राज्यों में सरकारी सेवा में रोजगार के लिए उपलब्ध आरक्षण के अनुरूप इन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों को भी प्रवेश के मामले में आरक्षण सुविधा का लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त सामान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में महिलाओं के लिए 25 प्रतिशत सीटों का आरक्षण किया जाएगा।

सेवक की प्रार्थना

हे नम्रता के सम्राट।
दीन भंगी की दीन कुटिया के निवासी।
गंगा, यमुना, और ब्रह्म पुत्र के जलों से सिंचित
इस सुन्दर देश में
तुझे सब जगह खोजने में हमें मदद दे।
हमें ग्रहणशीलता और खुला दिल दे,
तेरी अपनी नम्रता दे,
भारत की जनता से
एकरूप होने की शक्ति और उत्कंठा दे।
हे भगवान!
तू तभी मदद के लिए आता है,
जब मनुष्य शून्य बनकर, तेरी शरण लेता है।
हमें वरदान दे,
कि सेवक और मित्र के नाते
जिस जनता की हम सेवा करना चाहते हैं,
उससे कभी अलग न पड़ जाए।
हमें त्याग, भक्ति और नम्रता की मूर्ति बना,
ताकि इस देश को हम ज्यादा समझे
और ज्यादा चाहें।

–मो.क. गांधी

पी.एस. भटनागर, निदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पटियाला हाऊस, नई दिल्ली-110 001 से प्रकाशित एवं मुद्रित तथा तारा आर्ट प्रेस, बी-4, हंस भवन, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110 002 में मुद्रित। दूरभाष : 3378626, 3379686
कार्यकारी संपादक : अंजनी भूषण

रजि. सं. डी. एल. 12036/2002 तथा डाक व्यय की अदायगी के साथ डाक में डालने के लिए लाइसेंस-प्राप्त
Reg. No. D.L. 12036/2002 Licenced to post with payment at RMS, Delhi.

पंजी सं. 951/57
R.N. 951/57

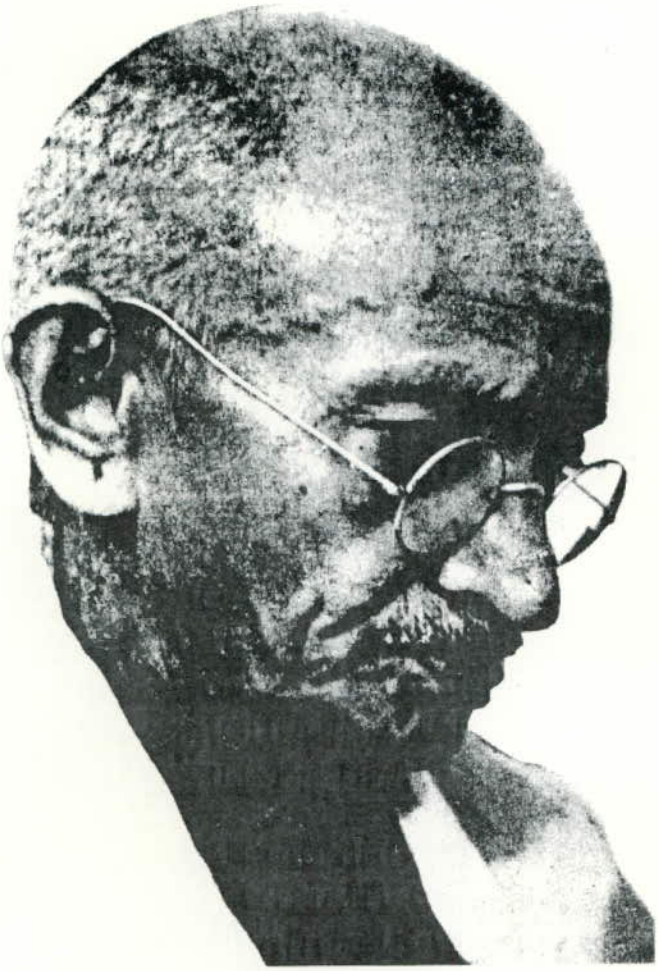

महात्मा गांधी सीडी

इस मल्टीमीडिया सीडी में
गांधीजी पर
30 मिनट की फिल्म फुटेज
550 से अधिक चित्र
करीब 15 मिनट की
गांधीजी की आवाज
और
इलेक्ट्रॉनिक बुक
में साठ हजार से अधिक पृष्ठों में
विस्तृत सांकेतिका के साथ
सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय
संकलित है

यह सीडी प्रकाशन विभाग द्वारा 100 खंडों में प्रकाशित सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय पर आधारित है।

मूल्य : 2000 रुपये

विक्रय और अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें :

पटियाला हाउस, तिलक मार्ग, ***नई दिल्ली–110019;*** सुपर बाजार (दूसरी मंजिल), कनाट सर्कस, ***नई दिल्ली–110001;*** हॉल नं. 196, पुराना सचिवालय, ***दिल्ली–110054;*** कामर्स हाउस, करीमभाई रोड बालार्ड पायर, ***मुंबई–400038;*** 8, एस्प्लेनेड ईस्ट, ***कोलकाता–700069;*** राजाजी भवन, बेसेंट नगर, ***चेन्नई–600090;*** बिहार राज्य सहकारी बैंक बिल्डिंग, अशोक राजपथ, ***पटना–800004;*** प्रेस रोड, निकट गवर्नमेण्ट प्रेस, ***तिरुअनंतपुरम–695001;*** प्रथम तल, एफ विंग, केन्द्रीय सदन, कोरामंगला ***बंगलौर–560034;*** अम्बिका कॉम्प्लैक्स, प्रथम तल, पाल्डी, ***अहमदाबाद–380007;*** नवजन रोड, उजान बाजार, ***गुवाहाटी–781001;*** 27 / 6, राम मोहन राय मार्ग, ***लखनऊ–226001;*** ब्लॉक नं., 4, पहली मंजिल, ग्रुहाकल्पा कॉम्पलैक्स, एम.जे. रोड, नामपल्ली, ***हैदराबाद–500001;*** 80, मालवीय नगर, ***भोपाल–462003;*** सी.जी.ओ. काम्प्लैक्स, 'ए' विंग, ए.बी. रोड, ***इंदौर;*** बी–7बी, भवानी सिंह मार्ग, ***जयपुर–302001***